खण्ड-347, अंक-7
गुरूवार, 17 आश्विन, शक संवत् 1902
(9 अक्टूबर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 347 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय सुची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	847–851
प्रश्नोत्तर	..	853–878
बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण निर्वाचन क्षेत्र बयालसी, जौनपुर के मकानों तथा फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना	..	878–879
सीतापुर नगर में बिजली की आपूर्ति के कारण पीने के पानी के संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	879
देवरिया जनपद के कतिपय थानों के थानाध्यक्षों एवं पुलिस कर्मचारियों द्वारा एनकाउन्टर दिखाकर पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के कई व्यक्तियों को मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	879–880
निर्वाचन क्षेत्र बाह के ग्राम कोट के लोक दल के कार्यकर्त्ता श्री दाऊ दयाल पचौरी की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	880–881
ग्राम नगला बीरबल तथा बड़पुरा के हरिजन निवासियों को दस्यु बलबीर सिंह द्वारा सताये जाने तथा हरिजनों को लाइसेन्स न दिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	881–882
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना	..	882
विधान परिषद् में पुलिस के प्रवेश पर औचित्य का प्रश्न	..	882–885
आयुक्त, आगरा मण्डल के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से सम्बन्धित औचित्य का प्रश्न	..	886–887
राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् व कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	887
स्वा पत्त शासन मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	..	888–893
केन्द्र द्वारा गन्ने का मूल्य 13 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किये जाने की घोषणा से गन्ना उत्पादकों में असंतोष के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	893–894
र प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	..	894

विषय		पृष्ठ संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	..	895–901
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980..(सदन की अनुमति से वापस हुआ ।)	..	901–910
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1980 (अस्वीकृत)	..	910–918
काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	..	918–938
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	..	938–939
प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, सत्ता पक्ष के विधायकों, सांसदों तथा एक राज्य मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतों के कारण प्रशासन में अनास्था कायम होने से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	939–942
देहरादून में शराब के ठेकों के चालू किये जाने के कारण अनेक हत्यायें व मौतो के आरोप के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	942–943
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन) विधेयक, 1980 (पारित)	..	943–964
विधान मण्डल सदस्यों के आवास के लिए निर्धारित नव निर्मित पार्क रोड कालोनी को अधिकारी आवास के रूप में बदले जाने के विषय में 30 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 (नत्थी 'ख') के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	..	964-973

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–366

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह, (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयबीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुतन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरीगढ़वा
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)

गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती, (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री, (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चंचल सिंह गिल, सरदार (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल राकेती, श्री (फैजाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेजबहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयालु कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नरायन, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निजाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)

फिरंगी प्रसार विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ, चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राजकुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
रामआसरे वर्मा, श्री (हरदोई)

राम अवतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
डा० राम कृष्ण उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
रामचन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह (एटा)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कटियार, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर, (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, (बिजनौर)
श्यम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्यम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)

साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलोत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट—मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मंत्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 9 अक्तूबर, 1980

तारांकित प्रश्न

आयुर्वेदिक कालेजों में तदर्थ नियुक्तियां

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 10-8-78 को प्रान्तीयकृत चार आयुर्वेदिक कालेजों के शैक्षिक पदों पर तदर्थ नियुक्तियों हेतु 31 अक्तूबर, 1979 तक प्रार्थना-पत्र यह जानते हुए मांगें गये कि उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा होती है ? यदि हां, तो तदर्थ नियुक्ति के लिए विज्ञापन पर बत्तीसों हजार रुपये खर्च करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसमें अब तक साक्षात्कार न लिए जाने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

जी हां ।

छात्रों के हित को दृष्टि में रखते हुये शासन ने यह निर्णय लिया था कि लोक सेवा आयोग से चयन होने तक की अवधि के लिये इन कालेजों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां कर दी जावें। इसमें किसी अधिकारी के दोषी होने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो गया है तथा परिणाम भी शासन को प्राप्त हो चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि 31 अक्तूबर, 1979 को जब प्रार्थना-पत्र लिए गये थे तो उस समय लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों की सूची प्राप्त हो चुकी थी ? यदि हां, तो चयनित सूची के आधार पर लोगों का चुनाव क्यों नहीं किया गया और लोगों का व्यर्थ में खर्चा बढ़ाने के लिए अलग से साक्षात्कार क्यों किया गया ?

श्री लोकपति--

जिन व्यक्तियों का चयन लोक सेवा आयोग से हो चुका है, उनको कालेजों में नियुक्त किया जा रहा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग लोक सेवा आयोग से चुने गये थे और जिनकी सूची प्राप्त हो गयी थी, क्या उनको खपा लिया गया है या अब तक खपाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो तदर्थ नियुक्तियों के लिए क्यों सरकार व्यर्थ में रुपया खर्च कर रही है ?

श्री लोकपति--

जितनी आवश्यकता थी उतने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

कितनों की आवश्यकता थी और कितनों की कमी थी ?

श्री लोकपति--

इस समय तदर्थ नियुक्तियों का प्रश्न है । तो जो हम तदर्थ नियुक्तियां कर रहे हैं, उनकी सूचना दी जा सकती है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जिस वक्त लोक सेवा आयोग से चयन कराया गया और सूची तैयार होकर सरकार के पास आयी उस समय कितने स्थान रिक्त थे जिन पर तदर्थ नियुक्तियां होनी थीं ?

श्री लोकपति--

यह सूचना है नहीं, याद से कहें तो बता दूं, उसमें अन्तर हो सकता है ।

जिला अस्पताल, गोंडा में अनेस्थेटिस्ट एवं बाल रोग विशेषज्ञों के रिक्त पद

*2--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री इस बात से अवगत हैं कि एनेस्थेटिक एवं बाल रोग विशेषज्ञ के पद जिला अस्पताल, गोंडा में एक वर्ष से रिक्त हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिया पत्र दिनांकित 5-7-1980 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जिला चिकित्सालय, गोंडा में अनेस्थेटिस्ट का पद अगस्त, 1979 से तथा बाल रोग विशेषज्ञ का पद नवम्बर, 1979 से रिक्त है । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-7-1980 प्राप्त हुआ है । दोनों पदों को शीघ्र भरे जाने का प्रयास किया जा रहा है । फिलहाल नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र महिला अस्पताल गोंडा को डी० सी० एच० अर्हता प्राप्त एक महिला चिकित्साधिकारी की जिला अस्पताल गोंडा में सप्ताह में दो दिन बाल रोग विशेषज्ञ के पद का कार्य देखने हेतु सम्बद्ध कर दिया गया है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे यह शीघ्र व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री लोकपति--

31 दिसम्बर, 1980 के पूर्व दोनों पदों पर व्यवस्था हो जायेगी ।

सीतापुर के जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

*3--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या खाद्य मंत्री यह बतायेंगे कि जिला सीतापुर म जुलाई, 1980 में एक साथ दो जिलापूर्ति अधिकारी रहे जिनके आपस में तालमेल न होने के कारण जनपद में छात्र-छात्राओं को कन्ट्रोल रेट पर मिलने वाली कापियां बाजार से गायब हो गयी हैं और उनके अभाव में छात्र-छात्राओं को दुगुनी-तिगुनी कीमतों पर कापियां खरीदनी पड़ीं ? यदि हां, तो इस स्थिति के सुधार के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)--

यह सत्य नहीं है कि जुलाई, 1980 में जनपद में दो जिला पूर्ति अधिकारी रहे और उनमें तालमेल न होने के कारण कन्ट्रोल रेट पर मिलने वाली कापियां बाजार से गायब हो गई। जनपद में केवल एक जिला पूर्ति अधिकारी ही कार्यरत रहे और शासनादेशानुसार कापियों के विक्रय का कार्य मेसर्स सीतापुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड, सीतापुर द्वारा सम्पादित कराया गया।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या यह सही है कि मौजूदा डी0 एस0 ओ0, सीतापुर के खिलाफ विधायकों की ओर से भी कुछ शिकायतें मिली हैं ? और क्या उनका ट्रान्सफर भी कर दिया गया था किन्तु जो दूसरे डी0 एस0 ओ0 वहां चार्ज लेने गये उनको उन्होंने चार्ज ही नहीं दिया और इस प्रकार दोनों ही डी0 एस0 ओ0 वहां रहे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है फाइल में।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर जिला सीतापुर के पूर्ति अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया था, उनको पूर्ति के लिए दूसरे पूर्ति अधिकारी आय और चार्ज लेने के लिए महीनों तक रुके रहे, फिर बाद में आपने उस जिला पूर्ति अधिकारी का स्थानांतरण रोक दिया। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस जिला पूर्ति अधिकारी का स्थानांतरण हुआ था ? यदि हां, तो उसका स्थानांतरण किन परिस्थितियों में रोका गया ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, यह प्रश्न के बाहर समझा जाय। मान्यवर यह इस वक्त की बात करते हैं कि उस वक्त की बात करते हैं ?

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके प्रश्न से यह प्रश्न निकल रहा है क्या ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इनका सवाल यह है कि दो डी0 एस0 ओ0 किन परिस्थितियों में वहां पर थे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, जिला पूर्ति अधिकारी जय शंकर प्रसाद जी का स्थानान्तरण वहां से किया गया और इस कारण हुआ कि हमें आवश्यक वस्तु निगम में एक आफीसर की जरूरत थी, लेकिन वहां के डी0 एम0 ने नहीं छोड़ा। हमारे टंडन साहब तब तक वहीं रहे और फिर टंडन साहब वापस आ गये।

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, जुलाई, 1980 की बात है, हमारी जानकारी को निश्चित मानते हुए मंत्री जी जांच करायेंगे । इसी जिला पूर्ति अधिकारी के बारे में वहां के विधायकों की, आपके पास, शिकायत पहुंची । वहां के सभी विधायकों ने इनकी शिकायत की और इनका ट्रान्सफर किया ? वह कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि 1 महीने तक डी0 एम0 ने रिलीव नहीं किया और जिसको वहां पर जाना था वह पहुंच भी गये और किन परिस्थितियों में उनको रोका गया और फिर वहां पर रह भी गये ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

यह तो सत्य है कि वहां पर उनको ट्रान्सफर आर्डर दिया गया, इस कारण दिया गया कि एक हरिजन अधिकारी हमारी आवश्यक वस्तु निगम में आये ।

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, जवाब नहीं आया । मान्यवर, उसके ऊपर बहुत से आरोप सिद्ध हो गये थे, तब आपने हटाया, वहां पर चार्ज लेने पहुंच गया, डी0 एम0 ने उसको छोड़ा नहीं और महीने भर के बाद फिर वह रिइंस्टेट हो गये । वह खत कहां है, मान्यवर, जिस पर वहां के बहुत से विधायकों की दस्तखत थी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, इस फाइल में तो माननीय विधायकों की दस्तखत का कोई कागज नहीं है, अगर होगा तो मैं देख लूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने एक हरिजन अफसर को कोटा पूरा करने के लिए, इस वजह से उनका ट्रान्सफर किया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शासनादेश के तहत उन हरिजनों से सम्बन्धित कोटा पूरा करने के आदेश की अवहेलना किया, कोटा नहीं पूरा करने दिया । क्या माननीय मंत्री जी उस जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्ने शासनादेश के अनुसार हरिजनों का कोटा पूरा करने में शासनादेश की अवहेलना की ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, जो अधिकारी वहां कार्य कर रहा था, उसका कार्य तो संतोषजनक था और उसको वहां से हटाये जाने की जरूरत नहीं थी, फिर माननीय सदस्यों का कोई शिकायत है, तो वह लिखकर दे दें ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह नहीं था, मेरा प्रश्न तो बहुत स्पष्ट है कि हरिजनों के कोटा पूरा करने के जो शासनादेश हैं, इन आदेशों के तहत जिलाधिकारी ने उस विभाग में हरिजनों के पूरे होने का कार्यवाही नहीं की, तो क्या उसके विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करगा ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

माननीय सदस्य रियासत साहब ने जो कहा और अगर उसको लिखकर दुबारा दे देंगे तो जिलाधिकारी द्वारा इसकी जांच करा लेंगे ।

एक सदस्य--

माननीय, इन मंत्रियों को कहां तक आप बचायेंगे, यह कभी न पढ़ लिख कर आते हैं और न पढ़ना-लिखना जानते हैं ।

जल संस्थान, झांसी द्वारा दूषित जल की आपूर्ति

*4--श्री ओम प्रकाश रिछारिया (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई जून, 80 में झांसी शहर को विभिन्न स्रोतों से औसतन कुल कितना पानी प्रति दिन प्राप्त हुआ तथा कितना पानी प्रति दिन सप्लाई हुआ ? क्या इसी दौरान जल संस्थान, झांसी द्वारा हरा एवं कीटाणुयुक्त पानी सप्लाई किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

झांसी नगर की विभिन्न स्रोतों से माह मई, 1980 में प्रतिदिन औसतन 36 लाख गैलन तथा जून 1980 में 39 लाख गैलन पानी प्राप्त हुआ और जल की यही मात्रा प्रतिदिन सप्लाई हुई ।

दूषित व बदबूदार पेयजल वितरित करने के सम्बन्ध में ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र 'स्वदेश' के दिनांक 9 जून, 1980 के अंक में प्रकाशित समाचार का कतरन जिलाधिकारी, झांसी के माध्यम से झांसी जल संस्थान को प्राप्त हुई । समाचार में उल्लिखित कुओं का पानी जल संस्थान द्वारा प्रयोग में लिये जाने से पूर्व उसको सफाई कराई गई थी तथा जनता को आपूर्ति किये जाने से पूर्व आवश्यक मात्रा में क्लोरीन मिलायी जाती रही । पानी की जांच जल संस्थान व स्वास्थ्य अधिकारी, झांसी द्वारा बराबर की जाती रही । पानी में कीटाणु पाये जाने तथा इससे बीमारी फैलने की बात निराधार पाई गयी ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के राजाजीपुरम कालोनी स्थित जनता भवनों के सम्बन्ध में शिकायतें

*5--श्री जगदीश सिंह--

क्या आवास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या शासन को कमजोर वर्ग के लोगों को राजाजीपुरम कालोनी, लखनऊ में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवंटित जनता भवनों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार न होने, घटिया किस्म की सामग्री प्रयुक्त किए जाने तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में लगभग 54 व्यक्तियों का संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती प्रार्थना-पत्र अप्रैल, 1980 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त शिकायतों की प्राविधिक जांच करायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की राजाजीपुरम कालोनी, लखनऊ द्वारा 'ई' ब्लाक के जनता भवनों के सम्बन्ध में जनता आवास कल्याण समिति के माध्यम से शासन को श्री राजकुमार राय के हस्ताक्षर से 21 अप्रैल, 1980 का

एक पत्र प्राप्त हुआ था । इस पत्र में इंगित बिन्दुओं पर विवेचना की जा रही है । पत्र में निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने की शिकायत के सम्बन्ध में प्राविधिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री जगदीश सिंह--

माननीय मंत्री जी कृपया यह बताएं कि इस मामले की कौन अधिकारी जांच कर रहा है और प्रार्थना पत्र मिले हुए 6 मास हो चुके हैं और यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, यह प्रश्न 21-4-80 को प्राप्त हुआ था और इसकी जांच श्री नौटियाल, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा हो रही है ।

श्री जगदीश सिंह--

मान्यवर, मैंने यह भी पूछा था कि जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

एक महीने के अन्दर सारी आख्या शासन के सामने प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री जगदीश सिंह--

यह भवन निर्माण मे जो खराब सामान लगाए जाने की शिकायत मिली है और इस पर जो जांच कार्य चल रहा है, तो क्या इस कारण काम अभी वहां रुकवा दिया गया है या काम चल रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जो-जो खराबियां थी, उनकी देखभाल हो रही है और उन खराबियों को दूर किया जा रहा है ।

*6--श्री शम्भू नाथ--

[4-9-80 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरि]

ग्राम झरकटा, जिला गोरखपुर के कोटेदार के विरुद्ध शिकायत

*7--श्री मारकन्डेय चन्द तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र भोला (गोरखपुर) के गांव झरकटा के कोटेदार के यहां प्रधान एवं गांव के लोगों ने जुलाई, 1980 मे काले बाजार की चीनी पकड़ी एवं दूकान निलम्बित हुई ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि अब वह दूकान बहाल हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

जी नहीं।

विकास क्षेत्र गोला (गोरखपुर) के गांव झरकटा के प्रधान एवं ग्रामवासियों द्वारा दो बोरी चीनी पकड़े जाने की रिपोर्ट थाना गोला में 29 जून, 1980 को लिखाई गई थी जिसका सम्बन्ध झरकटा के दूकानदार श्री सन्त प्रसाद शुक्ल से बताया गया था । अतः प्रारम्भ में उक्त दुकानदार को माह जुलाई 1980 की

आपूर्ति रोक दी गई थी परन्तु जांच के उपरान्त उक्त चीनी का सम्बन्ध उक्त कोटेदार से न पाए जाने पर उन्हें उसी माह आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई। दुकान निलम्बित नहीं की गई। अतः बहाली का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मान्यवर आप उत्तर देखें जो परस्पर विरोधाभास है। माननीय मंत्री जी ने पहले ही अपने उत्तर में "जी नहीं" कहा है और जबकि प्रश्न में यह लिखा है कि विकास क्षेत्र गोला, गोरखपुर के गांव झरकटा कोटेदार के यहां प्रधान एवं गांव के लोगों ने जुलाई 1980 में काले बाजार की चीनी पकड़ी और माननीय मंत्री जी ने कह दिया अपने उत्तर में "जी नहीं" तो मान्यवर, जब इस मामले की पुलिस थाने में रपट दर्ज हुई तो मान्यवर, उस दुकान को एसेंसियल कमोडिटीज ऐक्ट की धारा 3/7 के तहत निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, जब रिपोर्ट हो गई तो जो चीनी का कोटा दिया जाना था रोक दिया गया उसके बाद इंक्वायरी से पता चला कि गांव के आपसी झगड़े के कारण है तो उसको दिया गया। पुलिस और ए0 डी0 एम0 और नायब तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि एसेन्शियल में दुकानों के कमोडिटीज ऐक्ट में दुकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो उस दुकान को तुरन्त निलम्बित कर दिया जाना चाहिए किन्तु उस दुकान को निलम्बित नहीं किया गया। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो दुकान को निलम्बित न करने का क्या कारण है और पुलिस की रिपोर्ट पर वह अपराध से मुक्त हो गया और पुनः चीनी दे दी गई ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, मुकदमा दर्ज हुआ किन्तु जब यह पता चला कि गांव के आपसी दुश्मनी का मामला है तो इस कारण उसको दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या थानेदार की रिपोर्ट पर कि यह गांव की आपसी दुश्मनी है उस मुकदमें को विदड्रा कर लिया और पकड़ी गई चीनी उसे दे दी गई ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, जो चीनी पकड़ी गई वह पुलिस के पास है। मुकदमें की जब तक पूरी विवेचना न हो जाय हम ऐसा नहीं कर सकते।

श्री हरिवंश सहाय--

मेरी जानकारी को सही मान कर कि दुकानदार को वह दुकान निरस्त कर दी गई और दूसरी दुकान अन्य नाम से एलाट कर दी गई और उस दुकान की चीनी वह लेकर जा रहा था और दुकानदार का मर्डर हो गया इसकी जांच करायेंगे।

श्री अजीत सिंह सेठी--

यह सच है कि दुकानदार का मर्डर हो गया लेकिन दूसरी दुकान एलाट किया गया, यह नहीं।

श्री हरिवंश सहाय--

मेरी निश्चित जानकारी है कि उसने दूसरी दुकान दूसरे नाम से एलाट करा लिया और उस दुकान की चीनी लेकर जा रहा था और रास्ते में उसका मर्डर हो गया तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जांच करा लूंगा ।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि काले बाजार की चीनी पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ा और दुकान निलम्बित नहीं की गई तो क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि कौन सी परिस्थिति होगी कि मिट्टी के तेल की, चीनी की या अन्य दुकान कोटे की निरस्त की जायेंगी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, जैसी परिस्थिति होगी वैसा ऐक्शन लिया जायेगा ।

सिटी होटल, हीवेट रोड, इलाहाबाद से नर्सों की गिरफ्तारी

*8--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोती लाल नेहरू अस्पताल इलाहाबाद की नर्सों को 1 अप्रैल, 1980 को सिटी होटल, हीवेट रोड, इलाहाबाद में छापामार कर कोतवाली के इस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया था और होटल मालिक के लड़के तथा नर्सों का चालान किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में पर्चा भी बांटा गया है जिसमें क्लर्क, संयुक्त निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम लिख कर आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक किया है ? क्या सरकार उस पर्चे की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक अस्पताल से सम्बन्धित सवाल है । अब तक सूचना एकत्र नहीं की गई । जिन अधिकारियों ने सूचना एकत्रित करने में लापरवाही की है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति--

प्रश्न नहीं उठता । मैंने अनुरोध किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ऊदल--

सूचना इनके पास आ गई है, उससे उनको स्वयं संतोष नहीं है ? यदि हां, तो क्या इसी वजह से सूचना एकत्रित कर रहे हैं ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, प्रश्न में दो भाग हैं। एक मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद की नर्सों को 1 अप्रैल, 1980 को टी० होटल हीवेट रोड, इलाहाबाद में छापा मार कर कोतवाली के इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया था और होटल के मालिक के लड़के तथा नर्सों का चालान किया और दूसरा है कि इस सम्बन्ध में पर्चे भी बांटे गये जिसमें क्लर्क, संयुक्त निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम लिखकर आरोप लगाया गया ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की और उस पर्चे की एक प्रति सदस्य की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? श्रीमन्, पर्चा ही जांच का माध्यम है। उसमें न प्रेस लाइन है और न किसी का नाम। अतएव विलम्ब हो रहा है।

श्री भीखा लाल--

मंत्री जी ने इन्क्वायरी का सोर्स पर्चा बताया है, जो नर्सों और होटल मालिक के लड़के की गिरफ्तारी की गई, कोतवाली में रिपोर्ट होगी, वह माध्यम क्यों नहीं है ?

श्री लोकपति--

नर्सें नहीं थीं जिनकी चर्चा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो गिरफ्तारी की गई थाने में, कोई रिपोर्ट होगी। नर्सें नहीं थीं तो कौन था ?

(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

विकास क्षेत्र जोया, जिला मुरादाबाद, के चीनी विकास क्षेत्र के विरुद्ध शिकायतें

*9--श्री जोराज सिंह मौर्य (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद की ग्राम सभा रामहट, विकास क्षेत्र जोया के निवासियों की वहां के चीनी डीलर के विरुद्ध लिखित शिकायत पर परगनाधिकारी, अमरोहा द्वारा कोटा न उठाए जाने के आदेश की अवहेलना करके चीनी डीलर (श्री राजवीर सिंह) ने एफ० सी० आई० के गोदाम से धोखा देकर दिनांक 23-7-1980 को कोटा उठा लिया एवं परगनाधिकारी के दूसरे आदेश कोटा न बांटे जाने की भी अवहेलना करके अपने घर से उक्त कोटा चोरी चले जाने की झूठी रपट लिखा कर कोटा ब्लैक में बेच दिया ? यदि हां, तो इस विषय में डीलर के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

जी हां ।

चीनी विक्रेता श्री राजबीर सिंह का अनुबन्ध निलम्बित कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ की मैट्रन एवं वार्ड मास्टर के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*10--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत मैट्रन एवं अन्य के विरुद्ध आर्थिक हेराफेरी के मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट पर निदेशक, आयुवेद द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों और कब तक की जायेगी ?

श्री लोकपति--

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट, जिसमें राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध अस्पताल में कार्यरत मैट्रन एवं वार्ड मास्टर के विरुद्ध उक्त अस्पताल में शक्कर के अनियमित उपयोग का मामला प्रकाश में आया है, के प्राप्त होने पर सम्बन्धित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा गया । सम्बन्धित कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी स्वास्थ्य सेवा निदेशक ह अतः इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिये मामला आयुर्वेद निदेशक द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशक को संदर्भित कर दिया गया है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता विभाग ने जो रिपोर्ट दी है वह क्या है ? कितनी शक्कर की गड़बड़ी का यह मामला है और यह स्पष्टीकरण कब मांगा गया ?

श्री लोकपति--

सतर्कता विभाग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने दो व्यक्तियों को इसमें सम्बन्धित किया है, एक मैट्रन को और दूसरा वार्ड ब्वाय को। यह रिपोर्ट सतर्कता विभाग ने 29-8-79 को दी थी ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने दो ही प्रश्न किये थे, दोनों का जबाब आ गया ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मैंने यह पूछा था सतर्कता विभाग की रिपोर्ट क्या है ? कितनी शक्कर का मामला है ? स्पष्टीकरण कब मांगा गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

तारीख भी बताया उन्होंने ।

श्री लोकपति--

जो रिपोर्ट सतर्कता विभाग की है, आज्ञा दें तो पढ़ दूं । उसमें यह नहीं है कि कितनी शक्कर का मामला है । शक्कर की मात्रा नहीं है ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की बांदा में आवास योजना

*11--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जो आवास योजना विचाराधीन है उसकी प्रगति क्या है तथा आवास निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की बांदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या--1 को परिषद् ने अपनी दिनांक 28-8-80 की बैठक में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा 28 की प्रथम विज्ञप्ति जारी करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

योजना में समाविष्ट भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने एवं भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद् को प्राप्त होने के उपरान्त ही योजनान्तर्गत भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बांदा नगर में आवास की जो समस्या है वह दिन प्रति दिन गम्भीर रूप से बढ़ती जा रही है । मंत्री जी ने कहा कि यह योजना शासन के विचाराधीन है । कृपया बतायें कि योजना कब से विचाराधीन है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, 28-8-80 को इसकी शुरूआत कर दी गयी । इसकी पहली विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है । शुरू हो गयी है । 2-3 साल लगेंगे ।

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि यह जो योजना है क्या इसकी पूर्ति के लिए वह कम से कम समय निर्धारित कर सकते हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना--

मान्यवर, नियमानुसार भूमि अर्जन करने में जितना समय लगेगा वह दो साल से कम नहीं हो पायेगा । दो साल के बाद ही जब इस पर कब्जा मिल जायेगा तब इस पर कार्य शुरू किया जायेगा ।

*12--श्री गोवरधन तिवारी--

[6ठें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत उत्तरित]

आलमबाग, लखनऊ में किये गये विकास कार्य

*13--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलम-बाग एरिया का कितना क्षेत्रफल सन् 1978 से नगर महापालिका ने अधिकृत किया है तथा जो क्षेत्र नगर महापालिका के अधीन है उसमें विकास के अब तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वर्ष 1978 से आलमबाग का कोई भी अतिरिक्त क्षेत्र नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है ।

उक्त क्षेत्र में मुख्यतः निम्न विकास कार्य कराये गये :--

(1) 40 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर खड़ंजे लगवाना ।

(2) 12 कि0 मी0 पक्की सड़कें एवं 80 कि0 मी0 लम्बाई में नालियों का निर्माण ।

(3) मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत 99 पोल लगवाना ।

(4) 10 स्थानों पर तार खींचकर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था ।

(5) स्टार्म वाटर ड्रैन का निर्माण ।

(6) बल्बों की जगह नई ट्यूब फिटिंग कराई गई ।

(7) 20 अन्य पोलों पर, जहां मार्ग प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्ट्रीट लाइट का फेज देकर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराई गई ।

(8) 25 कि0 मी0 क्षमता का अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया ।

(9) 16 कि0 मी0 पाइप लाइन डाली जा चुकी है ।

(10) 25 हैन्ड पम्प लगवाये गये एवं 19 कुओं को गहरा किया गया ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगी कि जो उन्होंने नं0 1 से न0 10 तक दिखाया कि अनेकों काम किये गये हैं । एक जगह कहा कि 12 कि0 मी0 पक्की सड़कें एवं 80 कि0 मी0 लम्बाई में नालियों का निर्माण किया । इसी तरह से नं0 1 से 10 तक दिखाया । तो यह तो बताया कि लगा है, लेकिन मान्यवर, आलमबाग क्षेत्र में अलग-अलग मुहल्ले हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन से मुहल्ले और स्थान हैं जहां यह विकास का कार्य कराया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, यह सवाल तो बहुत लम्बा है । यह एक मुहल्ले और गलियों का नाम बताना मुश्किल है न ही इसके लिये कहा गया था । अगर इसके बारे में कहा गया होता तो गलियों और मुहल्लों के नाम भी बताता । जो पूछा गया, वह बता दिया ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, एक प्रश्न और करना चाहूंगी कि वह जो माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि सन् 78 से आलमबाग का कोई भी अतिरिक्त क्षेत्र नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि जो आलमबाग का इक्सटेन्डन्ड एरिया है, जिसमें चुन्नीखेड़ा मुन्नूखेड़ा आदि 27 गाँव हैं, तो वह कौन से नगरमहापालिका के अंदर हैं ? अगर सन् 78 में नहीं आये तो कब आये और कौन-कौन से आये ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो प्रश्न में इतना विस्तार से नहीं था ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा था । मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जो इन्सटेन्डेड एरिया आलमबाग का है जिसमें बहुत से गांव आ गये हैं, वे कौन से हैं ? इतना जवाब दिलवा देने की कृपा करें ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, जिस दिन लखनऊ महापालिका का गजट हुआ था, उसी दिन से, उसके अलावा कोई एरिया नहीं बढ़ा । उसी दिन जो बढ़ा था, वह बढ़ा ।

श्री जैराज गौतम--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में नम्बर 8 पर बताया कि 25 किलोमीटर क्षमता का अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया, तो यह किस मुहल्ले में किया गया ? इक्सटेन्डेड एरिया या आलमबाग खास में किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह भी इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है ।

सीनियर स्केल पी0 एम0 एस0 अधिकारियों की पदोन्नति

*14--श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

क्या यह सही है कि अभी हाल में पी0 एम0 एस0 (सेलेक्शन ग्रेड) के 47 पदों में से केवल 39 पदों पर (7 सेवा निवृत्त/दिवंगत/त्याग-पत्र दिये हुए व्यक्ति सम्मिलित) पदोन्नति करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? शेष 15 पदों के सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

श्री लोकपति--

जी नहीं । पी0 एम0 एस0/पी0 एच0 एस0 के सीनियर स्केल के 47 रिक्त पदों के लिए मई, 1980 में चयन किय गय था । उसमें प्रोन्नति हेतु उपयुक्त प ये गये अधिकारियों म से ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जो सेवानिवृत्त हो गया हो अथवा जिसका त्यागपत्र स्वीकार हो गया हो । केवल एक अधिकारी

[श्री लोक पति]

ऐसा था जिसकी मृत्यु चयन के बाद हुई थी । अतः उसकी प्रोन्नति किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । अन्य चुने गये अधिकारियों में से 26 अधिकारियों की प्रोन्नति कर दी गई ह और शेष अधिकारियों की प्रोन्नति का मामला विचाराधीन है ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर डी0 डी0 त्रिपाठी की हत्या कब हुयी एवं चयन समिति की बैठक कब-कब हुयी ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, डाक्टर त्रिपाठी की हत्या 25 मई को हुयी और चयन समिति की बैठकें 12 और 13 मई को हुयीं ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर दिलावर सिंह ने इस्तीफा दिया ? यदि हां, तो कब और चयन समिति की बैठक के समय तक उसको स्वीकार न करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, डाक्टर त्रिपाठी ने सशर्त इस्तीफा दिया था 79 में जिसको शासन ने स्वीकार नहीं किया था ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्वीकार न करने का कारण क्य था ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

मान्यवर, शासन पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अधिकारियों को पदोन्नति के....

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना नाम बता दीजिये ।

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

सरजू प्रसाद सरोज ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं (माननीय सदस्य के बैठ जाने पर), अब खड़े हों ।

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन, पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश कब तक जारी हो जाने की सम्भावना है ?

श्री लोकपति--

जैसे-जैसे स्थान रिक्त होते जायेंगे पदोन्नति होती जायगी ।

प्लाट नं0 92, पेपरमिल कालोनी, लखनऊ पर कथित अनधिकृत निर्माण

*15--श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पेपर मिल कालोनी जो लखनऊ मास्टर प्लान में आवासीय उपयोग के लिए सुरक्षित है, में प्लाट नं0 92 पर अनधिकृत रूप से बनायी गयी पांच दूकानों के निर्माण का प्रकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शमनित कर दिया गया है और उनका भवन चित्र शासन से भू-उपयोग परिवर्तित कराये बिना स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

लखनऊ महायोजना में पेपर मिल आवासीय कालोनी के अन्तर्गत निशातगंज सड़क से 330 फीट की दूरी तक पेपर मिल कालोनी का भाग व्यावसायिक है और प्लाट नं0 92 निशातगंज सड़क से 220 फीट की दूरी पर स्थित है। उक्त भू-खण्ड पर निर्मित 5 दुकानों को नियमानुसार कम्पाउन्ड कर दिया गया है।

चूंकि प्रश्नगत भू-भाग का उपयोग व्यावसायिक है इसलिये शासन से प्रश्नगत क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

इसका भी प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे....

(एक सदस्य के वन मन्त्री के पास खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

वन मन्त्री के पास खड़े माननीय सदस्य, कृपया सदन के नियमों का ध्यान तो रखा ही करें।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रूल्स के मुताबिक जो एरिया कामर्शियल होगा उसमें रेजीडेंशियल नहीं होगा और जो रेजीडेंशियल होगा उसमें कामर्शियल नहीं होगा। तो रूल के विरुद्ध किस लिये अधिकारियों ने परमीशन दे दी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है उसमें हमने दोनों में बताया है कि 330 फीट तक अन्दर जाने के बाद तब आवासीय होता है उसके पहले व्यावसायिक है। जब श्री गुरु प्रसाद ने खरीदा 1976 में तो मकान बनाने की इजाजत मांगी और बनवाया और उसके साथ ही दुकानें नीचे बना दिया। तो उसको कम्पाउन्ड कर दिया और 1372 रुपया ले लिया गया। यह स्थिति है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या प्लान या रूल्स में एक प्लाट को रेसीडेन्शियल और कामर्शियल बनाने का रूल अलग-अलग है या एक ही है ? या क्या ऐसा भी प्राविजन है कि कोई भी प्लाट रेसीडेन्शियल कम कामर्शियल की मंजूरी दे दी जायेगी ? यदि ऐसा रूल है, तो उसको बता दें ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसमें कोई ऐसा कानून नहीं है कि दोनों में वह लागू किया जा सके। इसमें विरोधाभास है, इसलिये इसको मैं दिखवा लूंगा कि क्या अनियमितता हुई गयी है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि 1372 रुपये लेकर केस कम्पाउन्ड कर दिया गया। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था किस नियम के अन्तर्गत की गयी है कि कम्पाउन्ड कर दें और नियम के विरुद्ध जो कामर्शियल नहीं होना चाहिये और रेसीडेन्शियल होना चाहिये जब प्लाट खरीदा गया था, स्वीकृति आबादी के लिये दी गयी थी ? तब इसे कामर्शियल कैसे कर दिया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, कम्पाउन्ड करने का अधिकार है और उसका प्रयोग किया गया लेकिन साथ ही साथ विरोधाभास अवश्य है जिनको मैं दिखवा लूंगा कि एक तरफ आवासीय और दूसरी तरफ कामर्शियल भी और जैसा प्रश्न पहले उठाया है उसके अन्दर छानबीन हो रही है।

चिकित्सालयों में मरीजों को दिये जाने वाले भोजन के मूल्य में वृद्धि की मांग

*16--श्री बलबीर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में इन्डोर मरीजों को जो भोजन दिया जाता है उस भोजन का मूल्य केवल 2.62 रुपये है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान महंगाई को ध्यान में रखते हुये बतायेगी कि इस धनराशि में कब तक वृद्धि की जायेगी ताकि रोगियों को सम्पूर्ण भोजन मिल सके ?

श्री लोकपति--

जी नहीं, कोई विशिष्ट मानक महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित नहीं है बल्कि प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में आहार का मूल्य ठेको की दरों के आधार पर भिन्न-भिन्न रहता है जो गत वर्ष 1979-80 में औसतन 2.70 रु0 प्रति शय्या प्रतिदिन रहा। वर्ष 1980-81 में इस मद में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया गया है जिसके फलस्वरूप उक्त औसत दर में वृद्धि हो जायेगी।

श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*17--श्री मोहन सिंह--

क्या स्वायत शासन मंत्री को ज्ञात है कि श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी जो जल निगम के 1977-79 तक प्रबन्ध निदेशक थे, के विरुद्ध सतर्कता आयोग कतिपय कथित भ्रष्ट कार्यों की जांच कर रहा था और मार्च, 1980 में अपनी रपट शासन को भेज चुका है ? यदि हां, तो सतर्कता की रपट क्या है और विभाग ने उस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी जो 18 जून, 1975 से 2 जून, 1979 तक उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निर्देशक थे, के विरुद्ध कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में सर्तकता विभाग द्वारा जांच कराई गई थी । सर्तकता विभाग की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है तथा शासन के विचाराधीन है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मूल प्रश्न का ही उत्तर नहीं आया है । प्रश्न है कि सतर्कता विभाग की रिपोर्ट क्या है, मंत्री जी ने कहा कि सतर्कता विभाग की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट क्या है ? इसके बाद मैं अनुपूरक प्रश्न करूंगा ।

श्री राम सिंह खन्ना--

यह विचाराधीन है शासन के । मान्यवर, श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी के खिलाफ पाईप लाईन सप्लाई करने वाली मद्रास की जो फर्म थी उसके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, यह फाइन्डिंग है सतर्कता विभाग की और उसने शासन से कहा है कि या तो इनको आप रिटायर करदें या इनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही बिभागीय करें, यह चेज प्रोसेस होकर जब तक न आये तब तक मैं क्या कहूं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, भ्रष्टाचार और दुष्ट दलन की सरकार है, मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं, वह देख लें कि आपके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि मार्च 1980 में हुई एक अधिकारी के खिलाफ सतर्कता रिपोर्ट आ गयी है कि इसने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, इसने एक फर्म के साथ सांठ-गांठ की इसलिए इस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें, इस का फोर्सफुल रिटायरमेंट हो जाना चाहिए । यह रिपोर्ट मार्च महीने में आ गई । इस समय सितम्बर का महीना है । मैंने सामान्य प्रशासन के दिन भी कहा था । मैं प्रश्न कर रहा हूं कि इस व्यक्ति को जिसके बारे में सतर्कता विभाग लिखाता है कि इसका फोर्सफुल रिटायरमेंट किया जाय या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय, अब इसे डिपुटेशन पर, प्रोन्नति करके विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग का सचिव कम डाइरेक्टर बनाया गया है जो कि उस विभाग का सर्वोच्च पद है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सतर्कता विभाग की स्पष्ट जांच रिपोर्ट मिलने के बावजूद अनुशासनात्मक कार्यवाही को दस महीने डिले करने का और उनको बड़े पद पर नियुक्त करने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, दस महीने तो पूरे अभी हुये नहीं हैं मई में (व्यवधान) आप बात सुनेंगे। हमारी क्या दिलचस्पी है इनकी तरफदारी करने में। तीन महीने पहले सतर्कता विभाग की रिपोर्ट आई है। लीगल ओपिनियन भी इसमें लेना है। हम किसी एक आदमी में ऐसे हाथ नहीं लगायेंगे जब तक सारी चीजें नहीं देख लेंगे। तीन वर्ष आप रुके रहे आज दो महीने भी नहीं रुक सकते। शासन निर्णय ले लेता और निर्णय पर पक्षपात करता तब भ्रम फैलता (व्यवधान) एक मिनट आप सुन लें आपका भ्रम दूर हो जायगा। चुंकि आपके दिमाग में शक पैदा हो गया है। जब गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी तो तीन रोज (व्यवधान) जब तक जांच पूर्ण नहीं होगी तब तक किसी पर हाथ डालना ठीक नहीं है। तीन वर्ष तक आप रुके रहे। आज इस की रिपोर्ट आई है। एक महीने के अंदर में आपको बताना चाहता हूं पूरा निर्णय हो जायगा।

श्री मोहन सिंह—

वह रिटायर होने वाले हैं, यह क्या ऐक्शन लेंगे। साजिश यह है कि जब तक रिटायर हों जानबूझ कर इस रिपोर्ट को डिले किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है प्रश्न के बारे में। तथ्य छिपाये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तत्काल एक काम यह कर सकते हैं कि उस आदमी का डिपुटेशन समाप्त कर के उसे अपने ओरिजिनल पद पर भेज दें। क्या हमारी बात को सत्य मानते हुये उन का तत्काल डिपुटेशन समाप्त करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, आप की सूचना को मानते हुये मैं पूरी तरह से छान बीन कर के नियमानुसार जो भी उचित कार्यवाही होगी उसे करने में एक मिनट की देरी नहीं लगाऊंगा।

जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में हुए सेब कांड की जांच

*18—श्री कुबेर भण्डारी (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में सेब कांड के अन्तर्गत कथित सवा लाख रुपये के घोटाले की जांच वर्ष 1978–79 एवं 1979–80 में की गई ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

जिला चिकित्सालय, गोरखपुर के चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक मामला वर्ष 1978–79 में सेब के क्रय में की गई अनियमितता से भी संबंधित है। मई, 1979 में ऐसी शिकायतों की जांच प्रारम्भ की गई थी जो अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। जांच पूर्ण हो जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री हसनै खान निवासी देवरिया का उत्पीड़न

*19--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हसनै खान (पूर्व अवर अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर अब छुट्टी पर) ग्राम व पोस्ट देवरिया, बुद्धू खां, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश के उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रधान मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय के पत्र संख्या 304819, दिनांक 22-2-80 व 318655, दिनांक 24-6-80 को मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन कार्यालय से सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश को उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया था? जांचोपरान्त उनमें से कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयी और उनके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

प्रधान मंत्री भारत सरकार की नई दिल्ली के कार्यालय के कथित पत्र उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

प्रधान मंत्री ने जो यह पत्र दिया था कि शिकायत की जांच की जाय उसको उन्होंने आपके मुख्य मंत्री के पास आपके दिल्ली स्थित कार्यालय में भेजा । वहां के महामहिम तो नहीं कहना चाहिए अनुसचिव महोदय ने यह सूचना दी कि वह स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को भेज दिया गया है । आप मना कर रहे हैं कि इसका प्रश्न नहीं उठता । हमारा अन्दाजा यह है कि क्या यह गलत पत्र है या आपको सूचना गलत है और जिन अधिकारियों ने यह सूचना आपको दी है कि कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जो सूचना मेरे पास उपलब्ध थी वहां से आपको दी लेकिन आपके पास जो सूचना इसके विरोध में उपलब्ध है उससे मुझे अवगत करा दीजियेगा और अगर वह सूचना जानबूझ कर गलत दी गयी है तो आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

श्री रुद्रप्रताप सिंह--

मेरी सूचना को सही मान कर जो लिखित रूप में मेरे पास है क्या माननीय मंत्री इस पर कार्यवाही करेंगे कि शासन को इतना समय गलत सूचना देकर क्यों बरबाद किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मैं इसकी छानबीन करूंगा कि किसने जानबूझकर धोखा दिया है ।

शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में फर्जी राशन कार्डों की जांच

*20-श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री नाजिर अली--

क्या खाद्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के कस्बे तिलहर खास में पिछले कई वर्षों से राशन कार्डों एवं यूनिटों की विधिवत् जांच

तथा पड़ताल नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या शासन शीघ्र उपरोक्त राशन कार्डों व यूनिटों की जांच करवाकर स्थानीय पूर्ति कार्यालय के संबंधित दोषी कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

शासनादेश संख्या 14372-493-आयुक्त/शिकायत/इलाहाबाद-ई-76, दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 के अनुसार जनपद शाहजहांपुर में कस्बा तिलहर के अन्तर्गत बने राशन कार्डों की जांच पड़ताल माह जून तथा जुलाई, 1976 में अभियान के रूप में करायी गई थी और बोगस राशन कार्डों तथा फर्जी यूनिटों का समूल उन्मूलन किया गया था। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या 4763/उनतीस--खाद्य--6-17-80, दिनांक 23 मई, 1980 के अनुपालन में माह जून, 1980 में कस्बा तिलहर के अन्तर्गत बने राशन कार्डों की जांच पड़ताल कराई गई तथा जांच के फलस्वरूप 31 राशन कार्ड तथा 117 यूनिट निरस्त किये गये। अब महा अभियान के रूप में यह कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

श्री सत्यपाल सिंह--

जब सारे कस्बे की जांच करा ली और यह जांच पूरी हो गयी है तो माननीय मंत्री ने अन्त में जो यह उत्तर दिया है कि अब महा अभियान के रूप में यह कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है तो इस महा अभियान की परिभाषा क्या है और फिर दुबारा जांच कराने की जरूरत क्या पड़ गयी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

जब से मैंने चार्ज संभाला तो यह महसूस हुआ कि वाकई हर जगह गलत कार्ड बने हैं और महा अभियान इसीलिये चलाया गया है कि उसमें फिर कोई शिकायत प्राप्त होगी और अफसरों की भी अगर शिकायत मिली तो उसे भी सजा दी जायगी।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ की ट्रांसपोर्ट नगर योजना

**1--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित ट्रांसपोर्ट नगर जो सरकार ने बनाया है क्या वह बन कर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो उसमें कब तक स्थानान्तरण होगा ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्थानान्तरण न होने से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत 199 एकड़ भूमि पर ट्रान्सपोर्ट नगर योजना तैयार की गई थी। जनवरी, 1979 से इस योजना पर विकास कार्य प्रारम्भ किया गया था जो अधिकतर पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

इस योजना में भूखंडों के आवंटन हेतु प्रथम बार 30-6-80 को प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे तथा 700 फार्म बिके थे। द्वितीय बार 2-7-80 को पंजीकरण खोला गया था और 36 फार्मों का विक्रय हुआ था। कुल 736 फार्मों

के विरुद्ध केवल 46 फार्म अग्रिम धनराशि सहित प्राप्त हुए । आवश्यक जांच के उपरान्त उन सभी संबंधित व्यक्तियों से ट्रक का लाइसेन्स मांगा गया । लेकिन केवल पांच फर्मों ने लाइसेन्स प्रस्तुत किया जिनको भूखन्ड का आवंटन कर दिया गया है ।

ट्रान्सपोर्ट्स द्वारा कुछ नई शर्तें जैसे लीज रेन्ट में कमी, भू-उपयोग में परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में मांगे प्रस्तुत किये जाने के कारण तथा स्थिति को विवाद ग्रस्त बना देने के कारण अभी भूखंडो का निस्तारण नहीं हो पाया है । इस सम्बन्ध में आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष विकास प्राधिकरण के स्तर पर निस्तारण हेतु बैठक हो रही है । इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा व्यय किये गये धन का रिटर्न न मिलने के कारण इस योजना में लगाया गया धन अवरुद्ध है जिससे ब्याज के रूप में आर्थिक हानि अवश्य हो रही है । ट्रान्सपोर्ट्स के उक्त विवाद का हल होते ही इकट्ठा धनराशि प्राप्त हो जाएगी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

उत्तर के पैरा नं0 3 पंक्ति 6 में माननीय मंत्री ने कहा कि "इस सम्बन्ध में आयुक्त, लखनऊ मंडल, अध्यक्ष विकास प्राधिकरण के स्तर पर निस्तारण हेतु बैठक हो रही है ।" इसकी ओर काफी ध्यान सरकार का और जनता का लगा हुआ है तो मैं यह जानना चाहती हूं कि जो इस प्रकार की बैठकें हो रही हैं ये कब से हो रही हैं और कब खत्म होंगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, पूरी व्यवस्था मैंने आपको अपने उत्तर में बता दी । आपका यह जानना कि यह कब तक हो जायेगा उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसको हम शीघ्रातिशीघ्र कराने की कोशिश करेंगे ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

आपने उत्तर के आखिरी लाइन्स में लिखा है कि ट्रांन्सपोर्ट्स के उक्त विवाद का हल होते ही इकट्ठा धनराशि प्राप्त हो जायेगी तो मैं जानना चाहती हूं कि वह कौन से तरीका आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें इतनी लम्बी धनराशि जो खर्च होगी वह इकट्ठा आपको प्राप्त हो जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, यह ट्रान्सपोर्ट्स की सुविधा के लिये बनाया गया है और उनसे बातचीत चल रही है कि वे शहर से न आवें वहीं पहुंचे । कुछ दिक्कतें हैं उनको सुलझाने में देर लगी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि जब मंत्री जी बता रहे हैं कि ट्रान्सपोर्ट्स का उक्त विवाद हल होते ही उन्हें इकट्ठा धनराशि प्राप्त हो जायेगी, तो कृपया वे यह बतायें कि कौन सा ऐसा उपचार वे करेंगे जिससे यह सारी धनराशि उन्हें प्राप्त हो जायेगी ?

श्री रामसिंह खन्ना--

मान्यवर, जैसे ही यह तय हो जायेगा, ट्रान्सपोर्टर्स उसे करा लेंगे, काम शुरू हो जायेगा, वे धन जमा कर देंगे और इस तरह से रुपया आ जायेगा।

श्री जैराज गौतम--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह ट्रांसपोर्ट नगर बनवाया है उसमें कुल कितना धन खर्च हुआ है ?

श्री रामसिंह खन्ना--

इसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च हुआ है जिसमें जमीन की कीमत, सड़क, रोशनी पानी आदि की व्यवस्था शामिल है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विवाद चल रहा है ट्रांसपोर्ट के लोग हैं और सरकार के बीच में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल्य के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है कि सरकार ने जिस कीमत पर बनाया है उसे बढ़ाया जाय अथवा कोई और विवाद है ? क्या मन्त्री जी इसको स्पष्ट करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

लीज रेन्ट का विवाद है और कीमत का भी विवाद है । जैसे ही यह सारा विवाद हल हो जायेगा समस्या का समाधान हो जायेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, स्पष्ट नहीं हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकार की उस पर लागत लगी हुई है उतना ही पैसा ट्रांसपोर्ट वालों से लेना चाहते हैं अथवा कुछ मुनाफे पर लेना चाहते हैं, किस तरह का विवाद है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

विवाद लीज रेन्ट पर रह गया है कि 1 प्रतिशत लिया जाय या 3 प्रतिशत लिया जाय ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है शीघ्रातिशीघ्र कर देंगे। यही उनका उत्तर हुआ करता है हमेशा के लिये । माननीय मन्त्री जी बता दें कि शीघ्रातिशीघ्र की क्या परिभाषा वे समझते हैं क्या वर्तमान सदन की जो अवधि है साढ़े चार साल वह शीघ्रातिशीघ्र अवधि है अथवा कोई और ?

श्री रामसिंह खन्ना--

साढ़े चार वर्ष हो या कोई और अवधि हो, यह सरकार चलती रहेगी और लोग बैठते रहेंग । लेकिन प्रजातंत्र के अन्दर कानून की हुकूमत है । तलवार और ताकत के बल पर हम कोई काम नहीं करना चाहते । कानून की व्यवस्था खत्म नहीं होगी । इसका नतीजा हम देख चुके ह इसलिये हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ।

जनता 'शाप' योजना अन्तर्गत नियन्त्रित कपड़ों की बिक्री

**2--डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा चलाई जा रही जनता शाप में खरीददार के लिए कन्ट्रोल कपड़े के साथ ही गैर-कंट्रोल का कपड़ा खरीदना अनिवार्य बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

जी नहीं ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

मान्यवर, यह हमारे मंगलमयी 20 सूत्री कार्यक्रम में भी कहा गया है कि गरीब लोगों के लिये सस्ते दामों पर कपड़ा मिल सके इसलिये जनता शाप्स खोले गये । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सत्य मानते हुये इन जनता शाप्स में कंट्रोल रेट के कपड़े के साथ-साथ गैर कंट्रोल रेट के कपड़े को लेने के लिये बाध्य किया जाता है । यदि ऐसा है तो क्या अधिकारियों की साजिश की जांच करायेंगे और क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सम्बन्धित निगम द्वारा इस वर्ष या पिछले वर्ष जो भी आंकड़े उनके पास हों कितना कंट्रोल का और कितना गैर कंट्रोल का कपड़ा दिया गया है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, आवश्यक वस्तु निगम द्वारा कोई ऐसे आदेश नहीं दिए गए हैं कि नियंत्रित कपड़े के साथ अनियंत्रित कपड़ा दो । दूसरा, कोई कंप्लेन्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है किसी क्षेत्र से। जहां तक बिक्री किए गए कपड़े का ताल्लुक है वह इस प्रकार है । एक जनवरी से 31 अगस्त तक नियंत्रित कपड़े की बिक्री 1,7,84,796.00 रु0 और अनियंत्रित कपड़े की बिक्री 22,46,293.00 रु0 है। तो दोनों की बिक्री में इतना अंतर है तो यह बताता है कि कोई आदेश नहीं है ।

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय--

इस निगम द्वारा मंत्री जी बतायेंगे कि आपको घाटा है या मुनाफा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इसमें कहां से आता है ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि महिला मंजिल उपभोक्ता सहकारी समिति का एक शिकायती-पत्र उनको मिला है जो आज से 10 दिन पहले आपसे मिले भी थे जिसमें उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि कंट्रोल के कपड़े के साथ बिना कंट्रोल का कपड़ा लेना होगा ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, यह कंट्रोल का कपड़ा जो है कम आता है उसमें से 15 परसेंट वस्तु निगम को मिलती है और 85 परसेंट कपड़ा सहकारी विभाग द्वारा बेचा जाता है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, नियंत्रित कपड़े के साथ अनियंत्रित कपड़ा लेने के लिए बाध्य करते हैं क्या इसकी शिकायतें मंत्री जी के पास पहुंची हैं ? मेरी निश्चित जानकारी है कि उनके पास इस बात की शिकायत की गई तो क्या मंत्री जी ने उसके लिए कदम उठाया, जबरदस्ती वह कपड़ा देते हैं ? मैंने महिलामंजिल सहकारी समिति का नाम लिया था जिसने मंत्री जी को पत्र लिखा था ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अलग प्रश्न हो गया ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मैंने इसके अतिरिक्त भी प्रश्न किया था कि खाद्य तथा वस्तु निगम के माध्यम से जो नियंत्रित कपड़ा बेचा जाता है उसके साथ दूकानदार अनियंत्रित कपड़ा लेने के लिए बाध्य करते हैं । क्या ऐसी शिकायतें मंत्री जी को या उनके विभाग को मिली हैं, उस पर क्या कार्यवाही मंत्री जी ने की ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मैंने कहा ऐसे कोई आदेश नहीं हैं परन्तु फिर भी कोई शिकायत होगी तो इन्क्वायरी करेंगे । इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 85 प्रतिशत कपड़ा जो नियंत्रित मूल्य का है उसको सहकारी भंडारों को भेज देते हैं और केवल 15 प्रतिशत कंट्रोल का कपड़ा आवश्यक वस्तु निगम की दूकानों से बेचते हैं । तो जो 85 प्रतिशत सहकारी भंडारों में बेचते हैं वह सारा कपड़ा चोर-बाजारी में बेचा जाता है और दूसरी दूकानों में चला जाता है । मेरी यह निश्चित जानकारी है मैंने खुद पिछले चुनाव में झंडा बनाने के लिए वही कपड़ा बाहर दूकानों से खरीदा । तो क्यों 85 परसेंट उनको देते हैं इसे भविष्य में नियंत्रित कपड़े की दूकानों से बेचने का प्रबंध करेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, यह जो तकसीम है उसके मुताबिक जो हमारे पास कपड़ा आयेगा उसको पूरा बांटने की कोशिश करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो तकसीम है वही गलत है । आप इस पर क्या सोच रहे हैं ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

इसको फिर सोच लिया जायेगा । अभी तक यही निर्णय है ।

श्री हुकम सिंह--

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुछ क्वार्टर का जिक्र किया, पता नहीं किस संदर्भ में किया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शासन की तरफ से कोई प्रतिबन्ध इस प्रकार का है कि सस्ते कपड़े की दूकानों पर सिर्फ कंट्रोल रेट का कपड़ा जो सरकार सप्लाई करेगी वही बेच सकेंगे इसके अतिरिक्त कपड़ा नहीं बेच सकेंगे या नहीं, क्या इस प्रकार का प्रतिबन्ध रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

जितना तेज उत्तर आता है उतना तेज प्रश्न भी कर रहे हैं ।
(श्री जोराज सिंह मौर्य के खड़े होने पर)

यह खाद्यान्न के कंट्रोल की दूकान नहीं है । एक बार प्रश्न पर नाम बुलाया गया । आप नहीं आये । तो दोबारा नहीं लिया जा सकता । बैठ जाइए । नहीं लिया जा सकता है । नियम के अन्दर नहीं आता है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी बात कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो निगम की दूकानें आपके कंट्रोल रेट का कपड़ा बेचती हैं क्या शासन की तरफ से कोई प्रतिबन्ध इन दूकानों पर है कि बजाय कंट्रोल रेट के कपड़े के और यह जो कपड़ा सरकार द्वारा सप्लाई किया जाय उसके अतिरिक्त कोई कपड़ा या अन्य वस्तु नहीं बेच सकेंगी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, यह समस्या उत्पन्न हुई कि यह स्टोर कैसे चले क्योंकि इन पर नियन्त्रित कपड़ा बहुत कम मिलता है । इसको चलाने के लिए बोर्ड ने फैसला किया कि इसके ऊपर दूसरा कपड़ा भी वह भी बाजार से 25 परसेंट कम है, ऊनी कपड़ा और सूती कपड़ा जो उस तबके के लोग हैं, वह खरीदना चाहते हैं, बाजार से 25 परसेंट कम पर मिलता है, क्योंकि नियन्त्रित कपड़ा बहुत नहीं है, यह कपड़ा भी इन दूकानों पर बेचा जाय । लेकिन प्रतिबन्ध कोई नहीं है कि कौन सी चीज वह बेचें । जो प्रतिबन्ध है वह यह कि पांच सौ से ऊपर इनकम वाले केवल कौसं प्रिंट खरीद सकते हैं और पांच सौ से नीचे इनकम वाले 10 मीटर सफेद लट्ठा या मारकीन तथा एक जोड़ा धोती तीन महीने में खरीद सकते हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह सस्ते कपड़े के खरीदने की व्यवस्था आपने शहरों में कर रखी है या ग्रामीण अंचलों में भी यह व्यवस्था कर रखी है ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

हमारे 71 स्टोर हैं । कुछ पहाड़ी क्षेत्र में हैं और जन-जाति इलाकों में हैं, 51 अरबन इलाके में हैं ।

अतारांकित प्रश्न

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारचूला, जिला पिथौरागढ़ के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत

1--श्री चारु चन्द्र ओझा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारचूला में भवन की छत 1974 में तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी ? यदि हां, तो क्या छत की मरम्मत कर दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारचूला का मुख्य भवन नहीं, बल्कि उसके प्रांगण में स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के भवन की छत दिनांक 7 जून, 1974 को तूफान के कारण उड़ गई थी । उक्त छत की मरम्मत कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण निर्वाचन क्षेत्र बयालसी, जौनपुर में मकानों तथा फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुयीं जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकृत हुयी शेष सब अस्वीकृत हुयी हैं । अब मैं एक-एक करके सूचनाएं लेता हूं ।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--

आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जौनपुर जनपद में बयालसी क्षेत्र में सई और गोमती नदियां बहती हैं । इन दोनों नदियों का संगम भी इसी क्षेत्र के रजेपुर ग्राम में पड़ता है । गत 17 जुलाई, 1980 से लेकर अब तक इन नदियों में भीषण बाढ़ आई हुयी थी । बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के धनेजा बिशुनपुर, मझोरा, किराव, थान, सरकोनी, बोवनमऊ, बहादुरपुर इजरी, भटेहरी, भगरी, राजेपुर, हैदरपुर, सखाई शिवपुर, लाटनपुर समेपुर, बेलाव, केवटी, पटखौली आदि गांव लगभग 2 महीने पानी में डूबे रहे । इन गांव के सैकड़ों मकान या तो धराशायी हो गये या तो पानी की धारा में बह गये । हजारों बेघर बार लोग या तो पेड़ों की छाया में या तो सार्वजनिक स्थानों पर शरण लिये हुये हैं । पानी की तेज धारा में इस क्षेत्र में तीन व्यक्ति नाव दुर्घटना में, दो मकान में दब कर और एक पानी में डूब कर मर गये चपकाली और हैदरपुर आदि गांव के सभी घर नदी की तेज धारा में विलीन हो गये । इन गांवों की खरीफ की सारी फसल भी नष्ट हो चुकी है । रबी की भी बुआई इनमें सम्भव नहीं है । लगभग 3 महीने तक पानी में डूबे रहने के कारण इन खेतों में अभी भी झील का दृश्य बना हुआ है । इस प्रकार सारी फसलें नष्ट हो जाने से जहां मनुष्यों के सामने अन्न की भीषण समस्या है वहीं पशुओं के चारे की भी विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रबी की बुआई के लिए बीज भी इनके पास उपलब्ध नहीं है । कुओं में नदी का पानी भर जाने से पेयजल की भी समस्या है । पानी में डूबे रहने से घरों में सड़न और दुर्गन्ध व्याप्त है, और लोग भयंकर बीमारियों से आक्रान्त हैं ।

अतः आपके माध्यम से इस अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में ला कर सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस विपत्तिग्रस्त लोगों को राहत पहुंचायी जाय ?

सीतापुर नगर में बिजली की आपूर्ति के कारण पीने के पानी के संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि गत एक सप्ताह से सीतापुर नगर में बिजली आपूर्ति की दशा अत्यन्त दयनीय है जिसके कारण पीने का पानी तक मिलना दूभर हो गया है ।

मान्यवर, 24 घंटों में मात्र किसी समय 1-2 घंटे के लिए बिजली आती है । परिणाम स्वरूप रात्रि के अंधकार तथा कल कारखाने ठप्प हैं । आटा पीसने की चक्कियां तक बन्द होने से आटा तक नहीं पिस पाता है । साथ ही पीने का पानी का मिलना तक दूभर हो गया है । एक-एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं । जहां कहीं कुएं हैं, वहां भारी भीड़ होती है, झगड़े भी हो जाते हैं ।

बिजली विभाग के अधिकारियों से बराबर सम्पर्क किया गया परन्तु कोई परिणाम नहीं निकल । स्थिति विस्फोटक हो रही है ।

अतएव लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर बिजली मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर उचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं ।

देवरिया जनपद के कतिपय थानों के थानाध्यक्षों एवं पुलिस कर्मचारियों द्वारा एनकाउन्टर दिखा कर पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के कई व्यक्तियों को मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय--

देवरिया जनपद में 1 जून, 1980 से अब तक पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के 2 दर्जन लोगों को पुलिस गोली से मार कर मौत के घाट उतार दिया । पुलिस चौकी भलुवनी के इंचार्ज ने एक भोखमंगे तथा राजेन्द्र दोनों को पकड़ कर थाने लाई तथा रात में डकैत-पुलिस मुठभेड़ की नौटंकी करके दोनों को गोली से उड़ा दिया गया । इसके पश्चात् उन्हें थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी बना दिया गया । बहुत दिनों से निलम्बित एक सब-इन्सपेक्टर को भानुबनी का इंचार्ज बनाया गया । वहां पहुंचते ही नूनसार के स्टेशन से राजेन्द्र चौरसिया तथा घर से बंका दुसाध को पकड़ कर हवालात में बन्द कर दिया गया परन्तु ग्राम पौनार तथा खुखुन्दु क्षेत्र के सैकड़ों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिवंश सहाय---]

आदमी पहुंच कर पुलिस चौकी मलुवनी को घेर लिए तब किसी तरह से राजेन्द्र चौरसिया की जान बची लेकिन बंका दुसाध को कहीं ले जा कर मौत के घाट उतार दिया गया। अब इन्हें भी प्रोन्नत करके थानाध्यक्ष बरहज बना दिया गया। बरहज पहुंचते ही उन्होंने केदार केवट को पकड़वा मंगाया तथा रात में इन काउन्टर करके जान से मार डाला गया। दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 को सतरांव स्टेशन पर गोबिन्द कोहरी को थाना बरहज की पुलिस पकड़ी तथा रात में एन काउन्टर होने जा ही रहा था तब तक विभिन्न दलों के दर्जनों लोग पहुंचे तब गोबिन्द कोहरी की जान बची लेकिन इनका हाथ पैर मार कर तोड़ दिया गया। गोबिन्द कोहरी के दुश्मनों ने 15 हजार रुपया बरहज की पुलिस को दिया है। निकट भविष्य में बरहज की पुलिस या दूसरे थानों के पुलिस से गोविन्द कोहरी को गोली से उड़ा दिया जायेगा। बरहज पुलिस ने 6 अक्तूबर को एक आदमी को एन काउन्टर कर दिया है। थाना खुखुन्दु ग्राम बकुची के कटरा गौड़ को घर से पकड़ कर थाना खुखुन्दु ले जाया गया तथा रात में उसे गोली से उड़ा दिया गया। कटरा गोड़ की दुश्मनी गांव के ही असरदार आदमियों से चल रही थी। मौका मिलते ही उसे मरवा दिया गया। थाना क्षेत्र बनकटा के रामबली यादव से जमीन का मुकदमा एक असरदार आदमी से चल रहा था। पुलिस से पकड़वा कर थाना भेज कर उसको जान से मरवा दिया गया। थाना बनकटा ग्राम भैंसही के यहां शिवपूजन गिरि को मारने हेतु पुलिस को दस हजार रुपया मिल चुका है वह निकट भविष्य में मरे जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त गोरखपुर के तीन छात्रों को दीवार में पकड़ कर सलेमपुर में लाया गया तथा उन्हें गांवों में ले जा कर जान से मार डाला गया। श्री सुखदेव यादव थाना भटनी, परमहंस कोहरी थाना खामकर, रामसरीखा नोनिया थाना ननकटा, हुल्लड़ सटीक थाना रामकोला कोपट मिश्रा थाना तुर्क पट्टी, गाजरमनिया थाना बरतेवा, राज मंगल भर थाना रुद्रपुर आदि दर्जनों लोगों को पुलिस डकैत मुठभेड़ में मारा गया।

देवरिया जनपद में असरदार लोगों से रुपया लेकर उनके दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। केवल पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लोगों को ही मारा जा रहा है। जिससे पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों में भय तथा आंतक का वातावरण उपस्थित हो गया है। इन बातों को उठाने से मुझे भी पुलिस क्षति पहुंच सकती है ऐसी मुझे सूचनायें मिल रही हैं। अस्तु आज सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मन्त्री से मांग करता हूं कि सभी एन काउन्टरों की जांच सी० बी० आई० से कराकर पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लोगों में न्याय का विश्वास दिलाने तथा जिन मजिस्ट्रेटों ने आंख मूंद कर पुलिस के कुकर्म पर मुहर लगाया है उनकी भी जांच करवावें तथा न्याय न मिलने पर पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लोगों में विद्रोह की भावना जागृत होगी जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी।

निर्वाचन क्षेत्र बांह के ग्राम कोट के लोक दल के कार्यकर्ता श्री दाऊ दयाल पचौरी की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्वाचन क्षेत्र बाह के ग्राम कोट के लोक दल के कार्यकर्ता श्री दाऊ दयाल पचौरी की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

क्षेत्र बाह के ग्राम कोट, थाना बाह के श्री दाऊ दयाल पचौरी जो लोक दल के प्रमुख कार्यकर्ता और दल के वरिष्ठ साथी की, कांग्रेस (आई०) के भू० पू० प्रत्याशी श्री अमर चन्द्र शर्मा के भाइयों श्री राजेन्द्र व डब्बल ने अपने चचरे भाइयों के साथ मिल कर दिनांक 2-10-80 को सायं लगभग 6 बजे अपने खेत पर लाठियां और गोलियों से भून कर हत्या कर दी । इस घटना को अकेले बाह के क्षेत्र को नहीं अपितु पूण जनपद कों झकझोर दिया है । यदि इस सम्बन्ध में शीघ्र न्याय संगत कार्यवाही नहीं की गयी तो सम्पूर्ण जनपद में लोक दल का व्यापक आन्दोलन छिड़ जायेगा और तब शासन की एक विशेष प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा । अत: मेरा शासन से विनम्र अनुरोध है कि स्थानीय पुलिस को, कांग्रेस (आई) के किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर न्याय पूर्ण, विधि समस्त कार्यवाही में किंचित मात्र भी न तो विलम्ब किया जाय और उसमें न कोई किसी प्रकार का व्यवधान डाला जाये । कातिलों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और उन्हें कानून के हवाले किया जाय । दुर्भाग्य है कि अभी तक इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

ग्राम नगला बीरबल तथा बड़पुरा के हरिजन निवासियों को दस्यु बलवीर सिंह द्वारा सताये जाने तथा हरिजनों को लाइसेन्स न दिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्पीड़ित हरिजनों को राहत मिल सके । ग्राम नगला बीरबल, थाना बड़पुरा में दिनांक 16-7-1979 व 21-8-1979 के डकैती एवं सामूहिक हत्याकाण्ड से उत्पीड़ित हरिजनों ने दस्यु बलबीर सिंह का मुकाबला करने एवं आत्म सुरक्षा हेतु बन्दूकों का लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए विभिन्न तारीखों में कई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश व प्रान्तीय सरकार को दिये, किन्तु इन्हें हरिजन विरोधी सी० ओ० पुलिस श्री राठौर की दस्यु बलबीर सिंह से सांठगांठ होने के कारण लाइसेन्स नहीं दिये गये । अन्त में जिला अधिकारी, इटावा ने हरिजनों को बन्दूक का लाइसेन्स देने की संस्तुति कर दी, किन्तु पुलिस विरोध के कारण उन्हें अब तक लाइसेन्स नहीं दिये गये । 13-9-1980 को दस्यु बलवीर सिंह का पत्र निरंजन लाल जाटव को 70 हजार रुपये देने का मिला, जिसे पुलिस कप्तान को व जिला अधिकारी को भेजा गया । कहा जाता है कि इन दरखास्तों की खबर दस्यु बलबीर सिंह को हो गयी, फलस्वरूप उसने 30-9-1980 को उक्त ग्राम के लाला राम जाटव पुत्र श्री दुन्डीलाल हरिजन का अपहरण कर लिया । जब पीड़ित हरिजन रिपोर्ट करने बड़पुर थाने गये तो अपहरण की रिपोर्ट नहीं लिखी और न उनकी निशानदेही पर दस्यु बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर पकड़कर छुड़ाने का प्रबन्ध ही किया । फलस्वरूप उक्त गांव के हरिजन, दस्यु बलबीर सिंह के आतंक व भय से तथा पुलिस उदासीनता से त्रस्त होकर उक्त गांव से पलायन कर रहे हैं और गांव वीरान होने जा रहा है ।

अतः सरकार से मांग है कि उक्त ग्राम के उत्पीड़ित हरिजनों की पूर्ण सुरक्षा की जाय और उन्हें जिला अधिकारी की संस्तुति के अनुसार आत्मरक्षार्थ बन्दूक आदि लाइसेन्स प्रदान किये जायं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

औचित्य का प्रश्न अभी नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, 1 मिनट मुझे सुन लें ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को पारित किया गया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को वापस प्राप्त हो गया है ।

विधान परिषद् में पुलिस के प्रवेश पर औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, कल विधान परिषद् में इस राज्य सरकार ने पुलिस भेज कर जो नृशंसता का, अत्याचार का परिचय दिया है, क्या वहां के माननीय सभापति किन्हीं परिस्थितियों में पुलिस का प्रवेश वहां पर करा सकते हैं ? आपकी व्यवस्था पर, आपके मत पर किंचितमात्र मुझे आपत्ति नहीं है । इस प्रश्न के बारे में मैं पूर्व दृष्टांत की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस बारे में इस सदन में कई बार चर्चा भी हो चुकी है, उस समय जब पूर्व अध्यक्ष माननीय आत्माराम गोविन्द खरे जी थे । इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन भी हुआ था । उस समय मुख्य मन्त्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी थे । नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह जी थे और माननीय रियासत हुसैन और माननीय वासुदेव सिंह समिति के सदस्य थे । उस पहलू पर विस्तार के साथ विचार किया गया कि इस सदन में पुलिस बुलायी जाय कि न बुलाई जाय । वह समिति 1970 में गठित हुई थी, 27 दिसम्बर, 1970 को विचार करने के बाद उसने एक रिपोर्ट दे दिया । उस रिपोर्ट में स्पष्टरूप से यह कहा गया है कि सदन में सदस्यों को हटाने के लिए किसी भी दशा में पुलिस न बुलाई जाये और अगर बल प्रयोग की आवश्यकता हो, तो केवल रक्षकों का ही प्रयोग किया जाय, जो पूर्णकालीन विधान सभा के कर्मचारी होंगे और मार्शल के अधीन कार्य करेंगे और माननीय, रिपोर्ट ही नहीं हुई, उस रिपोर्ट को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार भी किया और उसके फलस्वरूप 20 विधान सभा रक्षकों की नियुक्ति भी हुई । माननीय, बजाय राज्य सरकार पुलिस बुलाकर राज्य विधान मन्डल के सम्मानित सदस्यों के अधिकारों और मान मर्यादा का हनन करने का मौका न मिल जाए, इसलिए यह विधान सभा रक्षकों की नियुक्ति की गई थी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कल स्थिति विधान परिषद् में उपस्थित हो गई थी, वह यहां भी किसी दिन हो सकती है । इसलिए इस दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप शासन को निर्देश दें कि भविष्य में विधान मन्डल के अन्दर पुलिस का प्रवेश नहीं होना चाहिए और जिन अधिकारियों द्वारा ऐसा किया गया है, उन अधिकारियों से सरकार तत्काल क्षमा याचना के लिए कहे और उन्हें भी यथासम्भव दन्डित भी किया जाना चाहिए, जिन लोगों ने शासन की मन्शा के विपरीत ऐसा कार्य किया और अगर किसी माननीय मन्त्री या माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा ऐसा किया गया है तो उन्हें भी इस गलत और नृशंस कार्य के लिए क्षमा याचना करनी चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कल जैसे ही विधान परिषद् में पुलिस प्रवेश का मामला उठाया गया था, तो आपने दो व्यवस्थाएं दी थीं । व्यवस्था पहली आपकी यह थी कि यह ग़लत बात है, पुलिस उस सदन में चली गयी । पुलिस के निकम्मेपन की जो बात····

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैंने कहा ? कृपया पूरा अंश पढ़कर सुनाइये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

हां, मान्यवर, सुन लीजिए । पेज.नं0 39 पर है । "यह गलत बात है । पुलिस उस सदन में चली गई । पुलिस के निकम्मेपन की जो बात आपने कही, वह जरूर ध्यानाकर्षण की बात है । इस विषय में आप लिखकर दें, हम जानकारी करायेंगे ।" मान्यवर, आपने यह व्यवस्था दी थी कि यह गलत बात है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह गलत बात है, इसके पहले का भी पढ़िये, संदर्भ और प्रसंग सहित पढ़िये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था से पहले एक सदस्य ने यह कहा कि "इस सरकार की निकम्मी पुलिस, उन्हें घसीट कर बाहर लायी, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी सदन का वाक-आउट कर रही है ।" इस बात पर आपने व्यवस्था दी कि यह गलत बात है, पुलिस इस सदन में चली गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह इसके साथ जुड़ी बात पर हमने कहा और आपने जो एक सदस्य ने पुलिस के निकम्मेपन की बात कही, उसको केवल हमारी बात का ही रूप दे दिया, यह गलत बात है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

नहीं, मान्यवर, जिस सदस्य ने कहा, उस पर आपने यह कहा और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बात उठाई थी, उस पर उनसे आपने कहा था कि लिखकर दे दें । यह पुलिस के निकम्मेपन के कारण ध्यानाकर्षण की बात जरूर है और गुप्त जी ने लिखकर भी दे दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पेज नं0 39 फिर से पढ़िए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इस विषय में आपने कहा था कि लिखकर दे दें, जानकारी करायेंगे और जब जांच की बात आई तो....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, आप बैठें । माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें । व्यवस्था पर सदन में बहस नहीं होती । इसलिए आप यहां बहस नहीं कर सकते हैं, यह सदन की गलत परम्परा पड़ रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यदि कोई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग हो गया हो तो उसे मैं वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था पर बहस संसदीय परम्परा के प्रतिकूल है, मैं इजाजत नहीं देता । श्री प्रदीप कुमार जी आपने औचित्य के प्रश्न पर उसी के नीचे दस्तखत किया है जो वर्मा जी ने अन्तर विरोधी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उठाने की अनुमति चाही थी । यह मेरा सौजन्य है कि मैंने वर्मा जी को इतना सुनने के बाद बैठने को कहा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह नियम 56 में आने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ओझा जी, यह मेरी आदत नहीं है कि आपको खांसी आने वाली हो तो मैं मुंह बा के खड़ा हो जाऊं ।

श्री मोहन सिंह--

अगर छींक आने वाली हो तो ?

श्री उपाध्यक्ष--

बे वक्त की छींक को भी अंगुली से रोका जा सकता है ।

माननीय गुप्त जी, आपने अपने औचित्य के प्रश्न में सब चीजों के लिखाने के बाद यह माना है कि दूसरे सदन में क्या हुआ, इस पर इस सदन में चर्चा नहीं करना चाहिये । आपने मेरे भाषण को भी कहा । आप मेरे भाषण को पढ़ें । मैंने आपको बताया है कि सदन में पुलिस किन-किन अवसरों पर आ सकती है, आती रही है । मैंने जिस जमाने की बात कही थी, उस जमाने में आपने जिन

माननीय सदस्यों का नाम लिया, उसमें एकाध दो जरूर थे, एकाध नहीं थे। मैं यह नहीं बताना चाहता हूं कि कौन नहीं थे। जब पुलिस इस सदन में आई थी उस समय भी मैं सदस्य रहा, उसके पहले भी था और आज भी हूं।

अनेक सदस्य—

आगे भी रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

रहूंगा यदि आप लोग इस निर्णय को मान लें कि उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई चनाव न लड़े।

(हंसी)

किन-किन दशाओं में पुलिस सदन में आ सकती है, किन-किन दशाओं में पुलिस को सदन में पीठासीन अधिकारी बुला सकते हैं, कब-कब पीठासीन अधिकारी बल प्रयोग करने का निर्देश दे सकते हैं यह पूरा मैंने अपनी कल की व्यवस्था में कहा है। उसके बाम की कमेटी का जिक्र आपने किया और उसके बाद की कमेटी के निर्णय का जिक्र किया और माननीय खेर साहब की बात कही। वह 3 बार इस पीठ के पीठासीन अधिकारी रहे, पहले बीच में नहीं थे और बाद में। जिस घटना का आपने बयान किया वह उनके उतरार्द्ध की बात है। उसके बाद आपके सदन में विधान सभा रक्षक नियुक्त किए गए। विधान सभा रक्षकों की नियुक्ति के बाद आपके सदन में पुलिस के आने का कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। इसलिए आपके मन में जो आशंका उत्पन्न हुई वह केवल कल्पना मूलक है। उसमें कोई तथ्य नहीं लग रहा है। आपने ध्यान आकृष्ट किया, यह मैं मानता हूं कि जिससे आदमी प्यार करता है, प्यार में आशंका होती है। आप संसदीय प्रथाओं से प्यार करते हैं और आप पीठासीन अधिकारी से भी प्यार करते हैं और प्यार की वजह से आपके मन में ऐसी आशंका उत्पन्न हो गई है। लेकिन आपको मैं उस तरफ ले जाना चाहता हूं जहां आप स्वयं जा चुके हैं और फिर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ऐसा फैसला हुआ और विधान सभा रक्षक रखे गये इसका मतलब इस सदन की व्यवस्था को चलाने के लिए विधान सभा रक्षकों की नियुक्तियां हो गयीं और तब से कोई ऐसी स्थिति आयी नहीं। तो आशा करता हूं कि आगे भी होने वाली नहीं है। ऐसी दशा में आपकी यह कल्पना मूलक आशंका आधार युक्त नहीं लग रही है। इसलिए ध्यान आकर्षण तो हो गया, लेकिन इसके आगे और कोई आकर्षण की आवश्यकता नहीं रह गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधायक के नाते इस सदन की ही बात हमारे सामने नहीं है। राज्य सरकार के किसी भी ऐक्शन के बारे में मत व्यक्त कर सकते हैं। मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि अगर राज्य सरकार ने पुलिस भेजी तो उसे क्षमा याचना करनी चाहिए और भविष्य में ऐसा न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

कल की जो बात आप कर रहे थे, वह उस सदन की घटना के सम्बन्ध में थी, उसके सम्बन्ध में निर्देश का होना उचित नहीं है। लेकिन अगर कोई आप विशेष ध्यानाकर्षण का प्रश्न इस तरह का ले आये होते तो सम्भव होता, ऐसा निर्देश होता। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अगर आपस में बात न करें तो मुझ पर अनुग्रह करेंगे।

आयुक्त, आगरा मण्डल के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने से सम्बन्धित औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक दूसरा भी मैंने औचित्य का प्रश्न दिया था। विगत दिवस जिसमें यह मामला उठा, मोहन सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया था, उस समय आपने व्यवस्था दी थी कि आपने उनको सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने के लिए जिम्मेदार पाया और आपने निर्देश दिया कि इनके खिलाफ कार्यवाही करें। मेरे निजी सूत्रों से पुष्टि कारक जानकारी हो गई है कि उनका केवल ट्रांसफर कर दिया गया है प्रोन्नति की जगह पर। अतः जो आपका निर्देश था कि ट्रांसफर कोई दण्ड नहीं है, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मात्र ट्रांसफर से आप सन्तुष्ट हो गये हैं ? यदि नहीं तो सरकार को बताना चाहिए कि उनके खिलाफ दण्ड की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न परसों भी उठा था। मैंने यह कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री ने इसकी जानकारी मुझे भी कराई थी कि क्या प्रगति उसमें हो रही है। आज आपने मुझे नई जानकारी दी है कि स्थानान्तरण हो गया है। आपके मन में यह बात आई कि संभवतः उस कार्यवाही के सिलसिले में ही स्थानान्तरण हुआ है। जैसा आप जानते हैं कोई भी सरकार हो यदि एक सरकार कोई बात कह देती है, दूसरी सरकार कायम रखती है। यह परम्परा है। स्थानान्तरण कोई दण्ड नहीं है। मैं नहीं जानता कि स्थानान्तरण हुआ है या नहीं। यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, शासन से पूछ लीजिये। मेरी निजी सूत्रों से स्पष्ट जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। मैं शासन से जबानी नहीं। आपके सुझाव पर लिखित पूछ लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह भी आप निर्देश दे चुके हैं कि यदि सदन में जानकारी दे दी जाये, मैं सदन में जानकारी दे चुका। लिखित पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उसमें कहा था कि कार्यवाही की नकल शासन को चली जाती है। इसलिए उस पर अब प्रश्न नहीं उठ रहा है। शासन सुन ही रहा है, आपने ध्यान आकृष्ट कर ही दिया है। मैंने कह दिया कि शासन जांच करे। स्थानान्तरण कोई सजा नहीं है। मैं नहीं जानता कि स्थानान्तरण हुआ या नहीं। उनके खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दे दिया है। मैं जानकारी करूंगा कि उसके खिलाफ क्या हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, प्रोग्राम के मुताबिक लास्ट डे है आज । सदन उठने के पहले आपका निर्देश है कि उनको पनिशमेंट मिल जायेगा । जैसा आपने कहा कि ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है । सदन उठने के पहले हमको यह मालूम हो जाना चाहिए कि सरकार ने देशराज सिंह को क्या पनिस्मेंट दिया है । जो पनिशमेंट दिया गया वह इक्जीक्यूट हो गया या नहीं । उस पनिस्मेंट से सदन भी सन्तुष्ट हो, आप भी सन्तुष्ट हों । तो सदन उठने से पहले इस बात की घोषणा कर दें कि यह पनिशमेंट उनको दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, अगर आपको कार्यवाही याद हो तो आज सदन का आखिरी दिन नहीं है, यह सदन 13 तारीख को भी बैठ रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

13 को बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने शासन को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया है और उनसे यह भी अपेक्षा किया है कि उनके बारे में की गई कार्यवाही की सूचना मुझे दे दी जाये । मुझे जो सूचना मिल जायेगी उससे समझा जायेगा कि आपको सूचना आई। 13 तारीख तक का वक्त है । अगर शासन ऐसा नहीं करेगा तब न कोई बात होगी । आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया इसके लिए आपका अनुगृहीत हूं ।

राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् व कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश तथा 13 विश्वविद्यालयों की सभा के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम में नामों की वापसी के लिए 8 अक्तूबर, 1980 को अपराह्न 5 बजे तक का समय निर्धारित था और मतदान दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 को पूर्वाह्न 11 बजे से 5 बजे अपराह्न तक होना था । इस सम्बन्ध में निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी उपबन्धों को विलम्बित करते हुए नामों के वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 के अपराह्न 5 बजे तक बढ़ा दिया जाय तथा मतदान यदि आवश्यक हो तो दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को पूर्व निर्धारित समय तथा स्थान पर हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य-मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, सदन उससे सहमत है ।

(नेता विरोधी दल द्वारा "ठीक है" कहे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि नेता विरोधी दल ने अपनी स्वीकृति दे दी है, अतः यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

[समय 12·55 अपराह्न]

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह मेरे सचिवालय में गया होगा। उस पर कार्यवाही हो जायेगी, तो आपको अवगत करा दूंगा।

एक विशेषाधिकार के प्रश्न को माननीय मोहन सिंह जी ने उठाया था। उस पर मेरा जो निर्णय हुआ है, उसको सुनाता हूं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, निर्णय देने के पूर्व दो मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा इस सम्बन्ध में जो तरीका है, उसके बारे में आप जानते हैं ऐसे प्रश्न पर पहले मैं तथ्य रखता हूं। उसके बाद अपना निर्णय देने के पूर्व रुकता हूं और सुनने का मौका देता हूं ताकि आप अपनी बात कह सकें। दूसरे, जो उस तरफ से बातें आयीं, उसको भी सुन । लें इस तरह से दोनों तरफ की बातों को सुन लेंगे तो आपको सुविधा होगी। अतः मैं तथ्य रखता हूं।

श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दिनांक 6-10-80 को दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि गत दिनांक 11-8-80 को उन्होंने एक प्रश्न लखनऊ नगरमहापालिका के मोहल्ला अस्तबल यहियागंज में कारपोरेशन की भूमि पर आम रास्ते में सेप्टिक टैंक बनाने के सम्बन्ध में पूछा था जो कि 18 सितम्बर, 1980 की कार्यसूची में अतारांकित प्रश्नों में 53 नम्बर पर निर्धारित था। उसी दिन की कार्यसूची में श्री रियासत हुसैन का भी एक अतारांकित प्रश्न संख्या 8 पर निर्धारित था। उनके उक्त प्रश्न संख्या 53 को भी श्री रियासत हुसैन के प्रश्न 8 में स्थानान्तरित कर दिया गया जिससे उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिल सका। माननीय सदस्य को यह शिकायत है कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने यह जानबूझकर सूचना दी कि यह प्रश्न पुनरावृत्ति वाला है जब कि सच्चाई इसके विपरीत है। माननीय मोहन सिंह ने उक्त सूचना में यह भी शिकायत की है कि प्रारम्भ में उनको यह आग्रह किया गया कि वे अपना प्रश्न वापस ले लें और जब उन्होंने प्रश्न को वापस नहीं लिया तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने माननीय अध्यक्ष के समक्ष गलत सूचना प्रस्तुत करके उनके प्रश्न के उत्तर को टालने की कोशिश की। उक्त तथ्य उनके अधिकार क्षेत्र का हनन है और माननीय अध्यक्ष और सदन को गलत सूचना देकर माननीय मंत्री द्वारा गुमराह करने की कोशिश की गयी है। अतः उन्होंने इस मामले की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने की मांग की है और यह निवेदन किया है कि उनके पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जिनके आधार पर समिति के समक्ष वे सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें रिश्वत लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने मामले को समाप्त करने की चेष्टा की है।

श्री मोहन सिंह की उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मैंने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की । माननीय मंत्री ने 7 अक्तूबर, 1980 के अपने पत्र में मुझे सूचित किया है कि श्री रियासत हुसन ने चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा अस्तबल या हियागंज, लखनऊ के मकान संख्या 227/3 के विरुद्ध प्राप्त शिकायत एवं इस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी चाही थी । श्री मोहन सिंह ने भी अतारांकित प्रश्न संख्या 53 द्वारा मोहल्ला याहियागंज के अन्तर्गत अस्तबल याहियागंज में अवैध निर्माण करवाये जाने के बारे में प्रश्न पूछा था । इसमें भवन संख्या नहीं दी गयी थी । माननीय मंत्री जी ने आगे यह कहा है कि दोनों प्रश्नों में समानता होने के कारण विधान सभा सचिवालय से यह अनुरोध किया गया था कि वे श्री रियासत हुसैन द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 8 की पृष्ठभूमि में श्री मोहन सिंह के प्रश्न को तिरस्कृत करने का विचार कर लें । तदनुसार विधान सभा सचिवालय ने श्री मोहन सिंह का नाम श्री रियासत हुसेन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के साथ जोड़ दिया और इसकी सूचना श्री मोहन सिंह को भी दे दी गयी । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने श्री मोहन सिंह के इस आरोप का खंडन किया है कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष को यह सूचना दी थी कि यह प्रश्न पुनरावृत्ति वाला है और इसका भी माननीय मंत्री ने खंडन किया है कि उन्होंने श्री मोहन सिंह से उक्त प्रश्न को वापस लेने के लिए आग्रह किया था । माननीय मंत्री जी के कथनानुसार उनका यह आशय कदापि न था कि श्री मोहन सिंह के प्रश्न का उत्तर सदन में न दिया जाय । यह केवल तथ्यों की समानता के कारण ही हुआ । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि यदि श्री मोहन सिंह स्वायत्त शासन विभाग द्वारा रिश्वत लेकर मामले को समाप्त करने के आरोप के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण उन्हें दें तो उसकी तत्परता से वे छानबीन करा लेंगे और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही भी करेंगे । माननीय मंत्री ने यह अपने पत्र में निवेदन किया है कि श्री मोहन सिंह के प्रश्न को यदि पुनः निर्धारित कर दिया जाय तो वे उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इसलिए प्रस्तुत किया कि दोनों प्रश्न एक नेचर के नहीं हैं । दोनों प्रश्न प्रतिद्वंदी दलों की ओर से हैं । एक व्यक्ति ने अनधिकृत ढंग से बिना नक्शा पास कराये अपने भवन का अतिरिक्त निर्माण करा लिया। उसके विरुद्ध राम असरे जी जो लोकदल के सदस्य हैं उन्होंने एक पत्र लिखा था स्वायत्त शासन मंत्री को और उनके पत्र के सम्बन्ध में माननीय रियासत हुसेन जी ने एक प्रश्न पूछ लिया कि उनको ऐसा पत्र मिला है अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की। तथा एक व्यक्ति ने जिसने आम सड़क पर मेन होल के नजदीक अपना सोक पिट बना लिया था उसके विरुद्ध मैंने प्रश्न किया । दोनों प्रश्न अलग हैं, दोनों का नेचर अलग है । दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियों के थे । मैंने प्रश्न किया तो आपके प्रश्न विभाग के लोग, मान्यवर नाम लेने पर आप पर सीधा आक्षेप होता है तो मैंने नहीं लिया है और स्वायत्त शासन मंत्री का नाम लिया । जिस दिन प्रश्न किया, आपके अनुभाग में, उसके दूसरे दिन मेरे घर में 2 व्यक्ति पहुंच गये और कहा कि आपने प्रश्न किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह --]

है । दूसरे दिन मैं अपने कार्यालय में बैठा था, आपके अनुभाग के लोग आ गये और उन्होंने कहा कि इसको वापस ले लीजिये । उनके पास एक कागज था जिसमें लिखा था कि वापस लेता हूं । मैंने कहा कि इसको मैं वापस नहीं लेता हूं । जब प्रश्न इनलिस्ट हो गया और उत्तर आ गया ।

श्री काशीनाथ--

माननीय, प्रश्न अनुभाग की चर्चा यहां कैसे होगी ?

श्री मोहन सिंह--

माननीय, यह आपका कटेंप्ट होता है लेकिन संदर्भ में इसका जिक्र किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी बात पूरी करेंगे लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि प्रश्न अनुभाग के वे कौन से लोग थे । उनके नाम मुझे लिखा कर देंगे ताकि मैं कम से कम अपने विभाग को टाइट कर सकूं ।

श्री मोहन सिंह--

जब उसका उत्तर बना कर आ गया और नगरपालिका अनुभाग से पत्र लिखकर आ गया कि दोनों का नेचर एक है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए मोहन सिंह के प्रश्न को समाहित कर दिया जाय । इससे वह पार्टी जिसकी ओर से रियासत साहब का प्रश्न था वह हमारे प्रश्न से चूंकि प्रभावित हो रही थी इसलिए प्रयास किया गया नगरपालिका अनुभाग के जरिये कि हमारा प्रश्न गायब कर दिया जाय । मैंने व्यवस्था के प्रश्न के जरिये आपकी यहां व्यवस्था चाही थी, मैं कक्ष में मिला भी था । जब मुझे न्याय नहीं मिला तो मैंने विशेषाधिकार के जरिये से उठाने की कोशिश की । 13 तारीख को विधान सभा उठ जाने वाली है । स्वाभाविक ढंग से मेरा प्रश्न इनलिस्ट नहीं होगा । मंत्री जी ने कहा है कि उत्तर दे देंगे । लेकिन यह प्रश्न निरस्त हो जायगा दूसरे सत्र में आयेगा । एक आदमी ने जालसाजी करके नगरपालिका से सोकपिट बनाने की इजाजत 14 अप्रैल को ली । 15 अप्रैल को उसको खारिज कर दिया गया । जब मौके पर गिराने के लिए कर्मचारी गये तो मालूम हुआ कि 24 घंटे के अंदर बनकर तैयार है । सारी व्यवस्था हो गयी है अब नगर पालिका के लोग कहते हैं कि चूंकि बनकर तैयार है इसलिये जब तक शासन हस्तक्षेप न करे हम नहीं गिरा सकते हैं। कुल मिलाकर मामला इतना है कि सार्वजनिक रास्ते पर एक आदमी ने कब्जा कर लिया है और उसको छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसलिये सदस्य के रूप में हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कर्तव्य है, उसमें व्यवधान पैदा हो गया है । हमारी जो मंशा प्रश्न पूछ कर न्याय पाने की थी वह हमारा प्रयास विफल हुआ है । इसलिए जब यह प्रिविलेज कमेटी को चला जायेगा तो इसमें अवश्य छानबीन होगी । अन्यथा मन्त्री जी बच सकते हैं, कहेंगे लिख कर दे देंगे तो अपने अधिकारियों को दंडित कर देंगे । लेकिन हमारे पास ऐसे प्रमाण हो सकते हैं जिसमें मन्त्री जी शामिल हो सकते हैं, तो उनको कौन दंडित करेगा । इसलिये इसको प्रिविलेज कमेटी को भेज दें जिससे भविष्य में यह परिपाटी न बन जाय चूंकि हमारे एक अस्त्र, हथियार, जो प्रश्न पूछने का है वह कमजोर न पड़े, उसकी रक्षा के लिये मैं चाहता हूं कि इसको प्रिविलेज कमेटी को दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो तथ्य प्रस्तुत किया उसमें आपने यह भी कहा कि आपकी मंशा केवल इस मामले का इस तरह की हुई कि अब यह प्रश्न दुबारा आ नहीं सकता था और जो आपकी मंशा थी उसका हनन हो रहा था, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा था, इसलिये इसको लाये । आपने यह भी कहा कि प्रश्न अनुभाग के लोग आपके पास गये थे...

श्री मोहन सिंह--

उसको मान्यवर, प्रोसीडिंग का हिस्सा न माना जाय, मैंने क्षमा मांगी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्षमा का कोई प्रश्न नहीं है । कम से कम हमारे विभाग में यह बात नहीं होनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि आपके पास ऐसे तथ्य हैं जिनसे यह साबित होगा कि उसमें घोटाला था और जिन लोगों ने यह प्रयास किया कि आपका प्रश्न दब जाय और सामने न आवे तो मन्त्री जो इसमें कहां सामने आ रहे हैं कि मन्त्री जी ने छानबीन कर आपको या मुझको गुमराह किया ? यदि गुमराह हुये मन्त्री जी या हम तो कर्मचारियों के जरिये हुये, मन्त्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है । आपके तर्कों के हिसाब से या बन सकता है ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, वह जिम्मेदार हैं । पत्र लिखा जाता है तो उनको देखना चाहिये था कि वस्तुस्थिति क्या है । आपको पत्र उनके जरिये मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने हमको पत्र नहीं लिखा है । उनके सचिवालय के अधिकारियों ने मेरे सचिवालय के अधिकारियों को लिखा है । मन्त्री जी पिक्चर में नहीं आ रहे हैं । इसलिए क्या विशेषाधिकार का प्रश्न बन रहा है उनके खिलाफ ? अभी मैं अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं । आप से पूछ रहा हूं ।

श्री मोहन सिंह--

इसलिये बन रहा है कि माननीय मन्त्री जी अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं इस सदन के सामने । इसलिए इसको उठाया क्योंकि इस मामले में जब माननीय मन्त्री जी के विरुद्ध भी विशेषाधिकार होगा तो इनके विभाग के सम्बन्धित सभी अधिकारी जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया कमेटी के सामने बुलाये जायेंगे और मन्त्री उनको प्रस्तुत करेंगे अपने साक्ष्य में । इसलिए इसको उठाया ।

श्री उपाध्यक्ष--

विशेषाधिकार का प्रश्न, मान्यवर, तब बनता है जब कोई मन्त्री जानबूझ कर माननीय सदस्य या सदन को गुमराह करने का प्रयास करे । आपने इसको माना कि जानबूझ कर उनसे ऐसा नहीं हुआ और आपने ही यह भी कहा कि अगर उनको

[श्री उपाध्यक्ष--]

विशेषाधिकार के रास्ते पर ले आया जाय तो उसके लिए यह सजा दी जा सकती है कि समुचित सतर्कता उन्होंने नहीं बरती, इतना ही नहीं इसके माने यह है कि जानबूझ कर के आपको या सदन को गुमराह नहीं किया...

श्री मोहन सिंह--

यह तो आपको देखना है...

श्री उपाध्यक्ष--

इसका मतलब यह है कि आपके मन ने स्वीकार कर लिया। ठीक, जब आपके मन ने स्वीकार कर लिया तो मैं अपना निर्णय दे रहा हूं।

मैंने श्री मोहन सिंह की विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न की सूचना, शासन तथा इस सचिवालय की सम्बन्धित पत्रावलियों को देखा और माननीय मन्त्री ने जो इस सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 में स्थिति बतलायी है उस पर विचार किया। वास्तव में 18 सितम्बर, 1980 की अस्थायी कार्यसूची में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 तथा प्रश्न संख्या 53 दोनों ही माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित थे और दोनों ही प्रश्न मुहल्ला यहियागंज, लखनऊ के अन्तर्गत कारपोरेशन की भूमि पर अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य के सम्बन्ध में थे। श्री रियासत हुसैन प्रश्न लखनऊ कारपोरेशन के एक मोहल्ले के किसी मकान के विरुद्ध शिकायत तथा उस पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित है जब कि श्री मोहन सिंह का प्रश्न भी उसी मोहल्ले में सेप्टिक टैंक तथा सोक पिट के अवैध निर्माण के बारे में शिकायत तथा कार्यवाही से सम्बन्धित है। विभाग ने हमारे सचिवालय को यह लिखा कि दोनों प्रश्नों की विषय वस्तु एक ही है...

श्री मोहन सिंह--

नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष --

मैं मानता हूं। उस विभाग ने हमारे सचिवालय को ऐसा लिखा है।

श्री मोहन सिंह--

तब तो आप के संज्ञान में बात आ गई...

श्री उपाध्यक्ष--

दोनों प्रश्नों की विषय वस्तु एक ही है। यह निवेदन एक अधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ था। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री के आदेश इस हेतु इस पर नहीं हैं। उक्त दोनों ही प्रश्नों का विषय परस्पर सम्बद्ध एवं आनुषंगिक प्रतीत भी होता है। अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 29(5) के साथ पठित नियम 30(3) के अन्तर्गत माननीय रियासत हुसैन के प्रश्न के साथ ही मोहन सिंह का नाम भी उक्त परिस्थिति में जोड़ दिया गया और इस कारण प्रश्न संख्या 53 को निरस्त कर दिया गया। यदि इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानी और सतर्कता से सूक्ष्म परीक्षण किया गया होती तो सभवतः ऐसा नहीं होता।

माननीय सदस्य ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने अध्यक्ष अथवा सदन को सूचना दे कर जानबूझ कर गुमराह करने की कोशिश की है या माननीय सदस्य के ऊपर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने किसी प्रकार के दबाव डाल कर उनके अधिकार क्षेत्र का हनन करने की चेष्टा की है । अतः मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के इस प्रश्न को सदन में उठाने का अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन इसका उत्तर माननीय 13 को दिलवा दें । इतना संरक्षण मुझे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आश्वासन देता हूं । आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर दें तो मैं 13 तारीख को उत्तर दिलवा दूंगा । मन्त्री जी, आप इसका उत्तर दे देंगे ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मंजूर है ।

केन्द्र द्वारा गन्ने का मूल्य 13 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये जाने की घोषणा से गन्ना उत्पादकों में असंतोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग का महत्व सर्वाधिक है और इस विषय पर इस समय कोई विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता नहीं है । चीनी उद्योग से इस प्रदेश के 25 लाख गन्ना किसानों का हित जुड़ा हुआ है । किसानों के हितों की हर सम्भव रक्षा करने हेतु शासन वचनबद्ध है और इस वर्ष प्रारम्भ से ही हर कदम उठाते समय किसानों के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है । यह आवश्यक है कि गन्ने का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि किसानों को अपनी फसल का लाभप्रद मूल्य मिल सके, जिसे देने की चीनी मिलों की क्षमता हो और जिस मूल्य के आधार पर उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध हो सके ।

गन्ना मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो कानूनी व्यवस्था है उसके अनुसार प्रत्येक पेराई वर्ष के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से देश के विभिन्न भागों की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुये शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के अधीन निर्धारित किया जाता है । गत वर्ष 1979–80 सूखे का वर्ष था और गन्ने का उत्पादन बहुत कम हुआ था । भारत सरकार ने गत वर्ष न्यूनतम गन्ना मूल्य साढ़े आठ प्रतिशत रिकवरी से सम्बद्ध करके साढ़े ग्यारह रु0 प्रति कुंटल निर्धारित किया था जो उससे पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक था । इस प्रकार गत वर्ष यह मूल्य विभिन्न चीनी मिलों के लिये रिकवरी के आधार पर साढ़े बारह रु0 से लेकर 16–03 रु0 प्रति कुंटल तक था । समाचार–पत्रों से ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार ने वर्तमान पेराई सत्र के लिये न्यूनतम गन्ना मूल्य साढ़े आठ प्रतिशत रिकवरी पर 13 रु0 प्रति कुंटल निर्धारित किया है जो गत वर्ष से 50 पैसा प्रति कुंटल अधिक है । चीनी

[श्री यशपाल सिंह--]

मिलों को साढ़े आठ प्रतिशत से अधिक रिकवरी के आधार पर विभिन्न मिलों के लिये गन्ना मूल्य 13 रु0 के ऊपर निर्धारित किया जायेगा । अभी भारत सरकार से अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार द्वारा इस प्रदेश की विशेष परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये कृषकों को चीनी मिलों से जो गन्ना मूल्य दिया जाता है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित गन्ना मूल्य से प्रायः कहीं अधिक होता है । इस पेराई सत्र में उक्त मूल्य क्या होना चाहिये यह सक्रिय रूप से विचाराधीन है और सभी पक्षों और पहलुओं के गहन विश्लेषण के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जायगा ।

अन्त में मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उक्त निर्णय से इस प्रदेश के किसानों का हित पूर्णतयः सुरक्षित रहेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

एक निवेदन है कि हम लोग प्रश्न ज्यादा नहीं कर पायेंगे क्योंकि यह स्टेटमेन्ट है यह विषय बहुत गम्भीर हो गया है क्योंकि केन्द्र ने 13 रुपये की घोषणा कर दी है । आज प्रदेश के 25 लाख किसानों का मसला है । मंत्री महोदय भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा का मत मिले । इस विषय पर 13 तारीख तक असेम्बली है तो 2 घंटे की चर्चा मंजूर कर ली जाय 13 तारीख को, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

शायद आप भूल गये कि यह प्रश्न पहले ही उठ चुका है । आप लिखकर दे दीजिये मैं विचार कर लूंगा । लिख कर आ भी गया है और मैंने करीब-करीब विचार भी कर लिया है ।

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980†

श्री दूध नाथ राजभर--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरः स्थापित करता हूं ।

---

†दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष––

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई और सभी अस्वीकार की गई हैं...(व्यवधान) म एक–एक करके उनको पढ़ूंगा और आपको भी सुनूंगा । आप शांति रखें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मुझे निजी सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली है कि राज्य सरकार की ओर से मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस बात का दबाव डाला गया है कि यहां पर उप–चुनाव जो राज्य विधान सभा और लोक सभा के होने वाले थे, उनको टाल दिया जाय । मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर बात है और इसका मतलब यह ह कि यहां पर सरकार अपनी लोकप्रियता खो चुकी है और इसी वजह से वह स्थानीय निकायों के चुनावों को भी टाल रही है । इसी तरह से ग्रेजुएट और टीचर्स कांस्टीटुयेन्सी के चुनाव टालने की कोशिश की गई थी । इस तरह से चुनाव आयोग पर दबाव डालने का प्रयास किया गया है और जनतंत्र को खतरा पैदा ही गया ह । इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि कार्य–स्थगन के रूप में आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ताकि इस पर तात्कालिक चर्चा हो जाय । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि चुनाव आयोग ने फारमल तरीके से प्रदेश को सूचित कर दिया था कि 23 नवम्बर को चुनाव यहां पर करा दिय जायेंगे और इसके लिये जगह–जगह पर तैयारियां शुरू हो गई थीं और इस तरह से उस पर दबाव डालकर उसे टालने की कोशिश की गई है । इसलिये मान्यवर, इस विषय पर कार्यस्थगन के रूप में आप चर्चा का अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

आपकी यह सूचना कल्पना पर आधारित है इसलिये स्वीकार नहीं की गई । यह निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित है इसलिये उस पर कार्य–स्थगन नहीं लाया जा सकता है । श्री मित्रसेन यादव का भी इसी पर आधारित है इसलिये वह भी अस्वीकृत किया गया ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन––

मुख्य मंत्री जी अपनी नैतिकता से नीचे हट गये हैं अन्यथा वे अपने क्षेत्र से लड़ते ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं । इस तरह से बोलना खराब परम्परा है । मैं सबको मौका देता ही हूं । माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने दिनांक 8–10–80 को विधान मंडल परिसर में वर्दीधारी पुलिस तथा पी० ए० सी० का प्रवेश तथा पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है । माननीय ओझा हैं नहीं मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है । माननीय रियासत हुसैन का भी उसी से ताल्लुक रखता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा उससे फर्क है मैंने देख लिया है । जो नियम 56 में मैंने दिया है वह दो चीजों पर आधारित है । मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि काऊंसिल हाऊस में क्या हुआ वह हमारे परव्यू से बाहर है ।

श्री उपाध्यक्ष—

काऊंसिल हाऊस नहीं । काऊंसिल हाऊस तो यह पूरा है ।

श्री रियासत हुसैन—

विधान परिषद् से मतलब है । तो विधान परिषद् में क्या हुआ वह उनके परव्यू में है । मैंने दो चीजों के लिए प्रेस किया है एक तो यह कि जिस कमेटी का जिक्र पहले भी आया था । खेर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी मैं भी स्वयं उसमें मेम्बर था आप उसे जानते हैं । (व्यवधान) उस कमेटी के बारे में मैंने निवेदन किया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप अपने माननीय सदस्यों से कहें कि वह इस प्रकार जमघट मंत्रियों के पास न लगायें ।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

आपकी आज्ञा का पालन होगा । विरोधी दल के माननीय सदस्य ज्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं, आप देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो आप बराबर कहते हैं लेकिन पालन नहीं होता । इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूं । मैं उन्हें (विरोधी पक्ष को) संभाल लूंगा आप अपने सदस्यों को संभाल ले जांय ।

श्री रियासत हुसैन--

तो मैं कह रहा था कि खेर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसने निर्णय किया था । जो उस वक्त वहां पर पुलिस वाले आते थे यह अपमानजनक बात समझी जाती थी. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन यहां पर यह स्थगन का भाग कहां बना ?

श्री रियासत हुसैन--

मैंने दो बातें उठाई थीं एक तो प्रिसिक्टस आफ कि हाउस जिसम पूरा एरिया आ जाता है इस सदन का भी और उस सदन का एरिया भी ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं ।

श्री रियासत हुसेन--

इस सदन के एरिया में पुलिस फोर्स कल भी थी और आज भी है हर वक्त रहती है। जब इस सदन की कमेटी ने निर्णय ले लिया कि इस सदन के लिए काऊंसिल हाउस गार्ड की तादात बढ़ा दी और यहां जो मार्शल साहब हैं उनका ग्रेड बढ़ा दिया और चीज भी बढ़ा दिया। तो फिर मैं नहीं समझता कि इस सदन के चारों तरफ, आपके कमरे के चारों तरफ पुलिस किस अधिकार से रहती है। पूरे प्रदेश की जनता यहां आती है जब वह देखती है कि एक तरफ पुलिस अपने बाने में खड़ी है और दूसरी तरफ काऊंसिल हाउस गार्ड अपने बाने में उससे उन पर अच्छा इम्प्रेसन नहीं पड़ता। जब काऊंसिल हाउस गार्ड खड़े हैं तो फिर वह क्यों रहते हैं इस पर बहस होनी जरूरी है।

दूसरी बात जो मैंने प्वाइंटेडली कही है काऊंसिल में जो कुछ हुआ उसमें एक घटना माननीय सरजू प्रसाद त्यागी के साथ हुई वह हार्ट के मरीज थे।

श्री उपाध्यक्ष--

वह घटना कहां हुई ? काऊंसिल में हुई तो नहीं उठेगा।

(व्यवधान)

उनके परिसर में हुई या बाहर हुई ?

श्री रियासत हुसैन--

जहां भी हुई।

श्री उपाध्यक्ष--

उनके परिसर के अन्दर हुई।

श्री रियासत हुसैन--

उनका ब्लड प्रेशर डाक्टर ने लिया और कहा कि यह ले जाने की पोजीशन में नहीं है उनका बी0 पी0 170 और 90 था। उसके बावजूद भी उस वक्त परिषद् की कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी। सिर्फ उन पर उस समय हार्ट अटेक था, और वह बेंहोश होकर गिर गए, डाक्टरों ने पुलिस वालों से कहा कि यह ले जाने के परिस्थिति में नहीं हैं, इनको आप अभी यहां से न रिमूव कीजिए। किन्तु इस सबके बावजूद भी उनको वहां से जबरदस्ती हटाया गया, स्ट्रेचर पर डालकर, जिससे कोई भी दुर्घटना होने की आशंका हो गयी थी। तो सदन के चारों तरफ पुलिस और श्री सरजू प्रसाद त्यागी की घटना के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

ओझा जी, जब आपका नाम लिया गया था, आप मौजूद नहीं थे। अब मैं आगे बढ़ गया हूं, अब पीछे चलने का प्रश्न नहीं है ...

(व्यवधान)

मेरी बदकिस्मती है, जब आप होंगे तभी सुनूंगा, अब नहीं। अनुपस्थित होने या बाथरूम में होने पर नहीं सुनूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं, आपको इजाजत नहीं है। मैंने आपका नाम पुकारा था, आप थे नहीं। आपने अपना अवसर खो दिया ...

(व्यवधान)

आप लोगों ने अलग-अलग प्रश्न किए हैं, अलग-अलग उनके उत्तर आ रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[* * *]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, आप इसमें नियम देख लें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आप बैठें। रियासत हुसैन जी, आपने एक मुद्दा यह उठाया था कि खर साहब के समय में यह बात तय हो गयी थी कि कौन्सिल हाउस गार्ड्स हमारे कौंसिल के कार्य को चलाने के लिए रहेंगे--विधान सभा रक्षक विधान सभा के कार्य को चलाने के लिए रहेंगे, पुलिस उसमें नहीं रहेगी, हमारे रक्षक विधान सभा के कार्य को चलायेंगे और पुलिस उसमें नहीं आएगी और आपने इसको भी माना कि हमारे विधान सभा रक्षक विधान सभा की गैलरीज में और विधान सभा में मौजूद रहते हैं। उसी बीच आपने नुक्ता लगाया कि गैलरी में फिर पुलिस कैसे नजर आती है। माननीय सदस्य को याद होगा कि माननीय सदस्य ने स्वयं एक दिन इस बात को हाउस में कहा था कि गैलरीज में इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि सदस्यों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा ही अन्य तमाम सदस्यों ने हमारा ध्यानाकर्षण किया था कि सदस्य अपने दफ्तरों में नहीं जा सकते हैं, अपने कामों का ठीक से संचलन नहीं कर पाते हैं, उनको अपने काम में असुविधा पैदा हो जाती है। उनका काम सुचारु रूप से हो सके और वह अपने कर्त्तव्य का भलीभांति पालन कर सकें, इसका उत्तरदायित्व भी उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा था....

एक सदस्य--

जेल वार्डन रख दीजिए।

नोट--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जब हो जाइयेगा रख दीजिएगा । तो आपने कहा था कि हमारे काम में बाधा उत्पन्न न हो इसको भी आप देखें । हमारी पूरी विधान सभा के परिसर के अन्दर, गैलरीज के अन्दर खेर साहब के समय में लिया गया निर्णय जो आपन, भीखालाल जी, वासुदेव जी ने और तत्कालीन अन्य सदस्यों ने फैसला लिया है, सुरक्षित है और सुनियोजित ढंग से चल रहा है । गैलरी की पुलिस का जहां तक ताल्लुक है वह आपको आवागमन में असुविधा न हो, भीड़ न हो, व्यवस्था बनी रहे, इसलिए है और उसके लिए हम प्रयत्नशील ह, चूंकि यहां पर शासन के कार्यालय भी हैं, इसलिए लोगों का आना नहीं रुक सकता क्योंकि वह भी आपके काम के लिए आयेंगे और जब लोगों का आना नहीं रुक सकता तो भीड़ बढ़ेगी । जब भीड़ बढ़ेगी तो आपको असुविधा होगी । तो आपकी सुविधा के लिए सहायता लेनी पड़ेगी । वह सहायता पुलिस की पहले से भी थी आज भी है । दूसरी बात, आपने प्वाइंट उठाया त्यागी जी का रक्तचाप जब बढ़ा हुआ था तो डाक्टरों ने ऐसा कहा कि उनको सदन के बाहर नहीं किया जाय । फिर भी उनको सदन के बाहर किया । दुर्भाग्य की बात है । यह सब घटनाएं उस सदन के अन्दर हुई इसलिए हमारे परव्यु में उनकी चर्चा करना उचित नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

उस समय सदन नहीं था ।

श्री रियासत हुसैन--

परिषद् नहीं चल रही थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

उस वक्त स्ट्रेन्जर्स थें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब हम उस विषय में कह नहीं सकते तो मैंने जानकारी नहीं करायी । आप कह रहे हैं कि सदन में नहीं परिसर में था । अगर इसे मान भी लें तो क्या उनका परिसर हमारे पर व्यु में आता है ? मैं यह प्रश्न माननीय रियासत हुसैन से कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

परिसर वहां है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर है नहीं तो परिसर शब्द का प्रयोग क्यों किया ? आपने "परिसर" शब्द का प्रयोग किया । "परिसर" शब्द की परिभाषा मैं नहीं जानता । या तो आपने गलत प्रयोग किया, मैं मानता हूं । यह प्रश्न कई बार उठ चुका है । विशेष धिकार के मामले में उठ चुका औचित्य के प्रश्न में उठ चुका । हर तरह से उठ चुका । अब निवेदन करूंगा कि सदन के कार्य को चलने दें ।

इसके बाद माननीय हरिवंश सहाय और माननीय नन्दकिशोर सिंह का पूर्वी जिलों में इनसेफेलाइटिस की बीमारी से कई लोगों के मरने के सम्बन्ध में है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

आप जो कुछ बोल रहे हैं बिना आज्ञा के बोल रहे हैं । जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा । व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपकी व्यवस्था हो गयी उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिलकुल नयी व्यवस्था ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

हमारे सम्मानित विधायक को चेज करते हुए चूंकि परिसर में आ गए इसलिए हमारी बहस का विषय बन जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, आपने बड़े मतलब की बात कही । लेकिन तब कही जब आपका समय निकल गया। मैंने आपका नाम बार-बार पुकारा । उस समय आप बात करने में जुटे थे । आपको काम की चिन्ता नहीं थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, औचित्य पर एक प्रश्न सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब औचित्य नहीं है । मैंने पहले जनार्दन प्रसाद ओझा जी का नाम लिया तब नहीं थे । रियासत साहब ने बार-बार इधर-उधर देखा । ओझा जी नहीं थे । तब रियासत साहब ने कहा कि मैंने भी दिया था । तब मैंने कहा कि रियासत साहब आपको सुनते हैं। जब मैंने सुनने का मौका दिया, आप मौजूद नहीं थे । एक समय में एक ही कार्य संयत रूप से किया जा सकता है। आपने केवल कागज लिखकर दे दिया, आपको रुचि नहीं थी । (रियासत हुसैन साहब के खड़े होकर कुछ कहने पर) रियासत साहब बैठ जायं ।

श्री रियासत हुसैन--

स्पष्टीकरण तो देने दीजिए। आपने नाम लिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

सारे पूर्वांचल में एक हजार से ऊपर लोग इंसेफैलाइट्स से बीमार हैं । केवल देवरिया से शाम को 20 लोग आए थे 41 को जो सरकारी रिपोर्ट है बस्ती की और गोरखपुर में मेडिकल कालेज में 50 के ऊपर संख्या बताई गई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

नन्दकिशोर जी, आपने इन प्रश्नों को जो उठाया है कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में । इसको स्वीकार करना सम्भव नहीं था, इसलिए अस्वीकार कर दिया गया ।

(व्यवधान)

अब मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं । जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जाएगा ...

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर सिंह--

[× × ×]

श्री हरिवंश सहाय--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आज असरकारी दिवस है, आप अपना ही समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जाएगा ...

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन--

इस हाउस के चारों तरफ जो हर वक्त पुलिस खड़ी रहती है, मैं समझता हूं कि वह आपके आदेश से नहीं आती है, यह सरकार के आदेश से आती है। उससे यह सदन कंसन्ट्रेशन कैम्प की तरह बन कर रह गया है। इस व्यवस्था के रहते सारी घटनाएं हुई हैं, इसलिए इसके विरोध में मैं अपनी पार्टी के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980†

[समय 1 बजकर 45 मिनट अपराह्न]

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†दिनांक 12 सितम्बर 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 के रूप में अधिनियमित किया गया था किन्तु उसमें कई खामियां रह गई हैं। उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (8) में यह उपबन्ध है कि यदि नियत प्राधिकारी फिर किसी भवन चित्र के आवेदन पर 3 मास तक कोई कार्यवाही न करे तो आवेदक का यह अधिकार होगा कि वह नियत प्राधिकारी को 30 दिन की नोटिस दे दे और यदि 30 दिन की नोटिस के बाद भवन चित्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में कोई निर्णय न हो तो आवेदक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकता है।

तो इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 की धारा 6 की उपधारा (6) में भी यह उपबन्ध है कि अगर कलेक्टर भवन चित्र पर 3 महीने तक कोई निर्णय न ले तो आवेदक अपने भवन चित्र को स्वीकृत समझेगा और अपनी इमारत बनाना आरम्भ कर देगा।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

इस विधेयक के खंड 2 में यह प्राविधान कर दिया गया है कि अगर उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण 3 मास तक किसी भवन चित्र के आवेदन के सम्बन्ध में कोई निर्णय न लें तो यह समझा जायेगा कि आवेदन स्वीकृत हो गया है और आवेदक भवन निर्माण कार्य आरम्भ कर सकता है। सरकार की ओर से ऐसे कार्यकारी आदेश भी जारी होते रहे हैं कि जिनमें 3 मास के अन्दर ही नक्शों को स्वीकृति दिए जाने की बात कही गयी है लेकिन विकास प्राधिकरण पर इस कार्यकारी आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इसलिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में इस प्रकार का उपबन्ध करना आवश्यक हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जहां कई-कई वर्ष बीत गये लेकिन नक्शों को स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और पत्रावलियां भी या तो गायब हो गयी हैं, या उनको दीमक चाट गयी हैं। इसलिए इस विधेयक में यह प्राविधान है कि यदि विकास प्राधिकरण मानचित्रों पर कोई निर्णय लेकर आवेदक को सूचित नहीं करेगा तो भवन चित्र स्वीकृत समझा जायेगा और आवेदक भवन बनाने का अधिकारी हो जायेगा।

ऐसे प्रकरण अभी हाल ही में प्रश्नोत्तरों के समय में सदन में आये हैं जिनमें साफ-साफ यह बात पूछी गयी थी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने रिश्वत लेकर लखनऊ मास्टर प्लान के प्रस्तावों और मान दंडों के प्रतिकूल नक्शे पारित कर दिए हैं। ऐसे नक्शों का अस्वीकृत किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है।

मान्यवर, लखनऊ के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे महानगरों के लिए भी आवश्यक हो गया है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि विधान सभा मार्ग, लखनऊ में मास्टर प्लान में आवासीय उपयोग के लिए भूमि आरक्षित है लेकिन तमाम लोगों ने व्यवसायिक उद्देश्यों से गलत तरीकों से नक्शे पास करवा लिए हैं और जो आवासीय भूमि थी उसको व्यापारिक भूमि में बदल दिया। उसके लिए भी इसमें उपबन्ध किया गया है, इस विधेयक में।

मान्यवर, 2 बातें जो मैंने कही हैं, उनमें से एक तो यह है कि हमारे कई कानून इस तरह के बने हुए हैं जिनमें यह प्राविधान किया गया है कि 3 महीने

के अन्दर भवन चित्र जो पास किया जाता है, उस पर निर्णय हो जाता है कि यह स्वीकार किया गया है या अस्वीकार किया गया है। जो संशोधन विधेयक मैंने रखा है वह इसी नीयत से रखा है कि काम को पूरा करना चाहिये और दूसरा पहलू उसका यह है कि जो आवासीय भूमि आरक्षित थी और रिश्वतें देकर अधिकारियों से उस भूमि को व्यवसायिक भूमि के रूप में बदल दिया गया, बड़े-बड़े संस्थान खड़े कर दिये गये हैं, छल कपट से प्राप्त भवन निर्माण की स्वीकृति को भी रद्द करने का प्राविधान है। इस संशोधन विधेयक में ये 2 मुद्दे हैं, जिनसे शासन भी सहमत होगा क्योंकि यह जनता और शासन दोनों के हित में होगा।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि इस संशोधन विधेयक को यह सदन पारित करेगा ?

(स्वायत्त शासन मंत्री) श्री राम सिंह खन्ना--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि मैं माननीय विधायक जी की राय से सहमत नहीं हूं। जहां आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि विकास प्राधिकरण में कुछ कर्मचारियों को रिश्वत देकर लोग गलत काम कराते हैं, अब अगर आपके इस संशोधन को मान लिया जाये तो इससे तो भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि फिर किसी ने अपना नक्शा दाखिल किया और रिश्वत देकर 3 माह तक रुकवाये रखा इस तरह से उसने नियमों का उल्लंघन करते हुये जो अपना नक्शा दाखिल किया था और जिसे उसने रुकवा रखा था वह तीन माह बाद पास समझा जायेगा। इससे तो नियमों का उल्लंघन होगा। आप कोई इस तरह की बात लाते कि 3 माह के अन्दर उसे पास करने की उसकी जिम्मेदारी होगी, वह बात आपकी, समझ में आ सकती थी, पर इस संशोधन से तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।

(व्यवधान)

कोई व्यवसायिक जगह पर आवास के लिए नियमों के विपरीत अगर किसी ने कोई नक्शा दाखिल कर दिया और तीन माह चुप बैठा रहा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके गलत फायदा उठायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने इस संशोधन विधेयक को कृपया वापस ले लें, प्रेस न करें। हम इसको देखेंगे कि निर्धारित अवधि के अन्दर अधिकारी नक्शे को पास करें और अगर कोई खास दिक्कत हो तो उसके लिए शासन की स्वीकृति लें।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वर्मा जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, इसका समर्थन करता हूं। आज नगरों में मकानों की समस्या इतनी विकट हो गयी है कि उसके कारण बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ गया है और यह संशोधन बहुत ही आवश्यक हो गया है। मैंने खुद अपने एक मकान के लिए नियमावली के बिलकुल अनुसार नक्शा दाखिल किया, एक-एक प्वाइन्ट नियमावली के अनुसार सही है, लेकिन वह नकशा इसलिए पास नहीं किया जा रहा है क्योंकि मैंने सम्बन्धित लोगों को प्रसाद नहीं चढ़ाया है। आज इस समस्या को हल करने के लिये आपको कोई न कोई तो ऐसी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कि 3 माह के अन्दर नकशा अवश्य पास हो जाये हो और अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

वह निर्णय न करे तो उसे अपना मकान बनाने का अधिकार होना चाहिये । हम तो आपके नियमों का पालन करते हैं, पर आपके अधिकारी 3 महीने तक हमारे नक्शे को फाइलों में दबाये रखते हैं । और आज अगर आप प्रत्येक नगर क्षेत्र में जानकारी चाहे तो मुझे झांसी नगरपालिका के बारे में जानकारी है कि आज 3–4 हजार पम्प आपके कार्यालय में सेंक्शन के लिए जमा हैं मेरे पास यह रसीद है कि मैंने आपके यहां पर सब्मिट किया । लेकिन मेरा मैप गायब हो जाता है । तो कोई न कोई आपको तरीका तो निकालना पड़ेगा कि 3 महीने तक स्वीकृत नहीं करते हैं, तो उसे स्वीकृत मान लिया जाय । आप कहते है कि स्वीकृत नहीं माना जायगा । जो मैप सब्मिट किया है उसने तो आपकी नियमावली का पालन किया है । उसमें तो आपके विभाग के कर्मचारियों का दोष है । तो मैं यह कहता हूं वर्मा जी जो प्रस्ताव रखा है, इसको मान्यवर स्वीकार करना चाहिए । आपका विभाग जो है वह 3 महीने तक क्यों नहीं निपटारा करता है । इस कमजोरी को आप निकालिये । मेरा आज 4 साल तक मानचित्र पास नहीं हुआ और अगर हम एक हजार रुपया दे देते तो जो हमने एक महीने के अन्दर सब्मिट किया था, 15 दिन के अन्दर पास हो जाता । तो जो यह कमी है, इसको कैसे आप निकालेंगे ?

*श्री खैरुल बशर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । मान्यवर, जो माननीय राम आसरे वर्मा जी ने प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । समर्थन इसलिये करता हूं कि प्रदेश के रहने वाली जनता और शहर में रहने वाली जनता, जो गरीबी की रेखा के नीचे है, अगर उसे कोई अवसर मिलता है और वह अपना मकान बनवाने के लिए नकशा देता है, मान्यवर, नगरमहापालिकाओं में बहुत बड़ी रिश्वत ली जाती है, बड़े आदमियों को रिश्वत देना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बहुत कठिन बात है । जहां तक घूस की बात उन्होंने कहा रिश्वत लेकर गलत मंजूरी दे दी जाती है । तो उसके खिलाफ न कोई कानूनी कार्यवाही की जाती है । उस तरीके से 3 महीन के अन्दर मंजूरी नहीं देते हैं, तो मकान बनवाने वाले व्यक्ति को जिसने नकशा सब्मिट कर दिया है, उसे 3 महीने के अन्दर कानूनी अधिकार ही जाना चाहिए । यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और प्रदेश के अन्दर नगरमहालिकाओं में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी । मान्यवर, विधेयक के अन्दर जो दूसरी बात कही गयी है कि आवासीय स्थान हैं, व्यवसायिक स्थानों में बदल जाता है, तो ऐसे कानून बनाने चाहिए और उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं श्री वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री धरम पाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, नगरपालिकायें और कारपोरेशन्स, ये भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गये हैं । मान्यवर, आवासीय समस्या जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और जो कारपोरेशन्स और नगरपालिकाओं के कानून हैं, वह इतने पुराने हैं कि आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के युग में उनका पालन कराना सम्भव नहीं है । आवासीय समस्या, शासन जिसको हल करना चाहता है, वहां नागरिक भी अपनी समस्या को जल्द से जल्द हल होते देखना चाहता है । उसमें यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा ।

मान्यवर, अगर आप नगरपालिकाओं और कारपोरेशन्स की वर्किंग को देखें तो स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें घपला कहां-कहां है । आज अगर कोई अपने मकान का निर्माण कराना चाहता है और जिस समय वह नक्शा सब्मिट करता है तो 10 से 5 दिन तक तो रिकार्ड क्लर्क के पास पड़ा रहता है तब उसके बाद यह टिप्पणी लिख दी जाती है कि स्वास्थ्य अधिकारी आख्या दें । अब मकान मालिक के पास वह अधिकारी जाते हैं और कहते हैं कि नक्शा तो आपका ठीक है, लेकिन इस में एक गड़बड़ी है, यह दरवाजे इधर से इधर होना चाहिए, तो वह कहता कि यह नक्शा तो हमने आर्किटेक्ट से बनवाया है और दरवाजा अगर इधर से उधर हो गया तो सारा प्लान ही गड़बड़ हो जायेगा । अन्त में मामला कुछ ले देकर ठीक हो जाता है । अब वह मकान मालिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जाता है, तो वहां एक नयी कारीगरी शुरू होती है । और मान्यवर, मेरा दावा है कि इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट में अगर आप जाकर देखें कि वहां कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं है । किसी जमाने में इन लोगों की सीधी भर्ती हुआ करती थी । हाईस्कूल पास वगैरह को सी० बी० द्वारा ले लिया जाता था, यह उन्हीं में के अधिकारी हैं । आप कहें तो नाम भी बता दूं । उनमें से एक हैं श्री तेग बहादुर श्रीवास्तव जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर नहीं हैं । जो अब मैप-प्लान इनके पास जाते है इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास तो इक्जीक्यूटिव इंजीनियर मार्क कर देते हैं असिस्टेंट इंजीनियर को और असिस्टेंट इंजीनियर ओवर सियर को मार्क कर देते हैं, जो आज जूनियर इंजीनियर कहलाये जाते हैं और यह जूनियर इंजीनियर साहब अपनी मोटर साइकिल उठाकर उस मकान मालिक के घर जाते हैं और वहां जाकर उस मकान मालिक से सौदे बाजी करते हैं कुछ टेक्निकल गड़बड़ियां बताकर तब जाकर इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाता है । तो मान्यवर, इस ओर हमारी निश्चित मत है और यह व्यक्तिगत जानकारी कि तहत बता रहा हूं क्योंकि इस विभाग से मेरा कुछ समय तक एक अध्यक्ष होने के नाते सम्बन्ध रहा है, इसलिए मुझे इस सिलसिले में बहुत सटीक जानकारी है कि अगर आप भवन निर्माण की कीमत का 1 प्रतिशत दे दें तो घर बैठे नक्शा पास हो जायेगा और अगर दौड़-धूप कर करवाना है तो 8 आने प्रति सैकड़े के हिसाब से दे दीजिए तो भी पास हो जायेगा और अगर आप यह सब देने में आना-कानी या हिचकिचाहट करेंगे तो पास नहीं होगा ।

अगर आप मान्यवर इस विभाग का आकस्मिक इंसपेक्शन करवा लें तो आपको मालूम हो जायेगा कि 20 से 25 दिन तक के नक्शा पास किये हुए मिलेंगे और 5-5 व 10-10 साल पहले के नक्शे भी पास होने के लिए अपने आंसू बहाते मिलेंगे । अगर कोई गलती से पास भी हो गया तो उस पर डिस्मेंटिलिंग नोटिस जारी कर दिया जाता है, तब मकान मालिक से मकान की कीमत के हिसाब से सौदा होता है । यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी की बातें हैं, मान्यवर । इसलिए मैं श्री राम आसरे वर्मा जो ने जो संशोधन पेश किया है, बहुत सटीक है, इन काले कानून और सड़े गले कानून को रद्द कर देना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं । अगर वास्तव में देखा जाए तो कोई भी नक्शा एक महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए पास होने में, लेकिन लगते हैं आज, 5 से 10 साल तक ।

लखनऊ के अन्दर उन लोगों की फर्म है जो नक्शा बनाती है और उसको पास करवाती है । उसके नक्शे कभी नहीं रुकते किसी भी कालोनी का नक्शा

[श्री धरम पाल---]

उठाकर देख लें । यह एजेन्सी ढाई परसेन्ट आफ प्रोडेक्शन कास्ट लेती ह । किसी मकान की लागत 1 लाख रुपया है तो उस पर 25 सौ रुपया नक्शा पास करवाने के लिये देना पड़ता है । मान्यवर, बड़े लोगों के लिये तो कोई बात नहीं, कुछ गरीब लोग हैं जो मकान बनाना चाहते हैं 5, 10 हजार में वह तो कभी कारपोरेशन के अन्दर मकान बना ही नहीं सकता । इन शब्दों के साथ में वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक के विरोध में अपने विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी जब मैं अपने माननीय सदस्य धर्मपाल जी को सुन रहा था । मुझे ऐसा लगा कि वह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो मुझे भी अपने धर्म का पालन करना चाहिये । उन्होंने कहा कि वह नगरपालिकाओं में विभिन्न पदों से सम्बद्ध रहे हैं और उसके नाते उन्होंने इस संशोधन में कुछ अच्छाइयां देखी । तो मान्यवर, मैं उनकी भावना को प्रेस नहीं करता लेकिन एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि नक्शा पास करने के लिये 3 महीने की अवधि आपने दिया और उसमें प्राविधान किया कि 3 महीने के अन्दर नक्शा पास न हो तो पास मान लिया जाय दूसरी तरफ यह आशंका प्रगट किया कि कुछ घूसखोरी और बेईमानी होती हैं और नक्शा उसी के तहत पास होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घूसखोरी का जो मर्ज है क्या तीन महीने तक चुपचाप नक्शे को तिजोरी में बन्द करके, किसी अधिकारी को यह भी पता न चले कि कोई नक्शा आया ह, उसका सर्वे कराना है, जांच करानी है, तीन महीने के एक दिन बाद प्रस्तुत कर दें और पास मान लिया जाय । इस भावना के तहत आपके इस संशोधन से इस बेईमानी को बढ़ावा मिलेगा । मैं इस भावना से कतई इंकार नहीं करता कि जो नागरिक मकान बनाना चाहता है उसमें आने वाली असुविधायें दूर की जाय, मैं इससे सहमत हूं । मैं यह चाहता हूं कि जो मकान बनाने में दिक्कतें बढ़ रही हैं उनको हल किया जाय ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय त्रिपाठी जी, आप बैठें । चेक कर लिया जाय कोरम है या नहीं । (कुछ देर बाद) कोरम है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की भावना की ताईद करता हूं कि उन्होंने नागरिकों के दुख का एहसास किया है और नागरिकों के दुःख को हल करने के लिये कोई संशोधन पेश किया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन उसके साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि कहां मकान बना रहे हैं, कौन उसका मालिक है, कोई आपत्ति है या नहीं, इसके लिए 3 माह का समय कम है लेकिन एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा शासन से कोई निश्चित प्राविधान करें कि जिसके अन्दर नक्शा पास करने के लिए अधिकारियों को प्रतिबंधित किया जाये और 3, 4, 5, 6 महीने, जो भी शासन उचित समझे, जिस इंजीनियर की जिम्मेदारी है, अगर वह पास न करें तो उसको दन्डित करने का भी प्राविधान हो ।

दूसरी चीज, हमारे माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं, और उन्हीं से संसदीय व्यवहार सीखना चाहता हूं वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि मंशा बदल गयी । एक तरफ नागरिकों का दर्द उठाया, दूसरी तरफ शासन का । नागरिकों का नक्शा पास होगा तो कपटपूर्ण तरीके से और शासन के अधिकारियों को दन्डित करने का कोई प्राविधान नहीं किया । अपनी बीबी-बच्चों के गहने, मकान आदि गिरवी रख कर गरीब आदमी मकान बनाना चाहता है, कपटपूर्ण तरीके से नक्शा पास होता है, अगर इसको समाप्त कर लिया जाये तो बेईमानी बहुत बढ़ जायेगी । इसमें कपट है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं लेकिन साथ ही साथ शासन से दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का जरूर सुनिश्चित करें कि नागरिकों को अपना मकान बनाने की जो कटिनाई हो रही है वह न हो । दूसरे केन्द्रीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी का जो सिद्धान्त है उसके तहत ज्यादा से ज्यादा आवासीय सुविधा हो सके, ऐसा करें ।

*श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । जो प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । नगर महापालिकाओं में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में 2-4 बातें कहनी हैं । यदि मंझोला या गरीब आदमी दरखास्त देता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है यहां तक कि 2-2 साल लग जाते हैं । गरीब आदमी पेट काटकर, पैसे कर्ज लेकर मकान चाहता है लेकिन इस बीच उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है । इस देश में जो कांग्रेस पार्टी ने 33 साल में बड़े-बड़े लोगों को पाल कर तथा उनके पाले हुए अधिकारीगण को जब चांदी का सिक्का पहुंचता है तो वह नक्शा मिनटों और सेकेन्डों में हुए गल्तियों को नजरअंदाज करते हुए पास कर दिया जाता है ।

अभी हमारे माननीय सदस्य त्रिपाठी जी बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी इस देश में गरीबों के रहने के लिए उचित व्यवस्था कर रही है । यहां तो देख ही रहे हैं कि लखनऊ में फुटपाथ पर लगभग 30 प्रतिशत बरसती तानकर गर्मी, जाड़ा, बरसात गुजार रहे हैं । हमारे राम आसरे वर्मा जी ने जो संशोधन दिया उसमें एक बात कही गयी कि बड़े आदमी तो अपने पैसे के बल पर अपना नक्शा पास करवा लेते हैं, गरीबों के लिए भी कुछ सहारा होना चाहिये । यदि तीन महीने तक नक्शा नहीं पास होता है तो उस गरीब को मकान बनाने का कानूनी हक मिलना चाहिये । इसके अलावा और कौन रास्ता उसके पास है । एक तरफ शासक दल के लोग गरीबों की बात करते हैं, उनके हिमायती बनते हैं, जब गरीबों को मकान मिलने का मामला आता है तो तमाम किस्म की बाधायें उत्पन्न करते हैं । हमारे त्रिपाठी जी आत्मा से तो यह बात नहीं कह रहे हैं शासक दल में हैं, जबान बन्धी है, इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं । वह भी जान रहे हैं कि 30 प्रतिशत लोग फुटपाथ पर जिन्दगी गुजार रहे हैं । यह सभी जानते हैं कि बिना पैसे के नक्शे नहीं पास होते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मसरूर जाफरी—]

तीन महीने तक नक्शा नहीं पास होता है तो मकान नहीं बनना चाहिये, यह गरीबों के हक में सही तरीका नहीं है । यह कौन कर रहा है, वही जो गरीबों के नाम पर 33 सालों से वोट की राजनीति करते रहे हैं । जो गरीबों के लिए वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं, वह गरीबों के हित में राम आसरे वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करेंगे । नक्शा का, चाहे नगरपालिका हो, टाउन एरिया हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, यही हाल है । हमारे जिले में चले जाइये कोई भी नक्शा पास नहीं होता है । जिसको पैसा मिलता है वह पास करता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मसरूर जाफरी—

इन शब्दों के साथ मैं राम आसरे वर्मा जी के संशोधन का जम कर समर्थन करता हूं । गरीबों के हक में इससे अच्छा संशोधन नहीं हो सकता ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा जितने लोगों ने इसका समर्थन किया है उन्होंने इस बात का अक्षरशः समर्थन किया है कि मंत्री जी का ख्याल सही है । यह बात मानने योग्य है कि शासन तीन महीने में नक्शा पास करे । अगर नहीं पास करता है तो कोई कार्यवाही होनी चाहिये । यह कैसे संभव है कि अगर नक्शा तीन महीने में पास न हो तो पास हुआ समझा जाये । जितने लोगों ने समर्थन किया उनकी प्रतिक्रिया है नक्शा पास होने में भष्टाचार बहुत है । उन भष्टाचारियों को बिना किसी रोकथाम के पूरी आजादी दे दी जाये, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं । इसलिए चाहता हूं कि आप इसको वापस लें । आपकी जो इसके अन्दर भावनायें हैं, उनकी मैं कद्र करता हूं । वह पूरी होनी चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, हमारे संशोधन विधेयक पर पक्ष से और विपक्ष से जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और जो भावनायें यहां पर रखीं गयीं उनसे किसी ने भी इन्कार नहीं किया । माननीय सदस्यों से लेकर माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को माना कि तीन महीने के अन्दर नक्शा पास हो जाना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने यह माना कि नक्शा जल्द से जल्द पास हो ।

मान्यवर, मान लें तीन महीने के अन्दर नक्शा पास नहीं होता, तो उसके लिये क्या करेंगे ? माननीय मंत्री जी खुद जानते होंगे और पत्रावली निकलवा लें तो माननीय मंत्री जी के सामने बहुत से ऐसे मिसाल आयेंगे, जिनमें विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को हिदायत दी गयी कि तीन महीने से ज्यादा देर नक्शा पास करने में न लगाई जाय । लेकिन हिदायत दी गयी, फिर भी उसका पालन नहीं हुआ । तो, मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि मैं अपका शोधन वापस ले लूं तो कम से कम इसका तो इलाज बताना चाहिये था नर्सि

शासन की ओर से जो व्यवस्था या जो निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को भेजे जांय कि तीन महीने के अंदर निपटारा कर दिया जाय, यदि तीन महीने में निपटारा नहीं किया गया तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही करेंगे । कम से कम इसकी व्यवस्था के बारे में बात कर देते ।

मान्यवर, मेरे संशोधन के प्रस्ताव के दूसरे पहलू का माननीय सदस्यों ने गलत इण्टरप्रिटेशन किया । हमारा कहना था कि लखनऊ मास्टर प्लान के अंतर्गत बहुत सी जगहों को आवासीय उद्देश्य के लिये आरक्षित किया गया था, लेकिन बड़े बड़े पैसे वालों ने चाहे रिश्वत देकर सही, या अधिकारियों को गुमराह करके सही या छलकपट से सही, किसी तरह से नक्शा पास करा लिया और आज उस आवासीय आरक्षित भूमि पर तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठान खड़े हैं । तो इस तरह से आवासीय उद्देश्य के लिये निकाली भूमि को व्यवसायिक प्रतिष्ठान में बदल दिया है, उसको ले लिया है । हमारे संशोधन का, मान्यवर, दूसरा हिस्सा यह था, । लेकिन उसको सत्ताधारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने गलत लिया । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जहां पर कहा है कि वह हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, वहां पर अगर इसको भी बता देते कि यदि तीन महीने के अन्दर हिदायत के बाद भी अधिकारी नक्शा पास नहीं करते, तो यह कौन से दण्ड की व्यवस्था करेंगे और दूसरी चीज, जो छलकपट से आवासीय उदेश्य से आरक्षित भूमि को व्यवसायिक जगहों में बदल दिया है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था करेंगे । इसके बारे में बता दें, तो उसके बाद आगे बात की जायेगी ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मैंने आपकी आज्ञा से इस सदन को बता दिया है और मैंने पूरी तरह से साफ तौर से बात कह दी है कि आपकी भावनाओं का कद्र करता हूं और यह आश्वासन देता हूं कि नक्शा जल्द से जल्द बिना किसी कारण या देर से पास कर दिया जाय और जो धोखाधड़ी करते हैं और नाजायज फायदा उठा लेते हैं, उनको दंडित किया जाय । अब जहां धोखाधड़ी से कर लेते हैं, वहां कानून की बात आ जाती है । आपने कोई चीज गलत ढंग से हासिल कर लिया तो उसमें कानून की बात आ जाती है । जहां तक दूसरी बात है, उससे मैं सहमत हूं कि कोई अगर निर्धारित समय के अंदर नक्शा पास न करे, तो दंडनीय होगा लेकिन विशेष परिस्थितियों में देरी हो रही है तो शासन को अवगत करा कर उसमें स्वीकृति लेनी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें होती हैं और देर पासीबुल हो सकती है । इन शब्दों के साथ मेरा माननीय सदस्य से पुनः आग्रह है कि अपने संशोधन को वापस लें ।

श्री रामआसरे वर्मा--

अब चूंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, तो, मान्यवर मैं अपना संशोधन विधेयक वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से विधेयक वापस हुआ ।)

एक सदस्य--

मान्यवर, सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आधा दिन कब से है ?

श्री अधिष्ठाता--

3-00 बजे से ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उसके बाद ?

श्री अधिष्ठाता--

उसके बाद संकल्प है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कब तक ?

श्री अधिष्ठाता--

5-00 बजे तक ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक 1980.

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, जिस संशोधन विधेयक को मैंने आज प्रस्तुत करने के लिये प्रयास किया है उसके बारे में इस आदरणीय सदन में इससे पहले कई बार विचार किया जा चुका है और इधर के तथा उधर के माननीय सदस्यों ने इसकी भावना का स्वागत किया है । स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज एमेंडमेंड ऐक्ट, 1923 जो है उसकी धारा 13(6) में यह व्यवस्था की गयी है कि अगर इस तरह की कोई अपरिहार्य परिस्थिति कुलपति के सामने आये जिससे नियमों के अधीन तत्काल कोई कार्यवाही करना संभव न हो तो वह कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना कुलाधिपति को दे देंगे । मान्यवर, धारा 6. इस प्रकार से है :--

जहां कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेंगे जो वह ठीक समझें और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति अथवा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देंगे जो साधारण क्रम में मामले के संबंध में और कार्यवाही करते ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दनांक 19 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

मान्यवर, यह एक ऐसा अधिकार कुलपति को मिला हुआ है जिसके अधीन अब कभी आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय में अध्यापकों को नियुक्ति कर लेते लेते हैं । वैसे जो नियुक्ति का प्राविधान है वह धारा 31 में दिया गया है । लेकिन धारा 31 में ऐसी उलझनें पैदा हो गयी हैं जिससे तत्काल नियुक्ति करना सम्भव नहीं है, जैसे एक्सपर्ट के नाम तय करना, चयन समिति की मीटिंग होना आदि । इस प्रक्रिया के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं । अध्यापकों को एडहाक एप्वाइंटमेन्ट कर लिया जाता है लेकिन उसमें भी उसी प्रक्रिया का करीब करीब पालन करना पड़ता है जिस प्रक्रिया के अनुसार धारा 31 में नियुक्ति की गयी होती । उसमें भी सेलेक्ट कमेटी के सामने जाना पड़ता है । तो मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत से अध्यापकों की नियुक्ति हो गयी है, वह कई वर्षों से काम कर रहे हैं । मेरे पास ऐसी जानकारी है कि ऐसे अध्यापक हैं जो नियुक्ति होने के बाद 2, 3, 5, 8, 6 वर्षों तक काम करते रहे और एक दिन उनको नौकरी से हटा दिया गया । नियम यह है कि ऐसी नियुक्तियां 6, 6 महीनों के लिये बढ़ायी जाती रही हैं । जब अध्यापकों को अनुभव हो गया और उनका इतना समय चला तो दूसरी जगह जाने की सुविधा भी नहीं रह जाती है । हटाने की प्रक्रिया में, विश्वविद्यालय के अधिकारी कभी-कभी अपने निहित स्वार्थों के लिये, कोई किसी में इंटरेस्टेड हो गया जैसे हिंदी विभाग में इस समय जो हमारे कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं वह अपनी पुत्रवधू में इंटरेस्टेड थे, उसको एप्वाइंटमेन्ट कर दिया गया । तो उसकी जगह पर एडहाक नियुक्त अध्यापक जो था उसको हटा दिया ।

मान्यवर, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके कारण सभी लोगों का ध्यान इस पीड़ा की ओर गया । इस सदन में भी मामला उठा और उधर के लोग जब इधर थे तो उन्होंने इसको उठाया था, सत्तारूढ़ दल के एम0 एल0 एज0 और 14-15 एम0 एल0 सीज0 ने एक ज्ञापन मुख्य मंत्री को दिया है और उन्होंने कहा कि इस समस्या का निराकरण किया जाय और जो अध्यापक निकाले गये हैं उनको फिर से नियुक्त किया जाय । मान्यवर, इसी को ध्यान में रखते हुये यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । इसके अन्दर मांग किया है कि जो धारा 13 के अन्तर्गत नियुक्ति हुई हैं उसमें नई धारा को मैंने जोड़ने का प्रयास किया है कि ऐसे तदर्थ अध्यापकों को, जिनकी नियुक्ति धारा 13 की उप धारा 6 तथा 8 के अन्तर्गत की गयी है को, तब तक सेवा मुक्त नहीं किया जा सकता है, जब तक वह धारा 31 में पद न भरा गया हो, अभ्यार्थी ने अपना कार्यभार न संभाल लिया हो और जो पिछले 2 शिक्षा सत्रों में कार्यरत थे उन पर भी यह लागू माना जायेगा । यह मेरा तर्क इसलिए है कि किसी भी कर्मचारी को एडहाक नियुक्ति नहीं होनी चाहिये और यदि हो जाती है तो धारा 31 के अनुसार जब दूसरे व्यक्ति का चयन हो जाय और वह अध्यापक ज्वाइन कर ले तो एडहाक अध्यापक को तत्काल अपने पद से हटाने का अधिकार है और यदि वह कंपिटीशन में निकल जाता है तो उसी को रख लिया जाता है । यह ठीक बात है । लेकिन जब नियुक्ति नहीं हुई, दो तीन साल एडहाक अध्यापक का समय बढ़ता गया और फिर एकदम न जाने क्या हो गया कि दो तीन साल बाद उसको हटा दिया जाय तो यह अत्यन्त विभेद है । ऐसे मामले मेरी जानकारी म, उच्च न्यायालय में गये हैं । एक हमारे सामने जजमेन्ट है । श्री जायसवाल कामर्स विभाग में थे जो कि कुलपति के अन्याय का शिकार हो गये और उनको निकाल दिया गया जिससे वह हाई कोर्ट में गये । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस झा ने 5 सितम्बर, 1980 को निर्णय दिया है, उसमें कहा है कि डा0 सेवा राम जायसवाल जो प्रवक्ता थे, उनको 5 साल

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

बाद सेवा से निकाला गया है इसलिये उन्होंने निर्देश दिया कि जायसवाल को पुनः सेवा में लिया जाय और 24 नवम्बर से उनको वापस समझा जाय और यह कहा कि जैसे उनको निकाला ही नहीं गया हो। तो मान्यवर, हमारे तर्कों से उच्च न्यायालय ने सहमति प्रकट की और उसने सिफारिश किया है कि उनको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से, जैसे निकाला नहीं गया था, रख लिया जाय। लखनऊ विश्वविद्यालय के कारण यह सर्विस से अलग रहे इसलिए उनको पूरा वेतन और वरिष्ठता मिलेगी। इसलिये ऐसा आगे न हो, इसलिये यह संशोधन मंत्री जी स्वीकार कर लें।

यदि अनुशासनहीनता अध्यापक करता है तो उसको निकाल दें लेकिन यदि ऐसी शिकायत नहीं मिलती है तो जब तक धारा 31 के अनुसार विधिवत चयन न हो जाय तब तक उनको न निकाला जाय चूंकि उसी प्रक्रिया के अनुसार उनको चुना जाना होता है जिसको बाद में फेस करना पड़ता है। तदर्थ नियुक्ति के लिए सेलेक्शन कमेटी बनी है जिसमें अध्यक्ष कुलपति के दो अंक विभागाध्यक्ष का एक अंक और दो इक्सपर्टस के प्रत्येक का एक-एक अंक होता है, कमेटी में यह लोग होते हैं और जिसको 5 अंकों में से 3 अंक मिलते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। इसके बाद जब धारा 31 के अनुसार विधिवत चयन होता है तब फिर उस अध्यापक को दुबारा चयन समिति के सामने जाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें।

मान्यवर, इस बारे में हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया और एक दूसरी जजमेन्ट में हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि that there must be job security for University Teachers also and they should not be treated as daily wage earners इसका हिन्दी में अनुवाद यह है मान्यवर, कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवाओं को भी सुरक्षा होनी चाहिये। उनके साथ यह व्यवहार नहीं होना चाहिये जैसे कि वे वेज अरनर हों, दैनिक मजदूरी में काम करने वाले हों। बड़े स्पष्ट रूप से मैंने अपने संशोधन विधेयक की मंशा को स्पष्ट किया है। इसमें कोई भारी बात नहीं है न कोई पेचीदा मामला इसमें है, न इसमें पैसे के प्राविधान की बात है। मात्र इतना मामला है कि कोई व्यक्ति एडहाक नियुक्त किया जाता है तो एडहाक नियुक्ति पर तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई व्यक्ति विधिक प्रक्रिया से उस पद पर नियुक्त नहीं कर लिया जाता। हां, इस बीच यदि वह भ्रष्टाचार करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, विधिक कार्यवाही उसके खिलाफ की जाय, उसे निकाल दिया जाय, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसलिए निकाल दिया जाय कि कुलपति अथवा दूसरा व्यक्ति उस पद पर किसी और व्यक्ति को लाना चाहते हैं यह मेरी मन्शा नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय की जो कार्यकारिणी परिषद् है उसने भी यह प्रस्ताव किया है जिसको कि आगे मामला झेलना है। उसने प्रस्ताव पास किया है अपनी 4-12-79, 3-12-79 के बैठक में सर्व सम्मति से कि जो अध्यापक नौकरी से निकाले गये थे उनको फिर से लिया जाय। यह सीधा एक नीति का मामला है। मैंने यह बात जब चयन आयोग पर चर्चा हुई थी, तब भी कही थी। धारा 31 में सेलेक्शन कमेटी की प्रक्रिया है। मैं तदर्थ नियुक्ति का पक्षपाती नहीं हूं। लेकिन यदि जरूरत पड़ती है तब तक तदर्थ नियुक्ति वाले व्यक्ति को न निकाला जाय जब तक विहित प्रक्रिया के बाद उसमें नियुक्ति न कर दी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सब लोग सर्व सम्मति से इसको पारित करेंगे, जिससे कि अध्यापकों के भविष्य की रक्षा की जा सके ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गुप्ता जी ने अपने विचारों को बड़े विस्तृत रूप से प्रकट किया । उनके पीछे जो भावना है वह बहुत सुन्दर है, अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है । लेकिन उसमें कुछ दिक्कते हैं । एक यूनिवर्सिटी एक छोटी दुनिया होती है । टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर, स्टुडेन्ट्स सब मिल करके एक छोटी दुनिया है जिसके इन्तजाम में कठिनाई पड़ती है । कभी-कभी ऐसा भी होता है और बहुधा ऐसा होता है कि कोई टीचर कहीं चला गया, कोई और कारण से नहीं रहा, तो इस बात की शक्ति दे दी जानी चाहिये और मिलनी चाहिये वाइस चान्सलर को, जिससे कि पढ़ाई लिखाई का काम उचित रूप से चले कोई नियुक्ति कर दी जाय । लेकिन यह नियुक्ति परमानेन्ट नहीं हो सकती । कान्स्टीट्यूशन में भी इस बात का प्राविधान है कि अगर कोई व्यक्ति टेम्पोरेरी रख लिया गया है तो एक महीने का नोटिस देकर के या एक महीने की तनख्वाह के साथ उसको हटाया जा सकता है । उसमें यह डिसएबिलीटी नहीं अटेच है कि वह सेलेक्शन कमेटी के सामने फिर से नहीं आ सकता । उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसका एपाइन्टमेन्ट हो सकता है । अगर ऐसा कर लिया जाय कि उसका एपाइन्टमेन्ट रेगुलराइज कर दिया जाय...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह नहीं कहा । मैंने यह कहा कि जब तक विहित प्रक्रिया के अधीन उस पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक काम करें यह नहीं कि 6 महीने के लिए एक को रखें और 6 महीने किसी और को रखें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

कभी-कभी जरूरतें ऐसी होती हैं कि तीन, चार महीने के लिये जरूरत पड़ी । अब यह कहना कि उसकी सर्विस उस वक्त तक रिटेन की जाय जब तक कि वह कमीशन से रेगुलराइज न कर लिया जाय यह बात सारे प्रशासन को पेरेलाइज कर देगी और इससे आपकी मंशा भी पूरी नहीं होगी । इतने टीचर्स इससे आ सकते हैं कि उनके पास कोई काम ही नहीं रहेगा और उनको पता नहीं होगा कि वह कहां जायं और क्या काम करें और क्या काम न करें । लिहाजा प्राविजन नहीं हो सकता और कहीं भी ऐसा विधान किसी विभाग में नहीं हो सकता । बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरियां तलाश करते रहते हैं और टेम्पोरेरी काम कहीं कर लेते हैं । आज इस विभाग में और कल उस विभाग में वह काम कर लेते हैं और जब बेहतर प्रास्पेक्ट आ जाते हैं तो वह वहां चले जाते हैं । इस तरह से कम्पीटीटिव लइफ होती चली जाती है । लिहाजा गुप्ता जी ने जो संशोधन रखा है उससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई में भी सुविधा नहीं होगी और इतने लोग हो जायेंगे कि उस काम को सुचारु रूप से करने में कठिनाई होगी । इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिये कि एक फैथ होती है । वहां के वाइस चान्सलर, हड आफ दि डिपार्टमेन्ट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें फैथ होनी चाहिये । ऐसा हर व्यक्ति नहीं करता कि अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

रिश्तेदार को एप्वाइन्ट कर दिया। दो चार ऐसे केसेज हो जायं लेकिन अगर बिलकुल फेथ उनमें न रहेगी तो काम नहीं चल सकता। अगर किसी का लड़का है और क्वलिफाइड है महज इसलिये कि वह लड़का है तो न रखा जाय, यह उचित नहीं है। लड़का और बाप यह तो दुनिया का रिश्ता है ही। इसलिए वह बात उचित नहीं प्रतीत होती। इन शब्दों के साथ माननीय गुप्ता जी की बात का मैं विरोध करता हूं।

श्री जटाशंकर सिंह--

मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कभी-कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि दो तीन महीनों के लिये ही नियुक्तियां की जाय। अगर कोई दो तीन महीने के लिये बाहर चला गया है और उसके स्थान पर किसी की नियुक्ति की गयी है और उसके वापस आने पर उसको हटाने की बात की गयी है तो हमारे संशोधन के प्रस्तावक महोदय को ऐसे में किसी तरह का आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वह नियुक्ति तदर्थ नियुक्ति है और इसलिये उसे हटाया गया है कि किसी अधिकारी या किसी प्राध्यापक का कोई लड़का है या परिचित है जिसमें वह दिलचस्पी रखता है और उसकी नियुक्ति करता है और बिना किसी औचित्य के उस अध्यापक को निकाल दिया जाता है जिसने 5,6 वर्ष से विधिवत् कुशलतापूर्वक अध्यापन कार्य को अन्जाम दिया था तो यह किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। लिहाजा सम न्याय मानवता और औचित्य तीनों दृष्टि से यह संशोधन उचित है और माननीय मन्त्री जी को इसे निश्चित रूप से मान लेना चाहिये। हमारे साथी ने अभी कहा कि विश्वविद्यालय एक छोटी दुनिया है। निश्चित रूप से वह छोटी दुनिया होती है लेकिन क्या छोटी दुनिया के अन्दर इस प्रकार का कोई अनौचित्य होना छोटी दुनिया के नाते क्या स्वीकार किया जा सकता है कि वहां पर ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो मन में आये वह अधिकारी या उपकुलपति किसी व्यक्ति को निकाल दे और उसके बाद अपने आदमी को वहां पर रख ले। तो यह चाहे छोटी दुनिया हो या बड़ी दुनिया हो वहां पर इसका चलन सम न्याय पूर्ण और औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता है।

मान्यवर, जहां तक इस बात का प्रश्न है। उनमें योग्यता नहीं है और इस कारण निकाला गया है तो ऐसी बात नहीं हो सकती। क्योंकि जिसने 5-5 और 6-6 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया हो उसमें योग्यता की कमी रह जाय और उसकी जगह पर दूसरी नियुक्ति की जाय इसमें मैलाफाइडी इन्टरेस्ट हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। एक बात यह भी कही गई कि वह चयन समिति में नहीं गया। माननीय विधायक जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया है उन्होंने ही इस बात को कहा है कि उनका यह आशय नहीं है, कोई निहित भाव नहीं है कि जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है वह चयन समिति की प्रक्रिया से न गुजरे। मान्यवर, वह उस प्रक्रिया से गुजरता है और तभी नियुक्त होता है। वैसे ही नियुक्ति नहीं होती है नियमानुसार चयन समिति की प्रक्रिया से गुजरे और तब उसको स्थायी किया जाय यही इस विधेयक की मंशा है। इसलिये यह समीचीन न्यायोचित और औचित्यपूर्ण है। अतएव मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस पर अपना समर्थन देकर इसको पारित करने की कृपा करें। आपने जो मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिये धन्यवाद।

*श्री विजय सिंह राना--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करन के लिये खड़ा हुआ हूं। विश्वविद्यालय स्तर के लिये जो बात उन्होंने रखी है मैं भी यह अनुभव करता हूं कि अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति होती है चाहे वह प्रोफेसर की हो या प्रवक्ताओं की हो और चाहे वह स्थायी नियुक्ति ही क्यों न हो यह जो अधिकारी वर्ग है वह अपने पक्ष के लोगों को या अपने चहेते लोगों को नियुक्त कर देते हैं और उनके जाने के बाद स्थिति दूसरी दिखाई देती है। आज यहां दिखाई देता है कि शिक्षा के क्षेत्र मे भ्रष्टाचार पनप रहा है। यह खास तौर से इन्टरमीडिएट स्तर पर था और अब विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच गया है। दो-चार हजार रुपये देकर नियुक्ति के लिये सौदा तय होता है और दूसरी नियुक्त कर ली जाती है और इस तरह से स्थायी अध्यापकों को निकाल दिया जाता है और अस्थायी नियुक्तियां कर ली जाती हैं। जहां पर लम्बे समय तक काम करने का मौका मिलता है वहां 10-10 हजार रुपये तक देकर नियुक्तियां की जाती हैं। इस तरह से एक व्यक्ति का शोषण ही नहीं होता है बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें एक व्यक्ति चाहे वह स्थायी तौर पर ही क्यों न नियुक्त हुआ हो उसको विहित प्रक्रिया पूरी होने तक नियुक्त होना चाहिए और इस तरह से जिसकी नियुक्ति हो जाय उसकी सुरक्षा होनी चाहिये ताकि कम से कम वह तब तक स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर सके। जिस व्यक्ति के दिमाग में यह स्वतंत्रता नहीं होगी और वह यह सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए नियुक्त हुआ हूं तो वह ठीक से अध्यापन का कार्य नहीं कर पायेगा। उसकी निष्ठा तभी सम्भव हो सकती है जब कम से कम उसके दिमाग में यह रहे कि जिस समय तक की उसे नियुक्ति मिली है उस वक्त तक स्वतन्त्रता पूर्वक काम करने दिया जायेगा और कोई बाधा नहीं आयेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह एक तरह से उस व्यक्ति की सेवाओं की सुरक्षा का जिसे थोड़ा समय के लिए काम करने का मौका मिला। मैं चाहता हूं कि आज बरोजगारी का जमाना है तो कम से कम वह व्यक्ति जो अल्प समय के लिए आया है उसे ईमानदारी से काम करने का अवसर मिले उसकी सेवा सुरक्षित करनी चाहिये।

दूसरी बात भ्रष्टाचार की है। हमारे विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे न बनने पावें उनको हम कम से कम नियमों के द्वारा रोक सकते हैं। अगर हम किसी को नियमों के द्वारा सुरक्षा दे सकते हैं तो वह उसे मिलनी चाहिये। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उदार हो कर देखें इसमें पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है। यह व्यक्ति की सेवाओं का सवाल है, शिक्षा विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने का सवाल है, एक व्यक्ति की क्षमता से काम लेने का सवाल है। इसका कहीं भी मंत्री महोदय से विरोध नहीं है। मैं चाहूंगा कि उदारता के साथ थोड़ी ईमानदारी के साथ वह सोचें और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

श्रीमन्, इस विवाद के लिए थोड़ा समय बढ़ा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, इसमें काफी विवाद हो चुका है ।

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करती हूं । लेकिन मैं यह जरूर एप्रिशियेट करूंगी कि जो माननीय सदस्य ने भावनायें व्यक्त की हैं वह अच्छी हैं । लेकिन इसमें कुछ पहलू हैं उन पर गौर करना ह । मान्यवर, कभी-कभी हमको भलाई करने के लिए आपरेशन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो शुरू में कड़वी लगती है लेकिन जिनका बाद में मीठा असर होता है । मान्यवर, 1973 का उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम है उसकी धारा 15 उपधारा 6 में जिसका आपने उद्धरण किया ह उसके विषय में मुझे यह कहना है कि यह तो इमरजेंसी पावर हैं, कोई खास मौके पर तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को कायम रखा जाय या कोई जबरदस्त सैटबैक हो तब प्रयोग किया जाय । इसके साथ ही उपधारा 8 को देखें । उसमें है कि यह कुलपति के आदेश की तारीख से 6 महीने की कालावधि के अवसान पर समाप्त हो जायेगा और उसमें कुलाधिपति की आज्ञा की बात भी है । तो ऐसी कौन सी बात है कि वह इमरजेंसी 6 महीने से तीन साल तक चलती रहेगी । यूनिवर्सिटीज में बार-बार तदर्थ नियुक्तियां की जायं मैं इसके विरुद्ध हूं । इससे उन बच्चों के साथ न्याय नहीं होता ह जो टापर होते हैं, जो अति उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं । यह उनका अपमान है, तदर्थ नियुक्ति करना उनकी विद्वत्ता के साथ अन्याय है । जो हमारे ज्ञानवान छात्र हैं जिन पर हमें गर्व ह जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया है उनका अपमान मैं हरगिज नहीं होने दूंगी ।

मान्यवर, मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय की, सन् 1940, प्रि-इन्डेपेन्डेंस की याद आती है । उस समय वहां विश्वविख्यात, बड़ विद्वान् स्व0 वीरबल सहानी, स्व0 डा0 अय्यर, डा0 भाल, राधाकमल मुकर्जी, राधा कुमुद मुकर्जी थे स्व0 डा0 सिद्धान्त, जिनकी चरणों में बैठकर मैंने शिक्षा ग्रहण की है । उर्दू में भी इश्तिमास और अली अहम्मद जैसे विद्वान् लोग थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी आचार्य नरेन्द्र देव जैसे महापुरुष थे । किन्तु अब धीरे-धीरे उसका पतन होता जा रहा है । हमारे स्व0 डी0 पी0 धर, जिन्होंने राजनीति में बड़ा नाम पैदा किया, जिनके समय में बंगलादेश की लड़ाई लड़ी गई और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, यह भी इसी नगर के छात्र थे । इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियां लखनऊ ने पैदा की, कहां तक नाम गिनाऊं । हम विपक्ष के सहयोग से लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्तर को सन् 40 के स्तर तक ले जाना चाहते हैं और उससे भी ऊंचा उसे उठाना चाहते हैं । मैं चाहती हूं कि अपने विश्व-विद्यालय में योग्यतम आचार्य हों, जिनके चरणों में बैठकर हमारे छात्र अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करें ।

अभी एक ने कहा कि अगर अध्यापक अनुशानहीन और भ्रष्ट न हों तो छात्र भी अनुशासित बन सकते हैं । तो अनुशासित होना अलग चीज है, यह उसे विद्वता को योग्यतम पदवी उसे नहीं देता है । हमें पहले देखना है कि उसमें कितनी योग्यता है और कितना प्रकाण्ड उसका ज्ञान है । हमारे पास दुनिया में अपना नाम कमाने वाले योग्यतम छात्र हैं, मैं चाहती हूं कि यह यूनिवर्सिटी उनको मान्यता दे और उनकी योग्यता का पूरा लाभ उठा सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी जो आपने तदर्थ नियुक्तियों को लेकर कहा, तो बार-बार हमने मना किया कि यूनिवर्सिटी की तदर्थ नियुक्तियां खत्म की जायें। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति को 21 अगस्त, 1978 को यह निर्देश दिया गया कि यह तदर्थ नियुक्तियां तुरन्त समाप्त की जायें और 31 दिसम्बर, 1979 के अन्दर ही इस काम को कर लिया जाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यह ज्यादा बड़ी प्राब्लम है, यहां 1 जनवरी, 1979 को 83 तदर्थ नियुक्तियां थीं। इनके लिए हमने मौका दिया और शासन ने आदेश दिया कि तुरन्त सेलेक्शन कमेटी इसके लिए बुलाई जाए और उसके अनुसार कार्यवाही की जाये और तदर्थ नियुक्तियां खत्म की जायं। तो हमें बताते खुशी हो रही है कि इसमें 48 को बाकायदा सेलेक्शन कमेटी ने चुना और वह एबजार्व कर लिये गये हैं। चार को पैनेल में चुना रिजेक्ट नहीं हुए, इसलिये आप को भी चान्स दिया गया। 5 और 23 सेलेक्शन कमेटी में बिलकुल रिजेक्ट हो गये पांच ने हाई कोर्ट में रिट फाइल की। हाई कोर्ट का हुकुम हमारे लिए मान्य है। लेकिन जो रिजेक्ट हो गये हैं हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है,। आप कहते हैं कि चार-छः साल पढ़ाया। मुझे हैरानी है कि पांच साल पढ़ाने के बाद भी वह रिजेक्ट हुए और लड़कों का मुकाबला नहीं कर सके जो फ्रेश यूनिवर्सिटी से निकले थे। उनको सेलेक्शन योग्य नहीं समझा गया। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है, फिर मौका देंगे। हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं। बेशक सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग में फिर से आयें। फिर से मौका देंगे। अपनी योग्यता का सबूत दें और सर आंखों पर हैं। वह आयें हमारे हिसाब से डाक्टर बीरबल जैसे काबिल, आचार्य नरेन्द्र देव जैसी विभूतियों को फिर से जागृत करें। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। टीचर्स के साथ अन्याय नहीं करेंगे लेकिन छात्रों के प्रति भी अन्याय बरदाश्त नहीं करेंगे। हम उत्तम अध्यापक और आचार्य देंगे। विश्वविद्यालय को, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उच्चतम स्थान दिलवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इन शब्दों के साथ बड़े दुख के साथ आपके प्रस्ताव का विरोध करती हूं और अपील करती हूं, करबद्ध प्रार्थना करती हूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं, आप इसको वापस लें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को बिलकुल जमीन से ऊपर उठा देंगी। लेकिन बुन्देलखंड और कानपुर विश्व-विद्यालय किस श्रेणी में आते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

अब गुप्त जी को बोलने दें। गुप्त जी, आप संक्षेप में कहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर मूल्यवान विचार प्रकट किये। जो माननीय मन्त्री जी का भाषण हुआ है, उससे मेरे तर्कों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो ऐडहाक अप्वाइन्टमैंट्स हुये थे उनमें से लगभग सभी चयन की प्रक्रिया में फिर से आ गये। यही कहूंगा कि वह योग्य थे इसलिए चयन की प्रक्रिया में आ गये। लेकिन एक बात माननीय मन्त्री ने छिपा ली। मेरा साफ तर्क है। व्यक्तिगत रूप से मैं तदर्थ नियुक्तियों

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

के खिलाफ हूं। लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है उसमें नियुक्ति नहीं कर पाये और टीचिंग का नुकसान हो रहा है, उस नाते आपने नियुक्ति कर ली। तो गारन्टी दीजिये। डेली वेज अर्नर न बना रहने दीजिये। जो उदाहरण दिया उसमें ऐसा कहा है, दो वर्ष काम किया, उसके बाद निकाल दिया गया, तीन वर्ष के बाद प्रक्रिया पूरी हुई तो फिर चुन कर आ गये। आपने विद्यार्थियों का अहित कर दिया उनको योग्य अध्यापकों से वंचित कर दिया आपकी सदिच्छा है कि विश्वविद्यालय से ऐसे योग्य छात्र निकलें, तो निकल नहीं पायेंगे, गुणी प्रतिभा सम्पन्न, शिक्षाविद डेल वेजेज पर काम करने के लिए नहीं जायेंगे। आप चयन प्रक्रिया म इतनी जल्दी करेंगे कि निर्धारित समय से सही व्यक्ति की नियुक्ति हो जाय। लेकिन कमजोरी विश्वविद्यालय की है, कमजोरी उसके नियम और अधिकारियों की है, नियुक्ति नहीं कर पाते। कामर्स में आनरेरियम देकर अध्यापकों से काम कराया जा रहा है। क्योंकि वहां पर चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुयी। जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे आपका विद्वेष है लेकिन वे लोग हाई कोर्ट से जीत कर आ गये हैं। जो लोग 5-7 साल पढ़ाने के उपरान्त भी चयन प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं, उनके लिए मैंने कभी वकालत नहीं की है लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष तक ठीक से काम करता है वह कोई गड़बड़ी नहीं करता है, उसको आप निकाल दें, यह ठीक नहीं है। चयन प्रक्रिया सम्बन्ध में जो तर्क मैंने दिये हैं, माननीय मन्त्री जी ने उनका समर्थन किया है। अतः मैं चाहता हूं कि मेरा जो संशोधन विधेयक है, उसको स्वीकार करें तब जाकर लखनऊ विश्वविद्यालय का वातावरण ठीक होगा और माननीय मन्त्री जी की जो स्वेच्छा है वह पूरी होगी।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

काम करने के लिये सक्षम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

(मध्य 3.5 अपराह्न)

*श्री धरम पाल सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रस्ताव नवयुवकों को बेकारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में रखा है सिद्धान्त रूप से मुझे इसका समर्थन करना चाहिये लेकिन ईमानदारी का तकाजा है कि मैं इसका विरोध करूं।

मान्यवर, इस प्रस्ताव की जिसमें नवयुवकों को चन्द सिक्कों से खरीद कर नपुंसक बनाने का प्रयास किया गया है, मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। किसी भी देश या प्रदेश की शक्ति उसके नवयुवक होते हैं उनकी जवानी और संघर्ष

---

†दिनांक 19 सितम्बर, 1980 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने की क्षमता ही देश और प्रदेश को आगे बढ़ाती है। जिसमें ऐसी क्षमता नहीं होती ह तो उनकी जवानी बुढापे में परिणीत हो जायेगी। ऐसे धृणित प्रस्ताव पर सदन में कुछ कहते हुये बड़ा दुःख होता है।

मान्यवर, वर्ष 1977 में आपने देखा होगा कि प्रदेश के नवयुवकों ने क्रान्ति की जिसके फलस्वरूप कांग्रेस सरकार का पतन हुआ और जनता सरकार का गठन हुआ। साथ ही मुझे यह भी कहने में कुछ संकोच नहीं है कि वर्ष 1980 में इसी नवयुवकों के संघर्ष के कारण जनता सरकार का पतन हुआ। तो इन नवयुवकों के ईमान को मात्र चन्द रुपयों में खरीद कर उनको गुलाम बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। प्रदेश के नवयुवक आज संघर्ष की मुद्रा में है और संघर्ष करना चाहता है अपने अधिकारों और अपने कर्त्तव्यों के लिए न कि चन्द चांदी के टुकड़ों के लिए जो उसे भीख में मिले। किसी आदमी को भिखारी बनाना आसान काम है जिस प्रकार से कहीं पर आप मंदिर बनवा दीजिए और किसी आदमी को वहां पर बिठा दीजिए, पचासों भिखारी अपने आप में वहां पर पैदा हो जायेंगे। यह यही प्रवृत्ति मंदिर बनाने की सी प्रवृत्ति है। इसको खत्म होना चाहिए। इसके बजाय आप कुछ कन्स्ट्रक्शन कीजिए, अस्पतालों का निर्माण कराइये, विद्यालय खुलवाइये लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि नवयुवकों को बेकारी का भत्ता दे दिया जाय।

मैं पूछना चाहता हूं कि किस नवयुवक ने किस नेता से कहा कि हमको बेकारी का भत्ता दिया जाए। मैं नहीं समझता कि नवयुवकों ने शासन को या हमारे दल को कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा हो। हो सकता है यह उनके दिमाग की कल्पना हो। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि आज उन नौजवानों के जीवन से खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होगा, नवयुवकों में स्वयं संघर्ष करने की क्षमता है, वे अपना मार्ग स्वयं चुन लेंगे, उन्हें किसी भीख की जरूरत नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह सुविधा दे दी जाये, वह सुविधा दे दी जाये, इन्टरव्यू में जाने के लिए किराा आदि दे दिया जाये, मैं कहता हूं कि जिस नवयुवक ने संघर्ष करके पढ़ाई की यह वह किसी न किसी तरह से किराये का भी प्रबन्ध कर लेगा। हमारे प्रदेश का जवजवान रिक्शा चला लेगा, मजदूरी कर लेगा, खोन्चा लगा लेगा, लेकिन वह सरकार से किसी प्रकार की भीख मांगना पसन्द नहीं करेगा। इस संकल्प से तो प्रदेश का नौजवान बागी हो जायेगा, वह अस्त्र भी उठा सकता है। आपने उनकी जवानी का संघर्ष नहीं देखा है, वह संघर्ष के लिए मर सकता है, अपने को मिटा सकता है, भीख कभी नहीं मांग सकता। अतः इन थोड़े शब्दों में नवयुवकों की भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए इस संकल्प का मैं जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। यह प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, वैसे तो भारतवर्ष में करोड़ों बेरोजगार हैं, लेटेस्ट सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार 1 हजार में 587 हैं। यह आंकड़े उन नवयुवकों के हैं जिन्होंने अपने नाम इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में दर्ज कराए हैं। इसके अलावा अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या तो करोड़ों में होगी। विदेशों में जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वहां इस प्रकार का भत्ता भी दिया जाता है जैसे इंगलैंड में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। किन्तु हमारा देश निर्धन देश है और विशेषकर हमारे प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात अन्य राज्यों में भी, जैसे केरल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश,

[श्री नरेन्द्र सिंह--]

उड़ीसा, हरियाणा आदि प्रदेशों में भी उठी थी, कहीं पर 30 रुपया कहीं 40 रुपया दिया भी जाता है। लेकिन इस पर हमें विचार करना होगा कि क्या यह, जैसा कि माननीय धरमपाल जी ने कहा, एक प्रकार की भिक्षा नहीं है ? शिक्षित नवयुवकों को, मेरे विचार से इस प्रकार का बेरोजगारी भत्ता अकर्मण्यता की भावना

[इस समय 3 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बलदेव सिंह आर्य पीठासीन हुए।]

इस प्रकार का संकल्प अनुचित और अनप्रैक्टीकल है। होना यह चाहिए कि हमारे प्रदेश में नवयुवकों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। यह प्रस्ताव तो प्रदेश के नवयुवकों को शक्तिविहीन कर देगा। इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

श्रीमन्, यह जो आज संकल्प प्रस्तुत है कि बेरोजगारों को शैक्षिक बेरोजगारों को, योग्य बेरोजगारों को भत्ता दिया जाय, मैं श्रीमन्, सिद्धान्ततः तो इसका विरोध नहीं करता, लेकिन वैसे देखा जाय, तो बेकारी और बेकार लोग अनेक प्रकार के हैं। शिक्षित बेरोजगार हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं, टेक्निकल बेरोजगार हैं, अतकनीकी बेरोजगार हैं। तो श्रीमन्, अगर उस बेरोजगारी की जड़ में देखा जाय, तो यह वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की देन है। आज जो दिशा-विहीन शिक्षा व्यवस्था है, आज जो शिक्षा रोजगारपरक नहीं है, शिक्षा का नियोजन से सम्बन्ध नहीं है, इसीलिए यह सारी समस्यायें आज हैं। तो निश्चय ही, वैसे तो देखा जाय हमेशा शिक्षा के परिवर्तन की बातें कही जाती हैं, जो भी राजनैतिक लोग परिवर्तन की दिशा में सोचते हैं, तो अपनी जबान से, आमूल-चूल और क्रांतिकारी परिवर्तन की बात हर आदमी करते हैं। लेकिन किस तरह से यह शिक्षा औद्योगिक मूलक होगी, कैसे पढ़े-लिखे नवजवान दर-दर की ठोकर नहीं खायेंगे? इस ओर किसी ने सोचा नहीं। श्रीमन्, जापान की तरह यहां भी प्रत्येक विद्यालय का एक छोटे-मोटे उद्योग की इकाई बनाना पड़ेगा जिससे हर एक विद्यार्थी के अन्दर कुछ अर्जित करने की प्रवृत्ति हो तथा कुछ सीखने की भी प्रवृत्ति हो।

एन0 सी0 आर0 टी0 की 10+2+2 की शिक्षा व्यवस्था थी। उसके अनुसार वर्क इक्सपीरियंस, कार्यानुभव की बात वहां पर कही गई थी कि विद्यार्थी अपने विद्याध्ययन काल में ही कुछ प्रैक्टिकल अनुभव करते चले, छोटे-मोटे, चाहे वह चाक बनाने का, लघु उद्योग, चाहे डस्टर बनाने का, चाहे सुई का, चाहे माचिस बनाने का हो, किसी न किसी प्रकार का एक छोटा-मोटा काम करने की प्रवृत्ति उनके अन्दर पैदा होगी। केवल एक बाबू बन जाय और कुछ चन्द रुपये की नौकरी पा जाय, इसको निश्चय ही समाप्त करें। जब नवजवान यह समझेगा, कि परिश्रम करके अपने बाहु-बल के ऊपर कुछ पैदा किया जाय और यह परिश्रम से श्रम से मान न समझें। श्रम से जो आज लोग हीन नहीं समझेंगे, वही जाकर आगे कुछ कर सकेंगे। शिक्षा को नये सिरे से नियोजित करना पड़ेगा। नये सिरे से शिक्षा को लाना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश में नहीं बन पाई है और यही कारण है कि केरल के छात्र में, दूसरे प्रकार की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा दी जाती है, उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रकार की, बंगाल में दूसरे प्रकार की, महाराष्ट्र में दूसरे प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जब तक शिक्षा में राष्ट्रीय पैमाने पर एकरूपता नहीं आयेगी, तब तक हमारे शिक्षित नवजवानों की बेकारी दूर नहीं हो पायेगी। इसलिए आज यह समस्या खड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा नीति बननी चाहिए, जिससे नवजवानों के अन्दर राष्ट्रीय प्रेम की भावना भी बढ़ेगी और नवजवानों को कार्यानुभव का अगर कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, तो निश्चय ही उसका लाभ हमारे प्रदेश का छात्र भी उठायेगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि निश्चय ही शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जाय जिससे यह जो संकल्प साथी ने रखा है, इसकी जड़ जो है, वह समाप्त हो सके।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, जो हमारे गुप्ता जी ने नवजवानों को रोजगार भत्ता देने की बात कही है, उसके सम्बन्ध में, उस बात का विरोध करते हुए मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक लाइन मान्यवर, मुझे याद आ गई।

हमने माना कि तगाफुल न करेंगे लेकिन,
खाक हो जायेंगे हम, उनको खबर होने तक।

मान्यवर, जब माननीय गुप्त जी की हूकूमत थी, तब इन्होंने भारत के तमाम नौजवानों को इतनी गलत दिशा दी कि पूरा हिन्दुस्तान आज उस आग में जलने लगा है। (शोर) इनका जो मैनोफेस्टो था, उसमें नौजवानों की गुमराह करने के लिए इन्होंने कहा कि हम हिन्दुस्तान के सारे नवजवानों को जो बेकार है, उनको रोजगार देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंग। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब इनको मौका मिला, तो कुछ नहीं दिया और दिया भी तो नवजवानों को गलत दिशा दी, लाठी-डंडे दिये और जेलों में भिजवाने की व्यवस्था की और आज सदन के पटल पर इनकी शुभकामनाओं की मांग कर रहे हैं।

मान्यवर, यह सही है कि आज नवजवानों में बेचैनी है, वह कराह रहा है और उसको कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही है और यह भी सही है कि हमारे यहां जो शिक्षा व्यवस्था है वह इस तरह नवजवानों में आज मांगें पैदा कर रही है कि विद्यार्थी कालेज और युनिवर्सिटीज से निकलने के बाद निश्चित रूप से उसे रोजगार मिलेगा। और उसके परिवार के लोग भी इसी आशा और उम्मीद में रहते हैं। क्योंकि जब वह गरीब मां-बाप अपने लहलहाते खेतों को और धर पर रखे जेवरों को गिरवी रखकर अपने-अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं कि हमारा लड़का जब शिक्षित हो जायेगा तो निश्चित रूप से उसे रोजगार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब वह कालेज और युनिवर्सिटीज से निकलते हैं तो इम्पलायमेन्ट के लिए दर-दर घूमते हैं और नौकरी नहीं मिलती और जब कोई दिशा नवजवान को नहीं मिलती तो वह बुरी-बुरी बातें करने के लिए बाध्य होता है और परिस्थितियां उसे मजबूर करती है, तब वह गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि रोजगार भत्ता न देने की जो हिमायत हमारे एक साथी ने की कि यह भत्ता देना निहायत गलत व्यवस्था है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन शिक्षा जरूर ऐसी होनी चाहिए कि कालेज से निकलने के बाद नौकरी के लिए परेशान न होना पड़े। बल्कि ऐसा कार्यक्रम तैयार करें, जिससे वह

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र--]

नवजवान स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बने और ऐसे छोटे-छोटे उद्योग और फैक्ट्रियां कायम हों, जिनमें वह काम कर अपनी रोजी-रोटी कमा सकें और हमारे बैंक्स के माध्यम से ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए तो कम से कम यह नवजवान युनिवर्सिटी और कालेज से निकले हुए छात्रों में ऋण का वितरण किया जाय, जिससे वह अपने छोटे-मोटे धंधे खोल सकें। तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि कभी किसी नवजवान को इस बात की जरूरत महसूस नहीं होगी कि रोजगार भत्ते के लिए तरसना पड़े और अन्त में यह भी कहना चाहूंगा कि रोजगार-भत्ता न देकर बल्कि शिक्षा व्यवस्था ठीक की जाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ हो सकें।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, अभी इस सदन में हुयी चर्चा को सुनकर मुझे गोस्वामी तुलसी दास जी की चौपाई याद आती है। "जाके पांव न गई बेवांई सो का जाने पीर पराई।"

मान्यवर ऊंचे-ऊंचे महलों, कारों और हर प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद, मुझे क्षमा करेंगे, 55 और 60 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुके हैं, वह व्यक्ति नौजवानों के ऊपर बोलने को खड़ा होगा तो उसका भाषण वही होगा जो हमारे माननीय सदस्य बोल कर गये हैं। उनका कहना है कि नौजवानों ने किससे कहा है कि मुझे बेरोजगारी भत्ता चाहिये, वह कौन से नेता हैं जिनसे नौजवानों ने यह बात कही है। नौजवानों के दिल का दर्द हममें से बैठे हुये सभी विधायक निश्चित रूप से सुनते होंगे। नौजवानों को भत्ता दिलाने के सम्बन्ध में कहा कि वह भिक्षा के समान है लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम अपने दैनिक भत्ता के लिये जाकर बैठते हैं लाइन में खड़े होते हैं वह भी तो केवल 30 रुपया है क्या उसको भिक्षा की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। मान्यवर, यही नहीं राजनैतिक पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन दी जाती है क्या उन्होंने इसीलिये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी कि उनको पैसा मिलेगा यही उनका लक्ष्य था ?

बेरोजगारी को भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में एक पहलू यह भी रखा गया कि उनका मनोबल गिर जायेगा, उसका स्वरूप भिक्षा का होगा। उसका दूसरा पहलू नहीं सोचा जा रहा है कि सरकार जब बेरोजगारी भत्ता देगी तो उस का कुछ राजस्व का अंश उसमें जायेगा तो वह बेरोजगारी को कम करने के लिये निश्चित रूप से चिन्तित होगी और उसको कम करने का प्रयास करेगी और सरकार को इस समस्या को हल करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा जो सरकार बेरोजगारी का भत्ता देने का विरोध करती है उनके मस्तिष्क में यही भावना है कि अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा तो उनको रिक्शा पुलर कहां से मिलेगा, शिक्षित पढ़े लिखे बेरोजगार कहां से बोरियां ढोयेंगे। मान्यवर, भट्ठों पर यही लोग ईंटें पाथते हैं और वह मजबूर होकर अपनी जीविका चलाने के लिये यह काम करते हैं, मान्यवर, वह व्यक्ति मजबूर, होता है। मान्यवर यह जो बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव है निश्चित रूप से प्रशंसनीय प्रस्ताव है और सरकार को इस पर अपनी सहमति देनी चाहिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। समय देने के लिए मान्यवर, हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

*श्री विजय सिंह राना--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज हम जब नौजवानों की बात करते हैं तो दुनिया के संघर्ष के इतिहास की कहानी भूल जाते ह । बेरोजगारी भत्ते को भिक्षा के समान कहा जा रह हैं। मान्यवर मैं समझता हूं कि इस तरह की बात करने वाले दुनिया के संघर्ष के इतिहास के पन्नों को उठाकर नहीं देखा। दुनिया का हर प्रगतिशील देश यह मान्यता प्राप्त कर चुका है कि बेरोजगार नौजवानों पर किसी माई बाप का ही भार नहीं है वह जिस देश की धरती पर जन्म लेत' हैं। उस देश की धरती में जो पैदा होता है उसमें हर नौजवान का बराबर का भाग है। चाहे यह गरीब का बेटा हो या अमीर का। देश के हर संसाधनों में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। सवाल है कि एक नौजवान पढ़ने-लिखने के बाद योग्य बने, जिसने अपनी मेहनत, योग्यता, क्षमता से योग्यता हासिल की, फिर भी बेरोजगार हैं, यह किसका दोष है, शासन का, जो शिक्षित बेरोजगार को रोजगार न दे सके। देश के साधनों पर सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी उत्पादन के साधनों पर एक पूंजीपति या पूंजीवादी व्यक्ति का हाथ नहीं होना चाहिए, समाज का, शासन का, हाथ होना चाहिए। रूस में चीन में जापान में क्या है। जो उसने अपने परिश्रम, मेहनत से योग्यता हासिल की और बेरोजगार है, तो वह स्वयं तो बेरोजगार बना नहीं, शासन ने बनाया है। बरोजगारो अपने कर्म में तो लिखा कर लाया नहीं। हमको हमारी क्षमता, योग्यता के हिसाब से रोजगार मिलना ही चाहिए, यह हमारा अधिकार है, दायित्व है। अगर वह अधिकार की बात नहीं करता तो वह नौजवान नौजवान नहीं। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म हैं। न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है। उत्पादन के जो साधन हैं उनका सरकार के हाथ में होना जरूरी है। बैंकों का राष्ट्रीकरण किया। आज देश के अन्दर सामान्य सीमा के अन्दर जीने वाले साढ़े ग्यारह करोड़ लोग हैं और साढ़े ग्यारह करोड़ की आमदनी अकेले बिड़ला की है। सारा सामान, सौन्दर्य प्रसाधन आदि टाटा, बिड़ला लेकर बैठ जायें, सारी पूंजी एक आदमी दबा कर बैठ जाये तो हम रोजगार कहां से दे पायेंगे। तो यह कमजोरी किसकी है, शासन की है। उत्पादन पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट लड़के आते हैं, इस तरह की व्ययवस्था होनी चाहिए कि जितने लड़के आते हैं वे उसमें समाहित हो जायें। यह तब तक संभव नहीं है जब तक उत्पादन के संसाधनों को चन्द पूंजीपतियों ने अपने चंगुल में दबा रखा है। उनके अन्दर से निकाल कर शासन इसकी व्यवस्था अपने हाथ में ले। ऐसा हो जाये तब हम लोगों के अन्दर समाज के सक्षम या अक्षम नौजवानों को रोजगार देने की क्षमता अपने आप आ जायेगी। दुर्भाग्य है कि इस संबंध में विचार नहीं किया जा रहा है।

आज तीस पैंतीस साल की आजादी के बाद भी हमारी सरकार उत्पादन के संसाधनों का नियमन नहीं कर पाई है। इसका नतीजा यह हुआ कि देश का पूंजीपति मौज मार रहा है, आलीशान भवनों में बैठा ह और सामान्य नौजवान भूखों मर रहा है डिग्रियों का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर सड़कों पर ठोकरें खा रहा है। शिक्षित नौजवान की हालत आज कैसी है। पूंजीपति का

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय सिंह राणा--]

लड़का योग्यता में आगे नहीं है, दौड़ने में आगे नहीं है, भागने में आगे नहीं है लेकिन वह मौज करता है और सामान्य घर का लड़का जो क्लास में फर्स्ट आता है, जो भागने में पूंजीपति के लड़के से आगे है, जो दौड़ने में पूंजीपति के लड़के से आगे है, योग्यता में आगे है, उसका दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत उसे रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता । हमारी सरकार नौजवानों को सड़कों पर पेट के लिए मुट्ठी भर दाने के लिए घुमा रही है । उत्पादन व्यवस्था को इस रूप में नियोजित करें कि हजारों योग्य नोजवानों को अपने आप हर साल रोजगार मिल सके । हजारों नौजवानों की मांग है कि उन्होंने जो योग्यता हासिल की है, जो क्षमता का विस्तार किया है, उसके मुताबिक सरकार को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिये । मैं साफ कहता हूं कि अगर यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा सकते तो इस बात से सचेष्ट हो जायें कि हजारों नौजवान बन्दूक लेकर सड़क पर आ जायेंगे और अपने आप अपने अधिकारों की मांग करेंगे । उसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिये । कुरूक्षेत्र में कहा गया है--

"यौवन चलता सदा गर्व से सिर ताने, सर खाचें" ।
युग कभी बदलता नहीं, बदलती युग की परिभाषा ।
संघर्षों के मध्य चमकती, नवयुग की अभिलाषा ।

इतना कह कर बैठ जाऊंगा कि वह अपने अधिकार मांगने के लिए तैयार हैं ।

*श्री श्यामलाल बाजपेयी--

--

श्री गोरेलाल शाक्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसके बारे में मैं अपना मत व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर माननीय गुप्त जी उस दल से सम्बन्धित हैं, जो सेंटर से राइट में चलता है उसका मतलब है कि पूंजीवादी के पोषक हैं और यह संकल्प बिल्कुल ही इक्सट्रीम लेफ्टिस्ट का कार्य है । इसलिये निवेदन है कि जो सदस्य कह रहे हैं अभी कि यह केवल सस्ती लोकप्रियता के कारण लाया गया है, वह सही है और यह उससे साफ जाहिर होता है । मैंने पूंजीवादी देशों की व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है । पूंजीवादी देश अमरीका में बेरोजगारी भत्ता है नहीं । वह क्या कर रहे हैं । मजदूरों का दमन चक्र चलाने के लिये सेकेंड डिफेंस लाइन अख्त्यार करते हैं । इन्डस्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, उतने ही मजदूर ट्रेन्ड करके मार्केट में डाल दिया और अगर मजदूरों ने हड़ताल करने की धमकी दी तो उन्होंने कहा कि धमकी मत दो । यह सेकेंड डिफेंस लाइन हमारे पास है । तुम अलग हो जाओगे और हम दूसरे भर्ती कर लेंगे ।

---

*श्री श्याम लाल बाजपेयी इसी संकल्प पर 19 सितम्बर, 1980 को भी बोल चुके थे, अंतः उनका आज का भाषण मान्यवर, श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

यह पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका वगैरह में है जहां मजदूरों की एक डिफेंस लाइन तैयार की जाती है और मजदूरों की जायज मांगों को नहीं माना जाता है। परन्तु हिन्दुस्तान की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं, यहां पर बेरोजगार इतनी मात्रा में हैं, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि लोगों को नंगे रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। गुप्ता जी आप सोच ही नहीं सकते हैं कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि रोजी रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था होनी चाहिये, अगर हिन्दुस्तान में देखा जाय तो मैं यह कहता हूं कि आधा बजट हिन्दुस्तान का किसी और योजना पर खर्च हो और आधा बजट सारे हिन्दुस्तान का जो हो वह अत्योदय स्कीम जो चली है, चाहे बेरोजगारी भत्ता समझ लें या चाहे अत्योदय स्कीम समझ लें इसी योजना के अन्तर्गत यह बेरोजगारी भत्ते की बात भी शामिल की जाय। इस रूप में शामिल की जाय कि जितने बेरोजगार हैं, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिय लेकिन इसके एवज में सरकार जो कुछ देगी अपने बजट के अनुसार वह स्वीकार करनी चाहिये। स्टैंडर्ड वेजज की कभी मांग नहीं करनी चाहिये और न हो सकती है। रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी सरकार की अवश्य लेनी चाहिये और एक दिन के दो रुपय या जो भी सरकार वे उसको लेना चाहिये लेकिन स्टैंडर्ड वेजेज की मांग नहीं करनी चाहिये।

मैंने बहुत से बेगर्स, भिखारी लोगों से बात की है जिनके पास कोई मकान भी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, खेती भी नहीं है, जब हम उनसे कहते हैं कि भाई तुम काम करोगे हम तुमको काम दिलायेंगे तो वह स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम आपके घर पर काम करने नहीं जायेंगे। यानी कि बिलकुल निठल्ले होकर भीख मांग कर खाना चाहते हैं। काम न किया जाय और नंगे रूप से बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया जाय तो देश के लिये इससे बड़ा कलंक और काला दिन हो ही नहीं सकता है। हमारा देश अर्द्ध विकसित है। एक चौथाई भी विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारों की फौज हमारे पास मौजूद है दूसरी तरफ विकास होना बाकी है, तो इन बेरोजगारों को काम में लगाना चाहिये चाहे सड़क पर लगायें चाहे पहाड़ों को खोदकर गिट्टी बनाने के कार्य में लगायें, हम उनको रोजगार अवश्य दें ताकि वह भूखे न मरे लेकिन बिलकुल नंगे रूप में वेजेज देने की बात नहीं होनी चाहिये। काम के बदले चार्जेज दिय जायं, उनसे काम अवश्य लिया जाय, अगर यह होता है तो स्वीकर है वरना केवल भत्ता देने से देश की तरक्की नहीं होगी। केवल इतनी ही मैं कहना चाहता हूं।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने के लिये मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा जो संकल्प नौजवानों को रोजगार भत्ता अविलंब देने के सम्बन्ध में है उसका मैं सैद्धांतिक रूप से बहुत कड़ा विरोध करता हूं। मान्यवर, जितनी भी दलीलें और जितनी भी बातें इस भत्ते को देने के सम्बन्ध में माननीय विरोध पक्ष के सदस्यों ने रखी हैं उनको सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचने के लिये बाध्य होना पड़ता है कि यह बहुत दबी हुयी इच्छायें हैं जो कुंठित हो चुकी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा--]

आपको तीन साल का मौका दिया गया था । आप उसमें बहुत कुछ कर सकते थे, बेरोजगारी भत्ता दे सकते थे और नई-नई स्कीमें चला सकते थे लेकिन आप कुछ नहीं कर सके । आपने कहा कि जो हमारी पार्टी के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था जिसमें नवजवानों के लिये अप्रेन्टिसशिप की स्कीम थी, जो लागू सभी प्रदेशों में की गयी थी लेकिन आपने चार्ज संभालने के बाद अप्रेन्टिसशिप स्कीम के अन्दर जो कारखानों में बेरोजगार नवजवान थे उनको आपन वहां से हटा दिया । यह बात सही है कि नवजवानों के पक्ष में जो हमने महान कार्य किया था और एक सुविधा उनको दिया था उसको आपने वापस ले लिया था । तो आपकी इच्छायें सांमतशाही जैसे प्रतीत होती हैं । मान्यवर, पुराने जमाने में सामंतशाही शक्तियां चाहती थीं, चीन को और अन्य देशों को गुलाम बनाना चाहती थीं, तो वह पहला काम करते थे कि जो देश को बचाने वाली फौज होती थी उसको वह अपंग बनाने की बात सोचते थे । उसी तरह में नहीं कह सकता कि यह किसके दिमाग की उपज है । लेकिन मान्यवर, बहुत ही सबल और बजबूत शब्दों में इस सदन के अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जो यह संकल्प रख रहे ह उसके अन्दर यदि कोई उनको सुझाव मिला है तो उस पर वह बार-बार सोचें । अच्छा होता कि जिस समय शिक्षा का बजट चल रहा था तो उस समय वह कह सकते थे कि शिक्षा हमारे प्रदेश की इस प्रकार की होनीं चाहिये कि हमारे जो बेरोजगार नवजवान हैं उनकी संख्या में कमी की जाय । यह भी कह सकते थे कि बी० ए० और एम० ए० की शिक्षा को समाप्त कर दिया जाय और कालेज तोड़ दिये जायं । इससे जो सड़कों पर नवजवान बेरोजगार घूम रहे हैं वह न घूमते और मैं समझता हूं कि उनके लिये आपके मन में कुछ सहानुभूति है । लेकिन मान्यवर, ऐसी स्कीम सदन के सामने लाना, जिसका प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश में प्रभाव पड़ता हो, मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है ।

मान्यवर, विदेशों के अन्दर कहीं-कहीं पर जहां भी ऐसी यदि कोई स्कीम है, अमेरिका या इंग्लैंड में है, तो वह बूढ़े लोगों के लिये है अथवा अपंग के लिये ओल्ड मैन होम्स बने हुये हैं, किन्तु यहां भी हमारी सरकार बूढ़ों के लिये वृद्धा पेंशन दे रही है लेकिन नवजवानों के लिये कि तुम अंपग बेरोजगार हो जाओ, तो मुझे इस सम्बन्ध में यदि आ रहा है, चूंकि मैं लिटरेचर का स्टूडेन्ट रहा हूं, टनीसन का लोटस इटर्स नमक कविता अर्थात् अफीमची बना देना । इसलिये मैं बहुत ही कड़े शब्दों में श्री गुप्त के संकल्प का विरोध करता हूं और नवजवानों को अपंग होने से बचाने के लिये अपनी बात इस माननीय सदन के समक्ष जोरदार शब्दों में कह रहा हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प श्री राजन्द्र कुमार गुप्त लाये हैं उसमें मेरे साथियों ने कहा है कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये यह सकल्प लाये हैं । लेकिन यह बात सही है कि जो वह संकल्प लाये हैं वह पास नहीं होना है चूंकि संख्या आपके पास अधिक है । सस्ती लोकप्रियता ऐसी बात कहना संकल्प के प्रति और यहां के नवजवानों के प्रति वह नाइंसाफी की बात कह रहे हैं । वह जो कह रहे हैं कि आज नवजवानों की संघर्ष शक्ति में इससे कुण्ठा आयेगी । यदि यह कहा जाय कि हमारे माननीय सदस्य जो चुन-चुन कर विधान सभा में आये हैं,

इन नौजवानों के बीच जायें तो यह देखेंगे कि एक नहीं हजारों, हजारों, नौजवान जो गरीबी के कारण, नौकरी न मिल सकने के कारण, बड़ी-बड़ी पढ़ाई करने के बावजूद, उनको एक मामूली चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है, उनके बाल बच्चे भूखे की स्थिति में रह रहे हैं। कुण्ठा इसलिए व्याप्त है, निराशा इसलिए व्याप्त है यहां तक कि बहुत से नौजवान सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

जहां तक इसके सद्धान्तिक होने का प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि जिस चीज के लिए हमारे राजेन्द्र जी मांग कर रहे हैं इससे किसी भी नौजवान का भरण-पोषण, उसके परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकेगा। यह केवल...

श्री कुबेर भण्डारी—

व्यवस्था का प्रश्न है। एम0 पी0 लाबी में बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

संसद सदस्य और विधान परिषद के सदस्य लाबी में बैठ सकते हैं, यह व्यवस्था है।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं यह कह रहा था कि जिस बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही है उससे किसी परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। न ही इससे हमेशा हमेशा के लिए वह बिरोजगार व्यक्ति बिल्कुल अपने घर पर निठल्ला बैठा रह सकता है एक मासिक पेन्शन के तौर पर बल्कि यह तो उसके जीवन चलाने का साधन, जिन्दा रहने का साधन, जब तक उसे रोजगार नहीं मिले तब तक उसका सहारा हो सकता है। कोई भी सरकार चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे यह सरकार हो यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले कि अगर यह किसी व्यक्ति के लिए रोजगार मुहैया नहीं करती है तो तब तक वह बराबर उसे भत्ता दे। यह एक साधन होगा सरकार के कान खोलने के लिए। हमारे देहातों के अन्दर, गरीब परिवारों के अन्दर, देखिये। एक तरफ सरकार कहती है निरक्षरता दूर करने का प्रयास करेंगे दूसरी तरफ देहात के गरीब परिवार के लोग, जिनको रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, वे देखते हैं कि अगर उनके बच्चे ने एम0 ए0, बी0 ए0 कर भी लिया तो उसे नौकरी नहीं मिल सकती। इसीलिए वे बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने नहीं भेजते हैं। जितने बालक पहली कक्षा में प्रवेश पाते हैं वे अगले साल पढ़ने नहीं जाते हैं और आठवीं कक्षा तक वे 25 फीसदी भी नहीं रह जाते। एम0 ए0 की कक्षा तक देहात के केवल दो प्रतिशत लड़के पहुंच पाते हैं। एम0 ए0 और बी0 ए0 करने के पश्चात् वे निठल्ले बैठे रहते हैं। उनके सामने कोई भी साधन नहीं है, जिन्दा रहने के लिए कोई जरिया नहीं है। आज इस संकल्प के द्वारा मैं समझता हूं राजेन्द्र जी ने जो बात सदन में उठाई है उसे जो भी युवक सुनेगा वह इसका स्वागत करेगा। आपने अनुदान की बात उठाई। जहां कहीं बाढ़ आती है, अनुदान की बात कही गयी लेकिन मैं जानता हूं कि अनेकों लोग होते हैं जो अनुदान लेने नहीं जाते। उसी तरह से जहां तक बेरोजगारी भत्ते का सवाल है जो साधन सम्पन्न लोग हैं वे उसे लेने नहीं जायेंगे, गरीब परिवार के लोग ही इसे लेने जायेंगे। इसलिए मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, अपने माननीय सदस्य से मुझे कहना है कि यहां पर जो कुछ भी बोला जाय हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के नाते उन शब्दों की व्याकरण शुद्ध होना चाहिए । मेरे मित्र ने अनेकों शब्द का इस्तेमाल किया । एक का बहुवचन अनेक हैं और बहुवचन का बहुवचन क्या हो सकता है ? व्याकरण की अशुद्धि उनको शोभा नहीं देती ।

‡श्री राज कुमार राय—

[ ] ।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी का संकल्प है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सरकार काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को जिस रीति एवं दर से वह (सरकार) उपयुक्त समझे अविलम्ब रोजगार भत्ता देना प्रारम्भ करे ।" इस प्रस्ताव की आत्मा का मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं ही नहीं हमारी सरकार इस प्रस्ताव की आत्मा को मान चुकी है और कोई भी आदमी जो जन कल्याणकारी राज्य का समर्थक हो वह इसकी आत्मा को स्वीकार करेगा । यह हमारे संविधान सम्मत है । मान्यवर, सारी पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, बड़ी-बड़ी जोत वाले हैं या बड़ी-बड़ी नौकरियों वाले हैं । बड़ी आमदनी के यही तीन स्थान हैं । यहां पर मान्यवर, कुछ ही लोग हैं जो इन तीनों कैटेगरी में आते हों या एक ही परिवार में तीनों समाविष्ट हों । हमारी जन कल्याणकारी राज्य मे यह देखना होगा कि इसको एक ही परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । इस तरह की व्यवस्था की जाय कि बड़े-बड़े व्यापारी, बड़ी-बड़ी नौकरी वाले और बड़ी-बड़ी जोतों वाले सौ-सौ, दो-दो सौ एकड़ वाले एक ही परिवार में समाविष्ट न हों । हमारी सरकार ने इस बात को अपने घोषणा-पत्र में रखा है हम इसकी व्यवस्था करेंगे और हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी अवश्य दे सकें । हमने निराश्रितों और विधवाओं का कानून बनाया है जिसका कोई सहारा नहीं है जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है । मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आपके ही जमाने में हमारी सरकार ने 60 वर्ष की उम्र वालों के लिए कानून बनाया है जिनकी जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं है । इस संकल्प के तहत कौन लोग बेरोजगार माने जायेंगे जिनको सचमुच भत्ता देने की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

उन लोगों को यह दिया जाना चाहिए जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है जिनके पास अपनी स्वयं श्रम शक्ति हो । जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे संविधान में दिए गए हैं उसकी मर्यादा के अन्तर्गत यह संकल्प आता है इस

---

‡नोट—श्री राजकुमार राय इसी संकल्प पर दिनांक 19 सितम्बर, 1980 को भी बोल चुके थे । अतः माननीय सदस्य का आज का भाषण माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तरह की व्यवस्था की जाय। और हमारी सरकार इसे मानती भी है तभी तो श्रीमन्, हमने राशन कार्ड की व्यवस्था की ह । आपने देखा होगा कि कोई आदमी भूख से नहीं मरने दिया । अगर किसी के पास खाने को नहीं है अगर भुखमरी का शिकार है तो उसे ऋण कार्ड की व्यवस्था की जाय ऐसे सरकार के आदेश हैं । तो इस संकल्प की आत्मा को हमारी सरकार मानती है । इन शब्दों के साथ में इस संकल्प की आत्मा का समर्थन करता हूं ।

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आप इस पर पहले बोल चुके हैं । इसलिए आप बैठें । दुबारा नहीं बोल सकते हैं ।

*श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । इस संकल्प के बारे में सत्ता दल से जोरों से विरोध किया जा रहा है । अभी एक सदस्य बोलते हुए कह रहे थे कि जिस दिन शिक्षा का बजट रखा गया था उस दिन क्यों नहीं चर्चा की गयी । उनको शायद मालूम नहीं है कि इस प्रदेश के अन्दर कई इंजीनियर डाक्टर और टेकनिकल लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं । अगर आंकड़े उठा कर देखा जाय तो वे लोग आज विदेशों में रोजी रोटी के लिए घूम फिर रहे हैं । तो ऐसी स्थिति में वह कैसे कह सकते हैं कि यहां के लोगों को एजूकेशन देकर अच्छे काम के लिए तैयार करें । मेरा यह मत है कि यह सरकार अच्छी तरह से जानती है यहां बच्चों के पढ़ने के लिए न कागज है, न बिल्डिंग है न स्कूल है और न टीचर हैं । तो फिर कैसे कहते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा दी जाय और उनको रोजगार के लिए तैयार किया जाय और बेरोजगारी भत्ता न दिया जाय ।

मान्यवर, आज स्थिति पैदा हो गयी हैं कि देश के अन्दर बेरोजगार लोग भूख से चिल्ला रहे हैं अगर उनकी आवाज सत्तादल के कानों तक नहीं पहुंची तो स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती हैं । मान्यवर, मैं बाहना चाहता हूं कि आज सरकार को पता नहीं है कि हमारे देश के अन्दर कितने लोग बेरोजगार हैं । इनके पास तो केवल वही आंकड़े हैं जो रोजगार दफ्तर लिख कर देता है जिनके नाम यहां लिखे हुए हैं । इसके अलावा भी बेरोजगार लोग हैं जो गांवों में रहते हैं जो खेतिहर मजदूर हैं । तो इस प्रदेश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हैं । इसी देश के अन्दर दूसरे राज्यों ने बेरोजगारी भत्ते का प्राविधान कर दिया है फिर क्यों इस प्रदेश में नहीं किया जा रहा है क्या कारण कि यहां का दिवाला इससे निकल जायेगा । पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल आदि ने यह प्रबन्ध कर दिया है । आप लोग इस प्रस्ताव का विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं कि यह विरोध पक्ष से आया है । इस प्रस्ताव का विरोध करने से न इस देश का भला होगा न प्रदेश का भला होगा ।

जब बजट रखा गया था तो यह कहानी कही गयी कि यह लोक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम स्वरूप निम—]

कल्याणकारी सरकार हैं। तो आज वह लोक कल्याण की बात मानने को तैयार क्यों नहीं होते हैं ? क्या यह लोगों को भूखा मारने के लिए तैयार हैं ? इनका उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने में क्या कठिनाई हो रही है ? यह इतना अच्छा संकल्प है, लेकिन केवल इसलिए कि यह विरोध पक्ष की ओर से आया है, न मानना उचित नहीं है और कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। रोजगार के अभाव में लोग पैसा न होने के कारण आत्महत्यायें कर लिया करते हैं। यह भत्ता देने से मानव को एक बहुत बड़े कुकृत्य से बचाया जा सकता है इस पक्ष के लोग तो इसे लाये हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से अनुरोध है, जिनकी संख्या ज्यादा हैं कि वह भी इसको मान लें, जिससे प्रदेश और देश को एक बड़ी राहत मिले। इसके साथ मैं सत्तापक्ष से निवेदन करता हूं कि इस पर वह पुर्नविचार करें और इसको स्वीकार करें।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दिया माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के संकल्प पर बोलने का। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि जिस संकल्प को उन्होंने रखा है वह उतनी साफ नीयत से है या नहीं। इस संकल्प के पीछे पहले हमें इनकी नीयत को हमें देखना होगा, यह किस दृष्टि से रखा गया है, इस पर हमें सोचना चाहिए कि नहीं। नीयत केवल यह तो नहीं है कि उन बेरोजगारों को भत्ता मिले या नहीं। माननीय सदस्य अवश्य प्रोगेसिव संकल्प रखने जाते जनता उनको समझे कि वह प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। हां, मैं यह जरूर मानता हूं कि उन्होंने अपने को प्रोग्रेसिव लाइन में खड़ा करने का पहला प्रयास किया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्रम विभाग की अनुदानों पर बोलते हुए उस दिन मैंने कहा था कि इस देश में जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। यह हर सरकार का कर्त्तव्य भी होता है। मगर मान्यवर इस देश में बेरोजगार कई प्रकार के हैं। एक तो वह हैं जिन्होंने किसी तरह से हाई स्कूल, इंटर या बी0 ए0 करके इम्प्लाएमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करा लिया है, लेकिन उनका घर सम्पन्न है अच्छी खेती है, टयूबवेल है, ट्रैक्टर हैं तथा अन्य तमाम साधन हैं और वे घर खेती कर सकते हैं। दूसरे वे हैं जिनके पास कोई रोजी कमाने का साधन नहीं है जिनके माता-पिता ने जाने किस तरह कठिन परिश्रम करके, अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाया है और एक तीसरे प्रकार के वे बेरोजगारों में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने टेकनिकल एजूकेशन प्राप्त की है। अब सवाल यह है कि जो सड़कों पर खड़े हुए हैं जिनके माता-पिता ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से पढ़ दिया, समाज में जिनका कोई दरजा नहीं है, जिनकी कोई पहुंच नहीं है, वह जीविका के लिए तरस रहे हैं उसको पहले नम्बर पर नौकरी दी जाय। दूसरे वह बेरोजगार हैं जिनके पास साधन है, समाज में उनका एक दरजा है, उनके पास प्रभाव भी है। तो भी नौकरी पाने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। मान्यवर, नौकरी वह भी चाहते हैं जो साधन सम्पन्न हैं, जिनके पास जरिया माश है, ट्रैक्टर भी है, खेती भी है, जिनका बेटा खेती कर सकता है मुकाबले उनके जो सड़कों पर खड़े हुए हैं, जिनके बाप ने बड़ी मेहनत मशक्कत करके उनको बड़ा किया है, बेरोजगारी का भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि किसको बेरोजगारी का भत्ता दिया जाय।

आज गांवों में डाक्टरों की जरूरत है। कोई भी डाक्टर गांवों में जाकर सेवा कर कमा सकता है डाक्टरी मान्यवर,

ऐसा पेशा है, अगर गांव में परची और कलम लेकर बैठ जाय और मरीजों को देखें, तो वह भूखों नहीं मर सकता है । लेकिन वह नौकरी इसलिए चाहते हैं ततख्वाह हर महीने मिलेगी और ऊपर की आमदनी अलग से होगी । क्या उसको बेरोजगार मान लिया जाय, क्या उसको बरोजगारी का भत्ता दिया जाय । बेरोजगार वह इन्जीनियर भी हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिली है, मिलनी चाहिए । लेकिन इस बात को भी गौर करें । अगर उनसे कहा जाय कि अपने पैरों पर खड़े हो कर काम शुरू करो तो करने को तैयार नही हैं । तो देखना पड़ेगा कि बेरोजगारी का भत्ता किस को दिया जाय । मेरा निश्चित मत है कि आज इस बात की जरूरत ह कि जिनके पास कुछ नहीं उनको प्राथमिकता दे सरकारी नौकरी में हां, अगर बेरोजगारी का भत्ता दे सकते हैं तो उनको दिया जाय । इन शब्दों के साथ गुप्त जी के संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया सचमुच गुप्ता जी ने यह बड़ा अच्छा संकल्प प्रस्तुत किया है । एक बड़ा सद्धांतिक सवाल है इस पर बड़ी गम्भीरत से विचार करना चाहिए । हमारे देश में एलेक्शन के मौके पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं और भूली बातें भी याद दिलायी जाती हैं । लेकिन एलेक्शन होने के बाद जनता को कोई पूछता नहीं है । हमारे देश में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गयी है । लेकिन हमारे देश के अन्दर जैसे-जैसे विकास होता जाता है, वैसे बेकारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और अगर अखबारों की रिपोर्टों को माना जाय तो इस समय कम से कम 450 लाख आदमी इस देश में बेकार हैं और ऐसे बेकार जिनके पास न कोई खेती है, न कोई दुकान है, न कोई नौकरी है, न कोई व्यवसाय है । हमारे गांव में भूमिहीन किसान हैं । आपने भूमिहीनों को भूमि भी दी । सरकार ने महिलाओं को भत्ता देना स्वीकार किया । आपने अपाहिज बूढ़ों को भत्ता देना स्वीकार किया । लेकिन आप इसको नहीं सोचते कि आपकी सरकार हर साल बेकारों की फौज बढ़ाती चली जा रही है । आपने इसको सिद्धांत रूप में स्वीकार नहीं किया । आपकी सरकार कहती है कि हम समाजवादी सरकार हैं, हम समाजवादी हैं । दुनिया में कोई भी ऐसा समाजवादी देश नहीं है जिसने फंडामेन्टल राइट्स में यह न माना हो कि हर आदमी को काम पाने का अधिकार है । जब इसको हमारी सरकार दायित्व मानेगी तभी इसको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर कोई आदमी बेकार है तो उसको बेकारी भत्ता मिलना चाहिए और अगर वह यह कार्य नहीं करती है तो वह समाजवादी सरकार नहीं है ।

आज हो क्या रहा है । अगर एक डाक्टर है वह गांव में नहीं रहना चाहता है । एक लड़का जिसके पास ट्रैक्टर है, खेत है, वह खेती नहीं करना चाहता है । तो ऐसे लोग कितने हैं ? मुश्किल से 2-3 प्रतिशत लोग होंगे । हम जनता की बात करते हैं । जो 95 प्रतिशत है । हम तो बेकार लोगों को पैदा करते हैं, उनको काम देना आपके बस की बात है लेकिन जो 33 वर्षों से आपने नीतियां बनायी हैं, जिन रास्तों की ओर आप अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, समाज का साथ नहीं दे रहे हैं, उन पर चल कर आप टाटा, बिरला को ही आगे बढ़ा सकते हैं । पूंजीपतियों की फौज आप खड़ी कर सकते हैं, फोर्ड जैसे पूंजीपति भी आप खड़े कर सकते हैं लेकिन क्या इस देश के हजारों, लाखों और करोड़ों नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करा सकते हैं । मैं पूंछना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? आप बुक स्टालों पर

[श्री खैरुल बशर—]

देखिए वहां पर जो पुस्तकें होती हैं, उनसे हमारे बच्चों का चरित्र गिरता है। सिनेमा घरों में जाइये जुगनू जैसी फिल्म में उसमें हीरो चोरी करता है उस पर तालियां बजायी जाती हैं। बड़े-बड़े होटलों में चले जाइये सैकड़ों आदमी आपको शराब पीते दिखायी देते हैं। तो क्या उससे हमारे बच्चों का नैतिक पतन नहीं हो रहा है ? म पूछना चाहता हू कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं ? आज दूसरे देशों में जहां पर समाजवादी व्यवस्था है, वहां पर सिद्धान्त रूप में फन्डामेन्टल राइट्स में यह मान रखा है कि जो आदमी उस देश में पैदा होता ह, वह काम पाने का हकदार है और अगर सरकार उन्हें कोई काम नहीं देती है, बेकार बनाती है तो उन्हें बेकारी भत्ता मिलना चाहिए।

हमारे देश में भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बेकारी भत्ता दिया जाता है। बंगाल में 3 साल से 3 लाख आदमियों को 70 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से बेकारी भत्ता दिया जाता है जिससे वहां के बेकार नौजवान अपना पेट पाल सकते हैं, किसी को छुरा मार कर पैसा नहीं छीनेगा। वह अपने देश के अन्दर एक करेक्टर पैदा करेगा और उसके अन्दर राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। वह अपन देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा और सरकार को उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। इसलिए बंगाल की सरकार, केरल की सरकार और पंजाब की सरकार अपने नौजवानों को बेकारी भत्ता दे रही है। हमारे देश में यह परिपाटी चल पड़ी है। जो शासन अधिक शोषक होगा, सिद्धान्त रूप से समाजवादी नहीं होगा, समाजवाद की मखौल करता होगा, वह समाजवाद का झूठा नारा लगाता है। तो जब देश के कई प्रान्तों ने इसे मान लिया है तो मैं अपनी सरकार से भी अपील करूंगा कि वे भी इसको सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ले और इसके अनुसार व्यवस्था की जाय। यह हो सकता है, असंभव नहीं है। जब हमारा भारत एक है और इसके अन्य प्रदेशों में यह भत्ता दिया जा रहा है तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता है ?

इन शब्दों के साथ माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सरकार काम करने के लिए सक्षम बेरोजगारों को जिस रीति एवं दर से वह (सरकार) उपयुक्त समझे अविलम्ब रोजगार भत्ता देना प्रारम्भ करे। इस प्रस्ताव के पीछे उनकी जो भावना है उसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। हमारे देश और प्रदेश में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज है और वे ही राष्ट्र की निधि हैं। जिस गति से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है उस पर हमारे देश के बड़े-बड़े अर्थ शास्त्रियों ने अनेकों बार विचार किया है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि माननीय गुप्त जी ने यह प्रस्ताव अपनी सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए रखा है, क्योंकि मैंने देखा है कि वे हर मसले पर अपनी बुद्धिमानी और अपने विचारशील होने की छाप छोड़ते हैं। इसलिए उनकी भावना कभी भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की नहीं हो सकती। उनकी भावना निश्चित ही बेरोजगारों की समस्या की ओर ध्यान देना है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना इस प्रदेश की सरकार के लिए सम्भव हो सकेगा ? अब तक जनता पार्टी की भी सरकार रही-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविद की सरकार भी रही, साम्यवादी विचारधारा के लोग भी सरकार में रहे, मगर एक से एक प्रगतिशील विचारधारा के लोग आये, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का दल तो प्रतिक्रियावादी दल कहा जाता है, आज तक कोई भी इस चीज को कार्यान्वित नहीं कर सका ।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस संकल्प का व्यावहारिक रूप सम्भव नहीं है । हमारे पास इतने साधन नहीं है कि इसे पूरा कर सकें । अगर यह सम्भव भी हो जाए तो भी यह प्रदेश के हित में नहीं होगा क्योंकि इसके होने पर यह भी हो सकेगा कि जो सक्षम बेरोजगार होंगे उनको, हो सकता है वह भत्ता न मिल पाये, लेकिन धनी परिवार के लोग, जो वास्तव में कुछ श्रम करना ही नहीं चाहते, वह इसका लाभ उठा लें । इसीलिए इस संकल्प के भीतर जो भावना है उसका आदर करते हुये भी मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी शासन हो, यह कर नहीं पायेगा ।

बेरोजगारों की समस्या हल की जाये, इसमें किसी को कोई हिचक नहीं होना चाहिए । मगर इसके लिए हमें जन संख्या, जो इस तेजी से बढ़ रही है, इसको भी रोकना होगा। आज डेढ़ करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं । इसके लिए परिवार नियोजन का भी सहारा लेना होगा । आबादी की समस्या सभी विकासशील देशों के लिए एक गम्भीर समस्या बनी हुई है । और हमारी जो आवश्यकतायें हैं उनके बीच में संतुलन करके किस प्रकार देश और प्रदेश को आगे लाया जाय, यह बड़ी समस्या है । माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरु ने प्लानिंग कमीशन की जब स्थापना की थी, तो बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि भारत वर्ष बहुत गरीब देश है । यहां पर किस प्रकार से देश के विकास के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाय । हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं उन साधनों का एक बड़ा हिस्सा क्या हम इस प्रदेश के बेरोजगारों को भत्ता देने में व्यय करें या उसका उपयोग हम उन उद्योग-धंधों को चलाने में, उन कुटीर उद्योग-धंधों को स्थापित करने में व्यय करें जिससे कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके और उसकी आमदनी से और रोजगार चला सकें ।

मान्यवर, कोई भी शासन इस प्रदेश में हो, आज की परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं है कि बेरोजगार की इतनी बड़ी फौज को हम भत्ता दे सकें। अगर यह शासन तय भी कर दे कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तो मान्यवर, इसका कार्यान्वयन नहीं हो पायेगा । इसके कार्यान्वयन में इतनी कठिनाइयां आयेंगी कि हम और आप तथा राजेन्द्र कुमार जी रोज शिकायत करेंगे कि मान्यवर, जिनको भत्ता मिलना चाहिए उनको भत्ता नहीं मिल रहा है । इस संकल्प का कार्यान्वयन न हो पाने के कारण इसका मैं विरोध करता हूं । प्रदेश के विकास के लिए, कृषि औद्योगीकरण के विकास के लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे और हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर आलस्य के दायरे में उनको डाल देंगे । इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

*श्री जै राज गौतम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे गुप्ता जी ने जो संकल्प रखा है, उस पर दो शब्द कहने का मौका दिया । श्रीमन्, मुझे याद है कि 5 जून, 1974 को पटना में गांधी मैदान में स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण जी ने 5 सूत्रीय फार्मूला पेश करते हुए एक विशाल जनसमूह को सम्बोधित किया था, उसमें यह भी था कि नवजवान चाहे कोई विश्वविद्यालय का नवजवान हो, चाहे कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जै राज गौतम--]

अपनी शिक्षा को छोड़कर बाहरी समग्रक्रांति में कूद पड़े और उस 5 सूत्रीय कार्यक्रम में कर देने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था । मजदूरों के लिए यह कहा गया कि कल-कारखानों में काम करना बन्द कर दें, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जो विभिन्न संस्थाओं में पढ़ रहे थे कि हमको डिग्री मिलेगी, उसने सोचा कि समग्रक्रांति में सम्भवतः हमारी वह सारी आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी और उस समग्रक्रांति के माध्यम से, हो सकता है कि इस देश का पिछड़ापन, इस देश की बेरोजगारी, भुखमरी दूर हो जायगी ।

जनता पार्टी की सरकार उस समय जब यह चुनाव लड़ रही थी तो करोड़ों-करोड़ों इन्सानों के बीच में उसने घोषणा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी, तो हिन्दुस्तान के नवजवानों को रोजी देंगे और नहीं दे सकेंगे तो हम उनकी रोटी की व्यवस्था करेंगे । मान्यवर, मोरार जी देसाई की सरकार बनती है, माननीय मोरार जी देसाई दिल्ली में प्रधान मंत्री होते हैं और 3 महीने प्रधान मंत्री होने के बाद उनका बड़ा जोरदार स्टेटमेंट आने लगा । उनके घोषणा-पत्र के अनुसार हिन्दुस्तान का नवजवान उनके पास मांग करने लगा कि अपने घोषणा-पत्र में व्यवस्था दिया था, आपने विश्वास दिलाया था, उस विश्वास दिलाने के अनुसार अब चूंकि आप प्रधान मंत्री हैं और प्रधान मंत्री की कुर्सी पर अब आप बैठे हैं, और हम लोग बेरोजगार नवजवान इधर-उधर घूम रहे हैं, उसकी आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, जिसे शायद माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा । उन्होंने कहा था कि घोषणा-पत्र में दिये गये सारे के सारे वायदे पूरे करने की जरूरत नहीं है । यह वक्तव्य था, तत्कालीन प्रधान मंत्री का । तो मैं समझता हूं कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संकल्प रखा है, वह अपने शासनकाल में अपनी सरकार के माध्यम से रखते कि जहां के करोड़ों-करोड़ों जनता ने इसी विश्वास के साथ आपको जिताया था । तो श्रीमन्, उस समय तो नहीं किया पर आज देश के नवजवानों को इस संकल्प के जरिए भड़काया जा रहा है । यह एक विशेष राजनीतिक षड़यन्त्र है । इसके पीछे आपकी अच्छी मन्शा नहीं लगती है । इसलिए श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में जहां 1 लाख, 20 हजार बच्चा रोज पैदा हो रहा है और जहां लाखों लोग बेरोजगार हों, अगर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया भी जाय तो इसका कोई स्थायी हल नहीं निकलने वाला है । अगर सही मायनों में हल निकालना चाहते हैं तो आपको छोटे बड़े उद्योग धंधे और कल-कारखाने खोलकर उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था करें । इन्हीं शब्दों के साथ में कहना चाहूंगा कि माननीय राजेन्द्र जी ने जो संकल्प रखा है, वह बिल्कुल बे-बुनियाद है और सामयिक नहीं है ।

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने जो संकल्प रखा है कि "सक्षम बेरोजगारों को जिस रीति एवं दर से वह उपयुक्त समझें अविलम्ब रोजगार भत्ता देना प्रारम्भ करें ।"

मान्यवर, बड़ी विडम्बना की बात है कि स्वर्गीय जय प्रकाश जी ने पूरे देश के नवजवानों को एक मंच पर खड़े करके कहा था कि विद्यार्थियों यूनिवर्सिटी और कालेज छोड़ दो और समस्त भारत में टोटल रेवोल्यूशन छेड़ दो जो समग्र क्रांति के विचारों के विपरीत था । जबकि इसके विपरीत में महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान के नवजवानों और विद्यार्थियों से सन् 1942 में कहा था कि तुम अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के उलटने के आंदोलन में भाग लो । उस समय जय प्रकाश जी ने गांधी का विरोध किया था । मान्यवर, वैसे मैं इस संकल्प की आत्मा का समर्थन करता हूं, मगर जिस देश के अन्दर आज भी इतनी

बेरोजगारी हो रही है, उसका मैं विपक्ष के सदस्यों और पक्ष के माननीय सदस्यों से भी एक अनुरोध करता हूं कि किसी भी देश का जो विकासशील देश हैं, उनके यहां भी बेरोजगारी की समस्या है और हर देश में है। तो मान्यवर मैं इस सिलसिले में यहां तक कहना चाहूंगा कि यह बेरोजगारी भत्ता के बजाय "राईट आफ इम्पलायमेंट" संविधान में जोड़ा जाय और जब तक नहीं जोड़ा जाता है तब तक इस समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। और यही नहीं जब तक शिक्षा जाब ओरियेन्टेड नहीं होगी तब तक भी कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो जब यह आप करने लगेंगे तभी देश के अन्दर की बेरोजगारी मिटेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि पंत नगर विश्वविद्यालय है, उसमें जो बी० एस० सी० के या एम० बी० एस० सी० के छात्र हैं, उनको 100 रु० महीना मिलता है। उसे 100 रुपया मिलता है उसी से वह अपने हास्टल में रहने की व्यवस्था करता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव राजेन्द्र कुमार गुप्त ने रखा है हिन्दुस्तान के अन्दर जिसकी आबादी 60, 70 करोड़ हो और बेइन्तहा नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार हों उनकी बेरोजगारी दूर करना नामुमकिन है। इसका कार्यान्वियन हो पायेगा यह ना मुमकिन है।

मैं बताना चाहता हूं कि गांवों में किसान नौकरों को तलाशते हैं उनको 10 रुपया प्रतिदिन पर भी नौकर नहीं मिलता। जहां एक तरफ बेरोजगार है वहां एक तरफ किसान को मजदूर नहीं मिल रहा है। मैंने ग्राम विकास के भाषण में कहा था कि गांव का विकास खंडजा लगाने से ट्यूवेल लगाने से नहीं होगा, गांव के अन्दर छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगाये जायं जिससे जो पोलिटेक्निक के छात्र आई० टी० आई० के छात्र पढ़ लिखकर निकले वह गांव में ही काम में लगे उनको शहर की तरफ भागना न पड़े। वह गांव में ही अपना विकास कर। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश में इंजीनियर बेकार हैं, डाक्टर बेकार हैं। मैं कहता हूं कि इस देश की इकोनामी को प्लानिंग को, सीमित दायरे में रखा जाय और उसके अनुसार यह तय किया जाय कि इस वर्ष एक हजार इंजीनियर या डाक्टर तैयार करना है और उसी के अनुसार डाक्टर या इंजीनियर तैयार करें। मैं कहता हूं कि बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे को इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता है। जब तक कि सरकार गांव की विकास की तरफ न चले। जब तक सरकार गांव का विकास नहीं करेगी तब तक गांव के बच्चे बेरोजगारी के शिकार होते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की आत्मा का तो समर्थन करता हूं किन्तु इसका कार्यान्वयन नहीं हो पायेगा इसलिये इसका विरोध करता हूं।

श्री भीखा लाल--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संकल्प पर बहस समाप्त की जाय।

एक सदस्य--

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

श्री किरन पाल सिंह के बोलने के बाद प्रश्न उपस्थित करूंगा।

श्री लोकमणि--

मान्यवर, मेरी समझ में यह नहीं आया कि बोलने वाले वक्ताओं का मापदण्ड क्या है। हमारे जो सचेतक हैं चाहे आगरा मंडल के हों वह स्वंय बोलते हैं और बोलवाते हैं, मैं परेशान हो गया हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह पार्टी में कहियेगा । अधिष्ठाता से इससे कोई मतलब नहीं ।

श्री किरन पाल सिंह--

मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी मैंने सत्ता पक्ष के भाषण सुने वही परम्परा नकारात्मक और अमानवीय भाषण सुना । मान्यवर, इन्होंने कहा कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता को इस संकल्प से सस्ती लोकप्रियता मिलेगी । मैं तो कहता हूं श्री गुप्ता को नहीं, आपको आपकी सरकार को लोकप्रियता मिलेगा, यदि आप इस संकल्प को मान लेंगे तो । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपने शराब पर चीनी मिलों पर दया दिखाई है थोड़ा सा उनके प्रति भी दयालु बनें । मान्यवर, बेरोजगारी भत्ते का जो संकल्प है, बेरोजगारी दूर करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और यदि इसे पूरा नहीं कर पाती तो नैतिक दायित्व है कि उनको भत्ता दे । अभी पिछले बजट में यह कहीं नहीं कहा गया कि बेरोजगारी किसी निश्चित सीमा के अन्दर हम दूर करेंगे इस वजह से उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए । यह दलगत राजनीति नहीं है, भत्ता देना मानवता है । मैंने बेरोजगारी की हालत में लोगों को पागल होते देखा है, बिना दवाई के तरसते हुए देखा है । इससे बेरोजगारों में अकर्मण्यता आयेगी यह भी कहा गया है, यह कैसे आयेगी । यह भत्ता देना एक तरह से सरकार पर बोझ होगा और जब सरकार इसे अपना बोझ समझेगी तो बेरोजगारों को रोजगार देने का इन्तजाम करेगी । एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं । जो सर्विसेज में उमर की सीमा है, तो जब बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई नियत समय के अन्दर प्राविधान नहीं है तो उमर की कोई बन्दिश नहीं होनी चाहिए । इन्टरव्यू में आने-जाने के लिए फ्री हो, डी० ए० और खाना भी मिलना चाहिए । एप्लाई करते समय डाक व्यय फ्री होना चाहिए । आबादी के बारे में कहा गया कि आबादी बढ़ती जा रही है, इसका इलाज किया जाये, लेकिन बेरोजगारों पर तरस खायें और उनको भत्ता देने का इंतजाम किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं श्री भीखा लाल का प्रस्ताव लेता हूं । प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संकल्प पर अब बहस समाप्त की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री लोक मणि--

आज ही यह संकल्प, प्रस्ताव आया है गुप्ता जी का, इस संबंध में मेरा विचार यह है कि जो बेरोजगारों को भत्ता देने का संकल्प है यह बिल्कुल असैद्धान्तिक है । माननीय विरोधी सदस्यों की जब सरकार थी उस वक्त इस संकल्प का नाम भी नहीं लिया था बेरोजगारों को भत्ता देने का । जब सारे कोष को, खजाने को खाली कर दिया तो आज एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह प्रस्ताव ला रहे हैं । जैसा मान्यवर, हमारे भाई लोग गांधी जी का नाम लेते हैं समाजवाद का नाम लेते हैं गांधी जी का समाजवाद वही समाजवाद था जिसको इन्दिरा गांधी लाना चाहती हैं और जिसमें हम लोग आस्था रखते हैं । गांधी जी राम राज्य का स्वपन देखते-देखते

चले गये । राम समाजवादी थे, जंनतांत्रिक थे । मान्यवर, विश्वास नहीं होगा माननीय सदस्यों को । राम समाजवादी कैसे थे । जिस वक्त राम के पास रावण रथ में आया उस वक्त विभीषण अधीर हो उठे--

रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयऊ अधीरा ।

सौरज, धीरज जेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ।

बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा, दया, समता रजुजोरे ।

समता के माने समाजवाद है । राम समाजवाद के पोषक थे उनका समाज ऐसा था । नहि कोई दुखी दरिद्र न दीना । गांधी जी ऐसे ही समाजवाद में आस्था रखते थे । जहां तक जनतंत्र का प्रश्न है । भगवान राम जनतंत्र में आस्था रखते थे । उसका ज्वलन्त उदाहरण यह है कि एक धोबी के कहने से सती साध्वी सीता को वनवास दे दिया । इसी प्रकार कांग्रेस जैसी जन जाह्नवी को आरोप लगाने वाले उस धोबीवत है ।

श्री मोहन सिंह--

हम इतने लोग धोबी बैठे हैं ।

श्री लोक मणि--

जहां तक माननीय गुप्ता जी ने बेरोजगारों को भत्ता देने का संकल्प किया है अगर गुप्ता जी से ही इसकी सूची बनाने के लिए कह दिया जाये तो शायद वह भी सच सूची नहीं बना पायेंगे । सूची तैयार नहीं की जा सकती । वास्तव में मुख्य बात यह है कि किसी आदमी को रोजी-रोटी कैसे देना चाहिये, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और इस दिशा में प्रयत्नशील है । भत्ता यदि दे दिया जायेगा तो लोग अक्षम अकर्मण्य और आलसी हो जायेंगे । इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे व्यक्तियों को भत्ता कभी नहीं दिया गया । विकलांगों, साधनहीनों को, 60-70 साल के वृद्धों को भत्ता देने का सवाल है, और उन्हें सरकार भत्ता दे रही है । पेंशन दे रही है । हल यह है कि जो लोग बेरोजगार हैं उद्योग धन्धे खोल कर उन्हें खपाया जाये । प्रत्येक जिले में लघु उद्योग धन्धे खोले जा रहे हैं माननीय विरोधी सदस्य इसमें रुचि रखते हैं तो इसमें प्रोत्साहन दे उनमें शिक्षित बेरोजगारों को लगाया जाये जिससे समाज का कल्याण हो प्रदेश का कल्याण हो । इस प्रकार का संकल्प लाना समय का धन का व्यर्थ दुरूपयोग है । पहले भी यह संकल्प आ चुका है जिसमें कि भत्ता देने को निरस्त कर चुके हैं । इस कारण मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री मसरूर जाफरी--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश की सरकार जो नौजवानों का निर्माण करने का नाम लेती है और प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता देने के नाम पर काफी चर्चा होने के बाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मसरूर जाफरी---]

भी सहमत नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता इस प्रदेश के शिक्षित नौजवानों को मिलना चाहिये । जितने विधान सभा के सदस्य और मंत्री हैं और संसद के सदस्य हैं उनका भत्ता रोक दिया जाये और इनका भत्ता बेरोजगार नौजवानों को बांट दिया जाये । केरल की सरकार ने, बंगाल की सरकार ने और त्रिपुरा की सरकार ने ढ़ाई साल पहले भत्ता देना शुरू कर दिया था और उसके बाद एक तरफ संजय गांधी का नाम लेते हैं, नौजवानों की बात करते हैं और भत्ते की बात करते हैं, तो उसका विरोध करते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

प्रस्तावक महोदय, पहले अपना भत्ता कटवा दें, तो हम लोग भी कटवा देंगे ।

श्री मसरूर जाफरी---

अगर आप तैयार हो जांय, तो हमलोग सभी अपना भत्ता छोड़ने के लिये तैयार हैं । इस तरह से प्रदेश में जो बेरोजगारों का सिलसिला चल रहा ह, यह अब भयंकर रूप लेगा और नौजवान उठकर खड़ा हो चुका है और अब ज्यादा दिनों तक संजय गांधी और राजीव गांधी के नाम पर बेरोजगारी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं क्योंकि पेट में आग लगी है और जब तक यह मसला समाप्त नहीं होगा, तब तक इस प्रदेश और देश में शांति नहीं आ सकती । इसलिये मैं शासक दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपना भत्ता बेरोजगारों के हित में छोड़ दें ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मान्यवर, 5'00 बज रहा है । अब इस चर्चा को अगले दिन जारी रखें और दूसरा आइटम ले लें ।

श्री अधिष्ठाता---

अब इस समय इसको स्थगित करते हैं । इस संकल्प पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी ।

(इस समय 5 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । इनमें से एक सूचना, श्री हरिवंश सहाय और नन्द किशोर सिंह जी का स्वीकृत हुयी है, जो देवरिया जिले के अन्तर्गत राप्ती नदी के कटाव से गाय घाट आदि जैसे कई गांवों के जलमग्न होने के बारे में है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, 13 को हाउस रहेगा ? 13 को हो जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

हाउस रहेगा । जाहिर है कि हो जायेगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, आइटम 24 को पहले लें चर्चा व द में करा लें ।

प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, सत्ता पक्ष के विधायकों, सांसदों तथा एक राज्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतों के कारण प्रशासन में अनास्था कायम होने से उत्पन्न परि-स्थितियों के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना में माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों, सांसदों तथा एक राज्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतों का जो उल्लेख किया गया है उसका सम्बन्ध कदाचित समाचार पत्रों में हाल में छपे आरोपों से है ।

2--जहां तक लखनऊ जिला पूर्ति कार्यालय से फर्जी नामों पर डीजल, सीमेन्ट, चीनी, इत्यादि की जाली परमिट बनवाने और लाभ कमाने के आरोपों का प्रश्न है, वस्तुस्थिति इस प्रकार है :--

3--दिनांक 23 सितम्बर, 1980 को जिला पूर्ति कार्यालय में सीमेन्ट के 3 प्रार्थना-पत्र ऐसे पाये गये जिसमें जिला अधिकारी के अतिरिक्त एक राज्य मंत्री एवं एक विधायक की संस्तुति थी । कार्यालय के अधिकारी को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर पर संदेह हुआ और उन्होंने जिलाधिकारी से पूछताछ करके जब यह पाया कि वस्तव में इन प्रार्थना पत्रों पर जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति नहीं की गई तो उन्होंने हजरतगंज थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाई । रिपोर्ट अपराध संख्या 1393 है और जिन धाराओं के अन्तर्गत वह दर्ज की गई वह धारा 420, 467, 468 व 471 भारतीय दंड विधान की है । इस रिपोर्ट के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने श्री हरीश कुमार दुआ व श्री अशोक कुमार नामक व्यक्तियों से पूछताछ की और जिला पूर्ति अधिकारी के एक चपरासी श्री राम चन्द्र राठौर को हिरासत में भी लिया । श्री राम चन्द्र राठौर से हुई पूछताछ के आधार पर सैयद रजा हुसैन त्यागी के घर में दबिश दी गई और श्री त्यागी के घर से बरामद की गई वस्तुओं से यह आभास मिला कि उनके द्वारा आवश्यक वस्तुओं की परमिटों को प्राप्त करने के लिये दिये जा रहे प्रार्थना पत्रों पर फर्जी सिफारिशें लिखी जाती हैं । सैयद रजा हुसैन त्यागी के घर से जिलाधिकारी, राज्य मंत्री शिक्षा, श्री कन्हैया लाल महेन्द्रू व श्री मशरूर जाफरी विधायक की मोहरें बरामद हुई । इसके अतिरिक्त सदस्य, विधान सभा एवं मंत्री की लीटर हेड भी उनके यहां से बरामद हुए । श्री त्यागी के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सनलाईट प्रिंटिंग प्रेस, डालीगंज, लखनऊ पर दूसरी दबिश दी गई जहां पर कई अन्य लेटर हेड और मोहरें बरामद हुई ।

[श्री अम्मार रिजवी—]

4—उपरोक्त मामले में अभी तक 5 व्यक्ति गिरफ्तार हो गये हैं जिसमें श्री हरीश कुमार दुआ, श्री अशोक कुमार, सैयद रजा हुसन त्यागी, श्री राम चन्द्र राठौर और श्री नानक कुमार वर्मा शामिल हैं ।

5—पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है परन्तु अभी तक प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारी या मंत्रिमंडल के कोई सदस्य या विधायक का सम्बन्ध कथित गर कानूनी कार्यवाही से ह ।

6—जहां तक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से सम्बन्धित समाचार का प्रश्न है, इसकी छान-बीन की जा रही है । स्वच्छ प्रशासन के लिये सरकार कृत संकल्प है और भ्रष्टाचार को मिटाने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं वक्तव्य की कंडिका 6 के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । क्या यह सही है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री या प्रशासन को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि थोड़े दिनों पहले, कि यहां के वरिष्ठ अधिकारी सुरा सुन्दरी और धन के लोभ में विदेशी तत्वों के हाथों में खेलने वाले राष्ट्र द्रोही तत्वों को सरकारी गोपनीय सूचनायें हस्तानांतरित करते हैं और क्या यह भी जानकारी मिली है कि विदेश से आयी हुयी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, दुश्चरित्र करने का प्रयास किया गया है ? क्या यह भी सूचना मिली है कि आगरा के किसी आदमी से एक लाख रुपया और इक्साइज विभाग के किसी कर्मचारी को बचान के लिये भी 50 हजार रुपये की घूस ली गयी है ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रश्न किये हैं, और जो बयान दिया गया है क्या उस बयान से यह सारे सवाल पैदा हो रहे हैं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यदि यह शिकायतें मिली हैं तो क्या इस मामले पर मुख्य मंत्री जी ने आगे कोई जांच कराई और जांच कराने के बाद उचित कार्यवाही के लिये केन्द्र सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो कौन-कौन से अधिकारी के खिलाफ शिकायतें हैं और जांच से क्या तथ्य आये ?

श्री अम्मार रिजवी—

समाचार-पत्रों से ऐसी सूचनायें मिली हैं लेकिन इस प्रकार की कोई लिखित, किसी विशेष अधिकारी के नाम से कोई इस प्रकार की सूचना नहीं मिली ह । अगर कोई लिखित शिकायत, किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ आरोप लगे होते, सूचना मिली होती, तो उस अधिकारी के खिलाफ जांच कराई जाती । समाचार पत्रों में जो खबरें निकली हैं उनको जरूर छानबीन की जायेगी कि यह खबरें कैसे आयीं और कौन लोग इसके पीछे ह अगर कुछ लोग इसमें शामिल हैं और जो आरोप लगाये गये हैं तो उनको भी छानबीन होगी । जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है और उस इंक्वयारी के सम्बन्ध में जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया तो मुख्य मंत्री द्वारा कोई भी इस संदर्भ में इंक्वयारी के लिये केन्द्र सरकार को नहीं लिखा गया है ।

श्री भीखा लाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अधिकारियों का मामला है उसमें इंक्वायरी सी0 बी0 आई0 के सुपुर्द क्या की गयी है ? यदि हां, तो अब तक जो उसमें तथ्य प्रकाश में आये हैं उनको क्या मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, इसके दो हिस्से हैं । एक तो डी0 एस0 ओ0 का है तो इसमें स्पेशल इंवेस्टीगेशन स्टाफ, एस0 आई0 एस0, इंक्वयारी कर रहा है । दूसरे इसके तथ्यों की छानबीन की जा रही है कि समाचारों के पीछे कौन सी चीज है जिस पर इंक्वायरी की जाय । सेन्ट्रल एजेन्सी से जो इंक्वयारी का सवाल है तो उससे किसी से भी इंक्वयारी नहीं की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, यह सारी चीजें अखबारों में छपी हैं और आज भी अखबार में स्पष्ट आया है कि यह इंक्वायरी जो दूसरी है जिसमें बड़े-बड़े अधिकारी इंवाल्व हैं, इसकी क्या सी0 बी0 आई0 से इंक्वायरी करायी गयी है ? यदि नहीं, तो कौन सी एजेन्सी से इंक्वायरी करा रहे हैं और उसके टर्म्स अफ रेफेरेन्स क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, अखबार में क्या निकला है इसका मुझे पता नहीं लेकिन सी0 बी0 आई0 से इंक्वायरी नहीं की जा रही है । लेकिन प्रान्त की जो एजेन्सी हैं उनसे यह इंक्वायरी की गयी है ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, दो प्रश्न खड़ा हो जाता है, और आज ही नार्दन इंडिया पत्रिका, 9 अक्तूबर, 1980 में फ्रान्ट पेज में छपा है---वाईन वोमेन स्कैंडल, सी0 बी0 आई0 अन ट्रायल आफ मोर कलप्रिट्स । तो इसमें क्या इंक्वायरी सेन्ट्रल एजेन्सी से करायेंगे ? यह बाद जो छपी है उसमें क्या बात है ?

श्री अम्मार रिजवी---

अखबार को पूरी तरह से आधार नहीं बनाया जा सकता है लेकिन जो अखबार में निकला है उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है । छानबीन हो रही है और सेन्ट्रल की किसी एजेन्सी से इंक्वयारी नहीं हो रही है लेकिन इन तथ्यों की किस एजेन्सी द्वारा जांच करायी जा रही है, इसको जनहित में बताना उचित नहीं है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह लोग गये पकड़े हैं, मोहरें बरामद हुई हैं, मुख्य मन्त्री के फर्जी दस्तखत बना कर लोगों के ट्रान्सफर करा लिया था तो इसकी क्या मन्त्री जी को जानकारी है ?

श्री अम्मार रिजवी---

मुझे तो जानकारी नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य को है तो दे दें ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, बयान नं० 4 में कहा गया है कि 5 व्यक्ति गिरफ्तार हो गये हैं और वह हैं श्री हरीश कुमार दुआ, श्री अशोक कुमार, श्री त्यागी, श्री राठौर और श्री नानक कुमार वर्मा तो मैं पूछना चाहता हूं कि गिरफ्तार व्यक्तियों का सम्बन्ध किस राजनीतिक पार्टी से है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं बतलाना चाहता हूं कि कोई भी किसी के दस्तखत बना सकता है, किसी की मोहर बना सकता है । सन लाईट प्रेस पर छापा पड़ा तो वहां जो मोहरें बरामद हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी, उ० प्र० की भी मोहर थी, इसी तरह से माननीय सदस्यों का सवाल आया पक्ष विपक्ष दोनों के नाम आये हैं । तो मान्यवर, कोई किसी के हस्ताक्षर कर सकता है और कोई हमारा या आपका लेटर पैड चुरा ले जाय और हस्ताक्षर बना दे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी आती है । जहां तक पोलिटिकल एफिलिएशन का सवाल है, जो रजा हुसैन त्यागी हैं इनका किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध होने का पता नहीं चलता । लेकिन सामाजिक एसोसिएशन से जैसे जाति प्रहार हिन्दी साप्ताहिक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से निकालते थे । उसके बाद यह कोई नवयुवक छात्र संगठन है, उसके संयोजक हैं, त्रिगुटी हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका के प्रथम सम्पादक हुये थे, उसके बाद अल्पसंख्यक समिति, लखनऊ के संयोजक हैं, राजनीतिक जिला कार्यकर्ता सतर्कता समिति के यह सदस्य हैं । इसके अंदर सारे राजनीतिक दल आ जाते हैं, सबका निचोड़ है । किसी विशेष दल की कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि किस दल के मेम्बर हैं ।

श्री मित्र सेन—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले में रजा हुसैन त्यागी जो हैं क्या वह जिला स्तर पर जो भ्रष्टाचार निरोधक समिति जिला अधिकारी ने बनाई है उसके भी सदस्य रहे हैं और जो प्रदेश युवक कांग्रेस भ्रष्टाचार निरोधक समिति है उसके संयोजक रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रदेश में यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस उसका नाम है, नव युवक छात्र संगठन उसका नाम नहीं है । उसके संयोजक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

देहरादून में शराब के ठेकों के चालू किये जाने के कारण अनेक हत्याएं व मौतों के

आरोप के सम्बन्ध में नियम 5। के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

देहरादून में घट रही दैनिक घटनाओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा यह बताया गया है कि देहरादून में मद्यनिषेध समाप्त कर दिये जाने के कारण 18 सितम्बर, 1980 को डी० ए० वी० इण्टर कालेज के छात्र श्री घिल्डयाल की हत्या चुक्खू मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने गोली मार कर इसलिए कर दी कि मोहल्ले के युवक शराब बेचने वालों के द्वारा चलन वाले भ्रष्टाचार के अड्डे को हटाना चाहते थे शासन को यह भी बताया गया है कि यह असामाजिक तत्व खुले तौर पर मोहल्ले में सुरा व।

सुंदरी का व्यापार करते हैं । दिनांक 16 तथा 17 सितम्बर, 1980 को क्रमशः आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन तथा लाइफ इंश्युरेंस कारपोरेशन के अधिकारियों की नल्लूपुर के ठेके से शराब पीने के कारण मृत्यु की सूचना भी शासन को दी गयी है ।

जहां तक देहरादून में लागू मद्यनिषेध को समाप्त किये जाने का सम्बन्ध है वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पूर्व ही पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मंसूरी में लागू मद्यनिषेध को समाप्त कर दिया गया था जिसके कारण मंसूरी के लिए देहरादून के मद्यनिषेध क्षेत्र से मादक पदार्थों के परिवहन के फलस्वरूप अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं और तस्करी भी बहुत बढ़ गयी थी । देहरादून में हिमाचल प्रदेश जहां मद्यनिषेध लागू नहीं है, से भी तस्करी के मामले बढ़ गये थे । इन परिस्थितियों में शासन ने मद्यनिषेध नीति पर पुनर्विचार करके क्षेत्रवार प्रसार की नीति के स्थान पर समान मद्यनिषेध कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है । शासन को इससे पूर्व देहरादून के चुक्खू मोहल्ले के किसी शराब के ठेके को हटाने का न तो कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और न कोई शिकायत मिली है । यह स्पष्ट नहीं है कि हत्या तथा मौतें यदि घटित हुयी हैं तो उ का मद्यनिषेध समाप्त करने से किस प्रकार सीधा सम्बन्ध है । सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये सार्वजनिक मद्यपान सरकारी सेवक आचरण नियमावली के अन्तर्गत निषिद्ध है । इसके बावजूद शासन को उपलब्ध की गयी सूचना के आधार पर वस्तुस्थिति की जानकारी के लिये कले.टर को जांचोपरान्त रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है । नियमों के उल्लंघन अथवा कानून को हाथ में लेने के जो भी मामले सामने आयेंगे उनके बारे में नियमानुसार, प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

(स्पष्टीकरण के लिए एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कोई स्पष्टीकरण नहीं, एकदम बात स्पष्ट है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980†

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

[समय 5.20 अपराह्न]

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इसमें तीन बातें हैं । एक तो यह कि जो विधायक 1957 में चुन कर आये थे उनके 25 दिन कम रह गये थे । उस अवधि को एक महीने तक बढ़ा दिया गया है । दूसरे नेता विरोधी दल को कार एलाउन्स जो दिया जाता था वह कम था उसे 200 रुपये और बढ़ा दिया गया है । तीसरी चीज यह है कि कमेटीज जो आफिशियल टूर्स पर जाती थीं उसमें कुछ सुविधायें दी गयी हैं । मुझे उम्मीद है कि इसे सदन पारित करेगा ।

---

†दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*श्री भीखा लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक संसदीय कार्य मन्त्री ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । इसमें एक एनोमली पहले रह गयी थी कि 57 से 62 तक सदस्यों के टर्म में 17, 18 दिन की कमी रह गयी थी और वे पेंशन पाने से महरूम रह गये थे उसे दूर कर दिया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं । माननीय सदस्यों के लिये जो पेंशन का प्राविधान किया गया है यह कोई आर्थिक सहायता नहीं है, केवल सम्मान की चीज है । जो इस सदन के सदस्य रहे हैं और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं वे सदस्य न रहने पर उनकी उस सेवाक्रम में बाधा न पड़े, इसके लिये उनको सम्मानित किया गया है । उनके कार्य को ठीक के चलाने के लिये यह सुविधा दी गयी है और इसका मैं स्वागत करता हूं । एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भूतपूर्व या मौजूदा सदस्य ह उनके अलावा कुछ और महानुभाव प्रदेश में हैं जिनको इस तरह का राजकीय सम्मान देने की जरूरत है और इस सरकार ने दिया भी है, वह हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी । उनके लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने पेंशन का प्राविधान किया है, वह भी सम्मानसूचक है, लेकिन मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार जो 65 से 100 रुपये तक पेंशन देती है वह सम्मान सूचक नहीं वरन् अपमानसूचक है । केन्द्रीय सरकार उनको 200 रुपये माहवार देती है और मुझे सूचना मिली है कि वह उसे बढ़ा कर 300 रुपये देगी । मेरा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ह और जो मौजूदा सदन के सदस्य नहीं रह गये हैं उनकी पेंशन बढ़ा कर कम से कम 200 रुपये कर दिये जायं । इस सदन के सदस्यों के लिये जो पेंशन का प्राविधान किया गया है वह दिन पर दिन बढ़ेंगे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सैनिक दिन पर दिन घटेंगे । इसलिये उनकी पेंशन 200 रुपये बढ़ा दी जाय, वे आखिरी दौर में चल रहे हैं, ताकि अपनी जिन्दगी बुढ़ापे में ठीक से गुजार सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का सवाल है इसके कुछ अंश से तो हमारी सहमति है । पहले हुई बातचीत के आधार पर यह विधेयक यहां आया है लेकिन सभी विपक्ष के नेताओं और मुख्य सचेतकों की बैठक में यह बात तय हुई थी कि नेता विरोधी दल को जो संसद में सुविधायें प्राप्त हैं वही सारी सुविधायें यहां मोहय्या की जायं । जब यह मुकम्मल विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है तो उस समय हम लोगों से जो बातचीत हुई और यह सहमति हुई थी उसकी अवज्ञा की जा रही है । इसमें धारा 20 में कहा गया है कि नेता विरोधी दल 500 रुपये प्रति मास की दर से वाहन भत्ता पाने के हकदार होंगे । इसको मोटर एलाउन्स कहते हैं, मैं इसको साइकिल एलाउन्स कहता हूं । यह नेता विरोधी दल का सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान है जो वाहन भत्ता में केवल 200 रुपये बढ़ाये जा रहे हैं । 300 रुपये में तो कार का ड्राइवर भी नहीं मिलता । मोटर पार्ट्स की कीमत दुगुनी और तिगुनी हो गयी है । आपने 38 परसेन्ट पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये हैं और विधायकों को जो दैनिक भत्ता मिलता है उससे भी नेता विरोधी दल को वंचित कर रखा है । मान्यवर, यदि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप पूरी तरह से इस बात का निरीक्षण करें तो मालूम होगा कि नेता विरोधी दल को जो सुविधा है वह सामान्य विधायकों से भी कम है । इसलिये यह जो 20 नम्बर की धारा है वह उनको अपमानित करती है और मैं चाहता हूं कि इसको विधेयक का अंग न माना जाय और उसको निकाल दिया जाय । यदि आपको देना ही है तो एक मुस्तकिल तौर पर दिया जाय और नहीं देना है तो इस तरह से लालीपफ देने से कोई फायदा नहीं है ।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक नेता विरोधी दल के सम्मान का सम्बन्ध है, उनके आदर का सम्बन्ध है, उनको दी जाने वाली सुविधाओं का सम्बन्ध है उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जानी चाहिए । इसी चीज को ध्यान में रख कर यह बढ़ाया गया है और उस वक्त मोहन सिंह जी से जो बात हुई थी, वह सत्य है कि लोक सभा में जो प्रणाली है वही यहां पर अपनाई जाय । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि एक सामान्य प्रयोजन समिति का गठन हो रहा है जिसके अन्दर दोनों तरफ के सदस्य होंगे । हमलोग एक साथ बैठेंगे और जो इस तरह के मामले हैं जिसके अन्दर नेता विरोधी दल के आदर का सवाल है, और भी सम्मानित सदस्यों की बहुत सी समस्याओं का सम्बन्ध है और जिन समस्याओं के अधीन उनको आजकल काम करना पड़ता है, जिस तरह से उनके कमरों में भीड़ लगी रहती है, उनको ट्वायलेट तक जाने में कठिनाई होती है इन सब चीजों के ऊपर हम विचार करेंगे । मैं माननीय मोहन सिंह जी की बात से सिद्धान्ततः सहमत हूं लेकिन इस समय वे इसे प्रेस न करें और अपने संशोधन को वापस ले लें । मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि जो बात तय हुई थी उसके बारे में पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है । मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात को वापस ले लें ।

जहां तक श्री भीखालाल जी की बात का सम्बन्ध है और पेन्शन देने की जो बात उन्होंने कही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि बहुत थोड़े ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह गये हैं और उनको सुविधायें दी जा रही हैं उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए लेकिन इस समय उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है उन पर भी विचार किया जायेगा । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इसे पारित करने में हमारा सहयोग देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, 4 तथा 5

2--इस अधिनियम में-- परिभाषाएं

(क) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) "सभापति" का तात्पर्य परिषद् के सभापति से है;

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(घ) "उप सभापति" का तात्पर्य परिषद् के उप सभापति से है;

(ङ) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य सभा के उपाध्यक्ष से है;

(च) किसी सदस्य के सम्बन्ध में "सदस्यता की अवधि" का तात्पर्य--

(एक) यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना के सरकार गजट में प्रकाशन के दिनांक से, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के दिनांक से, इनमें जो भी पहले हो, से प्रारम्भ होने वाली, और

(दो) उस दिनांक को, जब वह मृत्यु या पद त्याग के कारण या अन्यथा ऐसा सदस्य न रह जाय, समाप्त होने वाली अवधि से है;

(छ) "आनुषंगिक व्यय" का तात्पर्य --

(एक) रेल द्वारा की गयी यात्रा की दशा में एक व्यक्ति के लिए प्रथम श्रेणी में ऐसी यात्रा के रेल किराये के बराबर धनराशि से है;

(दो) किसी अन्य दशा में विहित दर से, इस रूप में, देय धनराशि से है;

(ज) "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जिसे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा तत्समय इस रूप मे अभिज्ञात किया गया हो;

(झ) "सदस्य" का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जो आसीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति या संसदीय सचिव के पद पर मंत्री, न हो;

(ञ) "मंत्री" के अन्तर्गत मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री, और उप मंत्री भी हैं;

(ट) किसी सदस्य के सम्बन्ध में, "निवास स्थान" का तात्पर्य उस स्थान से है जिसको किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक नामावलि की प्रविष्टि के अनुसार सदस्य सामान्यतः निवासी है, और यदि सदस्य ऐसे स्थान में परिवर्तन कर दे तो उत्तर प्रदेश म उस स्थान से ह जिसे सदस्य के अनुरोध पर सचिव द्वारा ऐसा स्थान अधिसूचित किया जाय :

परन्तु कोई ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात् या इस खंड के अधीन जारी की गई पूर्व अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व जारी नहीं की जायगी ;

(ठ) "रेल कूपन" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रेलवे बोर्ड के प्राधिकार से जारी किये गये निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन से है;

(ड) "सचिव" का तात्पर्य सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में, सभा के सचिव से है, और परिषद् के सदस्यों के सम्बन्ध में, परिषद् के सचिव से है;

(ढ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से है;

(ण) "वर्ष" का तात्पर्य पहली जून को प्रारम्भ होने वाली और अनुवर्ती इकतीस मई को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

अध्याय दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

3--(1) सभा के नेता विरोधी दल से भिन्न, प्रत्येक सदस्य वेतन अपनी सदस्यता की अवधि के लिये पांच सौ रुपये प्रतिमास का वेतन पाने का हकदार होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वेतन का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा,

अर्थात्--

(क) वेतन में अनुपस्थिति या अन्य कारण के आधार पर ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी जैसी विहित की जायं;

(ख) किसी सदस्य को उस अवधि के लिए जिसमें वह किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी विनिश्चय के फलस्वरूप, यथास्थिति, सभा या परिषद् में बैठने के लिए अक्षम हो जायं, कोई वेतन देय नहीं होगा ;

(ग) सभा के किसी सदस्य को सभा के गठन के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिए कोई वेतन देय न होगा ।

(घ) परिषद् के किसी सदस्य को उस रिक्ति के, जिस रिक्ति के फलस्वरूप वह सदस्य निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ है, दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा ।

निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता

4--सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में पांच सौ रुपये प्रति मास का निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा ।

अध्याय तीन

यात्रा सुविधा

उत्तर प्रदेश के भीतर रेल द्वारा यात्रा

5--प्रत्येक सदस्य को, विहित रीति से, ऐसे मूल्य के रेल कूपन दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4 तथा 5 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 6 व 7

उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा यात्रा

6--प्रत्येक सदस्य को, विहित रीति से, ऐसे मूल्य के जिसे राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे, रेल कूपन भी दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रतिवर्ष 15,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार हो सके ।

स्पष्टीकरण : उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा यात्रा की दूरी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उत्तर प्रदेश के भीतर किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायगी ।

सहवर्ती के साथ यात्रा

7—किसी सदस्य द्वारा अपने साथ रेल यात्रा में प्रथम श्रेणी में निम्नलिखित दशाओं में एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्—

(क) यथास्थिति, सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में, अधिक से अधिक दो बार, अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए;

(ख) किसी महिला सदस्य की स्थिति में, ऐसी यात्रा के लिए जो उसके द्वारा ऐसा सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात् अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की जाय ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, इस संशोधन को हम प्रस्तुत नहीं करेंगे दूसरे संशोधन को प्रस्तुत करेंगे ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, जो संशोधन दिया था, उसको मैं संशोधित रूप में पेश करना चाहता हूं जैसा कि माननीय गोयल जी ने कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले, पहले वाले संशोधन को लीजिये फिर दूसरा प्रस्तुत कीजियेगा ।

श्री भीखालाल—

उसे वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो आपने प्रस्तुत ही नहीं किया । जो गोयल जी का संशोधन है वही आपका भी है । पहले वाले संशोधन को आप वापस ले रहे हैं ?

श्री भीखालाल—

इस संशोधन को मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब दूसरे को प्रस्तुत कीजिए ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि वर्तमान खण्ड 6 के स्थान पर निम्नांकित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्--

"6--प्रत्येक सदस्य को विहित रीति से ऐसे मूल्य के रेल कूपन भी दिए जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में--

(क) ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित अपनी उपस्थिति के लिए किसी बैठक के स्थान तक जाने और अपने निवासस्थान को वापस आने के लिए प्रत्येक वर्ष 4,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक यात्रा करने का हकदार हो सकें, और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक वर्ष 15,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक यात्रा करने का हकदार हो सकें ।

प्रथम स्पष्टीकरण--खण्ड (ख) के अधीन यात्रा की दूरी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उत्तर प्रदेश के भीतर किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी लम्मिलित नहीं की जायेगी ।

द्वितीय स्पष्टीकरण--खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट यात्रा के लिए रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा ।"

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 6 के स्थान पर निम्नांकित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्--

"6--प्रत्येक सदस्य को विहित रीति से ऐसे मूल्य के रेल कूपन भी दिए जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में--

(क) ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित अपनी उपस्थिति के लिए किसी बैठक के स्थान तक जाने और अपने निवास स्थान को वापस आने के लिए प्रत्येक वर्ष 4,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक यात्रा करने का हकदार हो सकें, और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक वर्ष 15,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक यात्रा करने का हकदार हो सकें ।

[श्री उपाध्यक्ष--]

प्रथम स्पष्टीकरण--खण्ड (ख) के अधीन यात्रा की दूरी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उत्तर प्रदेश के भीतर जिन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायेगी ।

द्वितीय स्पष्टीकरण--खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट यात्रा के लिए, रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 6 और खण्ड 7 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 8

परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा

8--धारा 6 में निर्दिष्ट रेल कूपनों का प्रयोग, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसे विहित किए जायं, किसी सदस्य द्वारा अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा में ले जाने के लिए किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार यात्रा का कुल व्यय (जिसके अन्तर्गत ऐसे सदस्य द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर की गई यात्रा का व्यय भी है) उक्त धारा के अनुसार अवधारित अधिकतम सीमा से अधिक न होगा ।

श्री भीखालाल--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 8 में शब्द और अंक 'धारा 6' के स्थान पर शब्द और अंक 'धारा 6 के खण्ड (ख)' रख दिए जायं ।"

माननीय, अभी जो संशोधन खण्ड 6 में स्वीकार किया गया है उसी का यह कांसक्विंशियल एमेंडमेंट है जो कि धारा 8 में किया गया है कोई भी परिवर्तन नहीं है । मेरा अनुरोध है कि इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "खण्ड 8 में शब्द और अंक 'धारा 6' के स्थान पर शब्द और अंक 'धारा 6 के खण्ड (ख)' रख दिये जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 8 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 9

9--प्रत्येक सदस्य को, जो धारा 2 के खंड (झ) में उल्लिखित मंत्री, अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा किसी पद पर आसीन हो,--

(क) धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन दिये जायेंगे, जिनका प्रयोग वह सार्वजनिक कार्य से भिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर प्रथम श्रेणी में यात्रा के लिए, विहित रीति से करने का हकदार होगा ;

(ख) धारा 6 में निर्दिष्ट रेल कूपन दिये जायेंगे, जिनका प्रयोग वह सार्वजनिक कार्य से भिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर प्रथम श्रेणी में की गयी यात्राओं में अपने साथ अपना परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए, विहित रीति से करने का हकदार होगा, किन्तु इस प्रकार की ऐसी यात्राओं का कुल व्यय (जिसके अन्तर्गत ऐसे सदस्य द्वारा और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर की गई यात्राओं का व्यय भी है) धारा 6 के अनुसार अवधारित अधिकतम सीमा से अधिक न होगा ।

श्री भीखालाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 9 के उपखंड (ख) में, शब्द और अंक 'धारा 6 में निर्दिष्ट' के स्थान पर शब्द और अंक 'धारा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट' रख दिए जायं और शब्द और अंक 'धारा 6 के अनुसार' के स्थान पर शब्द 'उक्त धारा के खंड (ख) के अनुसार' रख दिए जायं ।" यह भी मान्यवर, कांसीक्वेंशल अमेंडमेंट है धारा 6 में संशोधन होने के बाद । अतः मेरा अनुरोध है कि इसको स्वीकार किया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, भीखालाल जी के आदेश को कैसा टाला जा सकता है, यह मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "खंड 9 के उपखंड (ख) में, शब्द और अंक 'धारा 6 में निर्दिष्ट' के स्थान पर शब्द और अंक 'धारा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट' रख दिए जाएं और शब्द और अंक 'धारा 6 के अनुसार' के स्थान पर शब्द 'उक्त धारा के खंड (ख) के अनुसार' रख दिए जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 9 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया औ रस्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 10 से 17 तक

रेल कूपनों की विधि-मान्यता

10--इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रेल कूपन ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और प्रत्येक अपयुंक्त कूपन सचिव को, ऐसी रीति से लौटा दिया जायेगा जो विहित की जाय ।

द्वितीय श्रेणी में रेल द्वारा यात्रा

11--जहां कोई सदस्य रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करता है और ऐसा सदस्य धारा 5 और 6 में निर्दिष्ट कोई रेल कूपन स्वीकार नहीं करता है, वहां वह ऐसे कूपनों के बदले में निम्नलिखित धनराशि विहित रीति से मांगने का हकदार होगा, अर्थात्--

(क) उत्तर प्रदेश के भीतर की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में व्यय किये गये रेल भाड़े के बराबर धनराशि ;

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्रा की स्थिति में, उतनी धनराशि जितनी उसने प्रतिवर्ष 15,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक किसी भी समय और किसी भी रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में की गयी यात्रा में रेल भाड़े पर वास्तविक रूप से खर्च की हो ;

(ग) किसी सहवर्ती द्वारा की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में व्यय किये गये रेल भाड़े के बराबर धनराशि, बशर्ते सहवर्ती द्वारा ऐसी यात्रा धारा 7 में उल्लिखित परिस्थितियों में की गयी हो ;

(घ) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी यात्रा की स्थिति में, यथ स्थिति, एक सीट या शयनयान (स्लीपर) में एक बर्थ के लिये आरक्षण प्रभार के रूप में व्यय की गयी धनराशि ।

वातानुकूलित कम्पार्टमेन्ट में यात्रा

12--इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 5 से 10 में निर्दिष्ट रेल कूपनों का प्रयोग, यथास्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर, या बाहर, निम्नलिखित कम्पार्टमेन्ट में रेल-यात्रा के लिये भी किया जा सकता है, अर्थात्--

(क) वातानुकूलित (चेयर कार) कम्पार्टमेन्ट ;

(ख) वातानुकूलित (टू-टीयर स्लीपर) कम्पार्टमेन्ट ।

बस द्वारा यात्रा

13--(1) प्रत्येक सदस्य को, विहित रीति से, निःशुल्क असंक्रमणीय पास दिया जायगा जिससे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा उच्चतम श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना यात्रा करने का हकदार होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पास का प्रयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन किसी सदस्य को जारी किया गया प्रत्येक पास उसकी सदस्यता की अवधि के लिये विधिमान्य होगा और ऐसी सदस्यता की अवधि के समाप्त होने पर उसे सचिव को लौटा दिया जायगा ।

अध्याय चार

आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता

आनुषंगिक व्यय

14--प्रत्येक सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के संबंध में अपनी उपस्थिति के लिये ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, निम्नलिखित दशाओं में आनुषंगिक व्यय देय होगा, अर्थात्--

(क) यथास्थिति, सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति के किसी उपवेशन में उपस्थित होने के लिए किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार, केवल उपवेशन के स्थान पर आने के लिए और अपेढे निवास-स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्रा के लिये :

परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलेण्डर मास में दो या अधिक समितियों के उपवेशन में भाग लेता है तो इस खण्ड के अधीन आनुषंगिक व्यय किसी भी दशा में ऐसे मास में चार से अधिक बार देय नहीं होगा ;

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलाई गई किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिये और अपने निवास-स्थान को वापस जाने के लिए की गई यात्रा के लिए ;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के संबंध में, जो समिति की बैठक से भिन्न हो, किसी समिति के सभापति के रूप में, उसके द्वारा किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार लखनऊ आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गई यात्राओं के लिये ;

(घ) लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य के विधान मण्डल के अध्यक्ष या सभापति द्वारा या उनके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा, संवैधानिक अध्ययन या सेमिनार के संबंध में बुलाई गई किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए की गई यात्राओं के लिये :

परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित अध्यक्ष या उक्त धारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सभापति द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नाम निर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी बैठक में भाग लेने के लिये दो से अधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायगा ।

दैनिक भत्ता 15---प्रत्येक सदस्य तीस रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता का हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार की जायगी, अर्थात्---

(एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद के सत्र के दौरान, या उसकी किसी समिति के किन्हीं उपवेशनों में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिये देय होगा ;

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिए भी देय होगा यदि सदस्य, उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो ;

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद के या उसकी समिति के किसी लगातार उपवेशन के दौरान स्थगन के दिनों के लिये, और ऐसे लगातार उपवेशनों के बीच में पड़ने वाली छुट्टी के दिनों के लिए भी देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो ;

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिए भी देय होगा जो सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी उपवेशन के अन्तिम दिन और उसी या किसी अन्य समिति के या सभा या परिषद् के उपवेशन के प्रथम दिन के बीच पड़े, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो ;

(पांच) जहां खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) के अधीन आने वाली किसी स्थिति में कोई सदस्य उपवेशन के स्थान से अपने निवास-स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाय, वहां वह, धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता का, या धारा 14 के अनुसार आनुषंगिक व्यय का, इनमें जो भी कम हो, हकदार होगा;

(छः) सभा के नेता विरोधी दल को ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण:---इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी उपवेशन को लगातार समझा जायगा यदि किसी बैठक के अन्तिम दिन और दूसरी बैठक के प्रथम दिन के बीच दिनों की संख्या चार से अधिक न हो ।

अध्याय पांच

सदस्यों के लिये आवास व्यवस्था

लखनऊ में आवास व्यवस्था

16--(1) प्रत्येक सदस्य (जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है) अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रतर अवधि जैसी विहित की जाय, के लिए लखनऊ में ऐसे आवास का किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी उसके लिए व्यवस्था की जाय ।

(2) जहां किसी सदस्य को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आवास की व्यवस्था न की गयी हो, वहां वह विहित दर से आवास भत्ता पाने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण--किसी सदस्य को आवास की व्यवस्था उस दिनांक को की गई समझी जायगी जब उसके पक्ष में उसे प्रदिष्ट करने की सूचना उसे दे दी जाय चाहे ऐसा सदस्य प्रदेशन को स्वीकार करे या न करे या आवास पर अध्यासन करे या न करे ।

आवास-व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम

17--(1) धारा 16 के अधीन आवास के प्रदेशन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जायगी, अर्थात्--

(क) आवास का, जिसके लिए कोई सदस्य हकदार होगा, मानक निर्धारित करना ;

(ख) ऐसा मानक नियत करना जिसके अनुसार प्रत्येक ऐसा आवास सुसज्जित किय जायगा ;

(ग) प्रत्येक ऐसे आवास का मानक किराया नियत करना;

(घ) ऐसी धनराशि निश्चित करना जो किसी ऐसे सदस्य जिसे मानक आवास से भिन्न आवास की व्यवस्था की जाय, को देय होगी या, यथास्थिति, उससे वसूली योग्य होगी ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा समस्त व्यय का जिसके अन्तर्गत विद्युत् और जल का व्यय भी है, भुगतान किये जाने के लिये और ऐसे आवास में जल और विद्युत् के सम्भरण को विनियमित करने के लिए उपबन्ध बनाना ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम उन सदस्यों के सम्बन्ध में भी बनाये जा सकते हैं जो धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हों ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 से 17 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 18 व 19

अध्याय छः

टेलीफोन की सुविधा

सदस्यों को टेलीफोन

18--प्रत्येक सदस्य लखनऊ में और अपने निवास-स्थान पर या अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन संबंधी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा, जैसी विहित की जायं ।

अध्याय सात

नेता विरोधी दल को सुविधायें

वेतन

19--(1) सभा का नेता विरोधी दल एक हजार रुपये प्रतिमास की दर से वेतन पाने का किसी विधि के अधीन हकदार होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वेतन, आयकर से संबंधित उसके संबंध में (परिलब्धियों सहित) देय कर के अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा ।

(3) धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन सभा के नेता विरोधी दल के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "वर्तमान खण्ड 18 में शब्द 'निवास स्थान' के स्थान, पर शब्द 'सामान्य निवास' रख दिये जायं ।"

श्री अम्मार रिजवी--

यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "वर्तमान खण्ड 18 में शब्द 'निवास स्थान' के स्थान पर शब्द 'सामान्य निवास' रख दिये जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 18 और खण्ड 19 इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 20

20--नेता विरोधी दल को पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा । वाहन भत्ता

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जब मूल विधेयक पेश हुआ था, तो उसी समय मैंने अपने संशोधनों के बारे में कह दिया था । माननीय मंत्री जी स्वंय इतने उदार हैं कि उन्होंने सब संशोधनों को स्वीकार कर लिया है । मैं अपनी ओर से कोई पेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा संशोधन है कि धारा-20 को निकाल दिया जाय, उसको भी आप स्वीकार कर लें और जैसा मेरा सुझाव है तदनुरूप संशोधित खण्ड रख दें, तो मेरी बात भी स्वीकार हो जाए, जैसे आपने अन्य सदस्यों की बात स्वीकार की है । मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं कि धारा 20 को निकाल दिया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी--

नहीं मानूंगा तो यह कहेंगे कि हमेशा मेरी बात टाल दी जाती है, इसलिए इनकी भी बात स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

(किसी के आपत्ति न करने पर) प्रश्न यह है कि "खंड 20 निकाल दिया जाय और आगे के खंडों को पुनः संख्यांकित कर दिया जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खन्ड 21 से 23 तक

21--नेता विरोधी दल अपनी पदावधि और ऐसी अग्रतर अवधि जैसी विहित की जाय, के लिए लखनऊ में निवास-स्थान का, किसी किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित स्तर पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा । आवास

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी निवास-स्थान के सम्बन्ध में, "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय-रेंट और करों का भुगतान करना, और जल की व्यवस्था करना और एक सौ रुपये प्रतिमास की अधिकतम सीमा तक (विद्युत् शुल्क सहित) विद्युत् की व्यवस्था करना भी है ।

22--नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश के भीतर, किसी भी समय और किसी भी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी के आरक्षित कूपे (दो बर्थ वाला कम्पार्टमेंट) में या वातानुकूलित श्रेणी में एकल आरक्षित बर्थ में यात्रा करने और उक्त प्रयोजन के लिये धारा 5 और 6 में निर्दिष्ट रेल कूपनों का प्रयोग करने का हकदार होगा । यात्रा सुवि

स्पष्टीकरण :--इस धारा के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में किसी रेलवे स्टेशन और दिल्ली में किसी रेलवे स्टेशन के बीच की यात्रा को उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा समझा जायगा ।

कर्मचारीगण 23--नेता विरोधी दल के अधीन ऐसे कर्मचारी रखे जायेंगे, जैसा विहित किया जाय :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को स्वीकृत कर्मचारियों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा, जब तक कि धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन नियम न बना दिये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 21 से 23 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 24

अध्याय आठ

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

कतिपय पदों का अर्थ 24--इस अध्याय के प्रयोजनार्थ--

(क) पद "सभा" या "परिषद्" के अन्तर्गत क्रमशः यूनाइटेड प्राविंसेज लेजिस्लेटिव असेम्बली या यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है जिसने 15 अगस्त, 1947 और भारत का संविधान के प्रारम्भ के दिनांक के बीच और, तत्पश्चात् राज्य के लिये अस्थायी विधान मन्डल के सदन के रूप में कार्य किया ।

(ख) पद "वर्ष" का तात्पर्य बारह कलेन्डर मास की किसी अवधि से है ।

(ग) जिस अवधि में कोई व्यक्ति सभा या परिषद् में अपनी सदस्यता के आधार पर धारा 2 के खन्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन रहा हो, उस अवधि की भी गणना ऐसी सदस्यता की अवधि अवधारित करने के लिये की जायगी ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 24 के उपखंड (क) में शब्द तथा अंक '15 अगस्त, 1947' के स्थान पर शब्द तथा अंक '1 जनवरी, 1946' रख दिया जाय ।"

श्री अम्मार रिजवी—

स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री भीखा लाल के खड़े होने पर) मेरी आंख नहीं कैच कर सकें, भीखा लाल जी । अब समाप्त हो गया । सदन के सामने रखा हुआ है ।

प्रश्न यह है कि "खंड 24 के उपखंड (क) में शब्द तथा अंक '15 अगस्त, 1947' के स्थान पर शब्द तथा अंक '1 जनवरी, 1946' रख दिया जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित "खंड 24 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 25 से 32 तक

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

25—प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में या अंशतः सभा के सदस्य के रूप में और अंशतः परिषद् के सदस्य के रूप में पांच वर्ष की अवधि (चाहे निरन्तर हो या नहीं) के लिये कार्य किया हो, अपने जीवन पर्यन्त तीन सौ रुपया प्रति मास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो, वहां वह पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये पचास रुपया प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा, किन्तु इस प्रकार कि इस धारा के अधीन देय पेन्शन की अधिकतम धनराशि, किसी भी दशा में, पांच सौ रुपये प्रतिमास से अधिक न होगी ।

स्पष्टीकरण :— जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में ऐसी अवधि तक कार्य किया हो, जो पांच वर्ष से अधिकतम एक मास कम हो, वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि उस व्यक्ति ने पांच वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है ।

पेंशन कब देय नहीं होगी ।

26—धारा 25 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थिति में इस अध्याय के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा, अर्थात् :—

अधिनियम संख्या 30 सन् 1954

(क) जहां कोई व्यक्ति संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन प्रतिमास पांच सौ रुपए या इससे अधिक धनराशि की कोई पेंशन पाने का हकदार हो;

(ख) जहां कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन सवेतन नियोजित हो ग, ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्यथा हकदार हो जाय और ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिमास पांच सौ रुपए के बराबर या इससे अधिक हो और वह इस प्रकार नियोजित या ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहे;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कोई पेंशन, जो खन्ड (क) में निर्दिष्ट पेंशन या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उसे दी गई पेंशन न हो, केन्द्रीय सरकार से या किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या विधि के अधीन या अन्यथा किसी स्थानीय प्राधिकारी से पाने का हकदार हो, और ऐसी पेंशन की धनराशि प्रतिमास पांच सौ रुपए के बराबर या उससे अधिक हो;

(घ) जहां कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाय या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाय और ऐसे पद पर आसीन रहे;

(ङ) जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के या संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा सदस्य बना रहे ।

कतिपय मामलों में पेंशन की धनराशि

27--जहां धारा 26 के खन्ड (क) या खन्ड (ख) या खन्ड (ग) में उल्लिखित परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम धनराशि की कोई पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक का हकदार हो, वहां धारा 25 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन उतनी धनराशि से अधिक नहीं होगी जितनी से ऐसी पेंशन, वेतन या परिश्रमिक पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम पड़ती हो ।

अध्याय नौ

प्रकीर्ण

वेतन आदि का त्याग

28--कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का हकदार है, ऐसे सम्पूर्ण वेतन, भत्ता या सुविधा या उसके किसी भाग को, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर त्याग सकता है :

परन्तु ऐसे किसी त्यजन को वह किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर भविष्यलक्षी प्रभाव से रद्द कर सकता है ।

सदस्यों के वेतन बिल से सरकारी और अन्य देयों की वसूली

29--(1) जब कभी किसी सदस्य पर किन्हीं सरकारी देयों (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय) के बकाया होने की सूचना दी जाय और उसके समर्थन में सम्बद्ध प्राधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हों, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान न करे, तब सचिव द्वारा ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा और दैनिक भत्ता बिलों से ऐसे देयों के बराबर धनराशि काट ली जायगी ।

(2) साधारणतया किसी सदस्य पर बकाया किन्हीं गैर सरकारी देयों की वसूली उसके वेतन या भत्तों से नहीं की जायगी किन्तु जहां ऐसी देय धनराशि उसके संसदीय कर्त्तव्यों के दौरान उसको दी गई किन्हीं सेवाओं के कारण हो, जैसे जब वह किसी समिति के साथ दौरे पर हो और ऐसी सेव ओं के लिए व्यवस्था राज्य विधान मन्डल के अधिकारियों के अनुरोध पर अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं या निजी पार्टियों द्वारा या उनके अनुरोध पर की गई हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान नहीं करता है, वहां उसकी वसूली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक भत्ता बिलों से की जा सकती ह ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

30--(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई, विशेष रूप से धारा 32 द्वारा निरसित अधिनियमिति के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध एसी अवधि में, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हे वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मन्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

नियम बनाने की शक्ति

31--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) धारा 32 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें निरसित न कर दिया जाय ।

निरसन

32--उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उप-लब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 195

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 25 से 32 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980

राज्य विधान मन्डल के सदस्यों के वेतन और भत्तों के भुगतान, और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों को उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिज़वी--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं । यह जो खंड 20 निकाला है और प्रयोजन समिति के बारे में कहा इससे गैप हो जाता है । जो नेता विरोधी दल को मिलता है, जैसी बात हुई थी, एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी अब तक मालूम नहीं कर सके कि नेता विरोधी दल को पार्लियामेंट में क्या मिलता है । अगर मालूम कर लिया होता तो जो गैप हो गया है, नहीं होता । प्रयोजन समिति कब बैठेगी, उस वक्त नेता विरोधी दल का क्या सम्मान होगा, क्या कन्वेयंस होगी, यह माननीय मन्त्री जी एक दो दिन में पार्लियामेंट से बात करके कि वहां पर नेता विरोधी दल को क्या-क्या सुविधायें हैं, उनके बारे में अपनी ओर से आदेश दे दें वरना बड़ा गैप हो जायेगा । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी कुछ स्पष्टीकरण कर दें ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, उस दिन भी जब बैठक हुयी थी मैंने कहा था कि ये-ये सुविधा हम नहीं दे रहे हैं । इसलिए इसमें अब आपत्ति नहीं करनी चाहिये । इसको शीघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिये । जो उन्हें 300 रुपये देते थे अब तो वह भी चला गया । इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे अपने को सम्मानित करना चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र 13 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें उसको ले जाये । मैं समझता हूं उनको पार्लियामेंट के बारे में जानकारी है और हिन्दुस्तान की करीब-करीब आधी विधान सभाओं ने उस नियम और विधेयक को पास कर दिया है । एक सुझाव तो मेरा उन्होंने मान लिया है एक और परेशानी है और वह यह है कि जो लोग 67 में चुनकर आये थे और वे केवल 1 1/2 महीने रहे । इसके बाद बहुत से माननीय सदस्य जो 67 में चुनकर आये थे वे 77 में भी चुन कर आये और वे 2 1/2 वर्ष तक विधान सभा के सदस्य रहे जो कुल मिलाकर 5 वर्ष का समय नहीं होता है तो इसके बारे में भी विचार कर ले और यदि उन्हें स्वीकार हो तो वे 13 तारीख को एक विधेयक इस बारे में प्रस्तुत कर सकते हैं । ऐसे मामलों में तो हम सदैव ही सहयोग देते आये हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय मोहन सिंह जो कहा करते हैं कि इस तरफ बड़ी खींचातानी है । माननीय मुख्य मन्त्री और सत्ता पक्ष के विधायकों में बड़ी खींचातानी है लेकिन एक बात साफ हो गयी है कि माननीय मोहन सिंह जी यह भी नहीं चाहते कि नेता विरोधी दल को 300 रुपये ही मिल सकें । आज उसको भी कटवा दिया । इससे आपके अन्दर जो विरोध है वह भी कम हो जायेगा वर्ना हर एक नेता विरोधी दल होना चाहेगा । यह जो गैप हुआ है, जैसा कि माननीय रियासत साहब ने कहा, मैं आश्वस्त करता हूं कि यह गैप ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और जो बात उस दिन नेता विरोधी दलों के साथ हुयी थी उसका लफ्ज ब लफ्ज कार्यान्वयन किया जायेगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं । दूसरों की बोली बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप चाहे जिसकी भी बोली बोलें, मैं समझ लूंगा क्योंकि आप मेरे घर के हैं।

(हंसी)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात कहना चाहता हू। जिस प्रकार से पत्रकारों को सरकार ने प्रदेश में घूमने के लिए बस की यात्रा फ्री कर रखी है, उसी प्रकार से जो हमारे भूतपूर्व विधायक हैं उनको भी यह सुविधा प्रदान कर दी जाये क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए इधर-उधर जाना पड़ता है। राजनैतिक व्यक्ति होने के कारण, उन्होंने अपनी जिन्दगी ही लोगों की सेवा में समर्पित कर दी है। अतः मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि सब रूट्स पर एवं प्रमुख-प्रमुख मार्गों पर भी इन विधायकों को फ्री बस यात्रा की सुविधा देने की कृपा करें।

श्री अम्मार रिजवी—

हमेशा भविष्य वर्तमान काल में बदला है, वर्तमान भूत काल में और केवल भूत ही रहा है। बाकी सब बदल जाते हैं। जो सम्मानित सदस्य ने सुझाव रखा है इसे प्रयोजन समिति में, जो गठित होने जा रही है, रख दिया जायेगा। उसमें बहुत सी चीजों के साथ-साथ इस पर भी विचार हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान मंडल सदस्यों के आवास के लिए निर्धारित नव निर्मित पार्क रोड कालोनी को अधिकारी आवास के रूप में बदले जाने के विषय में 30 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 (नत्थी ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि पिछले 3 माह से लगातार टालने की कोशिश की जा रही थी, चर्चा करने का समय दिया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि हो सकता है कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उसके बाहर मैं चला जाऊं ...

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन मैं उनके बाहर आपको होने नहीं दूंगा।

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह--

मैं पार्क रोड कालोनी का कुछ पूर्व इतिहास बतलाना चाहता हूं। जब यह कालोनी बनी तो सबसे पहले माननीय राम नरेश यादव, भूतपूर्व उप मुख्य मन्त्री, को एक आवास आवंटित किया गया जब कि माननीय बनारसी दास की सरकार थी। उसके बाद रीट्रेन्च मिनिस्टरों के आवास की व्यवस्था की गयी। लेकिन यह कशमकश बराबर चलती रही कि यह कॉलोनी विधान भवन के नजदीक होने के कारण अधिकारियों को आवंटित की जाये या जन प्रतिनिधियों को। बाद में कुछ विशेष परिस्थितियां भी पैदा हुईं। उस समय मैं मन्त्री भी हो गया था। एक जगह मुझे भी उसमें आवंटित की गयी। पहले दो महीने मन्त्री बनने के बाद मुझे रायल होटल में ही रहना पड़ा। उसके बाद बार-बार आग्रह करने के बाद मुझे वहां पर नं0 1 का आवास आवंटित किया गया और ऊपर का हिस्सा दिया गया, लेकिन बाद को किसी तरह मैंने नीचे के हिस्से में कब्जा किया क्योंकि नीचे का हिस्सा भी खाली हो गया था। जिस दिन विधान सभा भंग कर दी गयी, उसी वक्त मुझे यह आदेश मिले अब यह जगह आपके लिये नहीं रही, यह डी0 आई0 जी0 के लिये आवंटित कर दी गयी है। लेकिन चूंकि हम लोग उस समय विधायक नहीं रह गये थे, पर राष्ट्रपति शासन काल में यह व्यवस्था की गयी थी कि विधायकगण भी कुछ बिशेष परिस्थितयो में अपने-अपने कक्षों में रहने के हकदार होंगे। मगर उस समय निरन्तर 2-3 सूचनायें हमको मिली कि आप उस जगह नहीं रहेंगे, उसे अधिकारियों के लिये आवंटित कर दिया गया है, वह विधायकों के लिए नहीं है। उस कालोनी में रहने वाला मैं ही विधायक हूं जो जीत कर आया हूं। मुझे यह कहा गया कि आप उसे खाली कर दीजिये और नोटिस टांग दिया गया। उसमें दो बाथरूम हैं और 4 कमरे हैं। जो नये विधायक हैं, उन्होंने जब स्टेट आफिसर से सम्पर्क किया कि उनको वहां आवास दिया जाये तो बहुत से माननीय सदस्यों से यह उन्होंने कहा कि आप दरवाजा तोड़ कर घुस जाइये, बाद में वह आवंटित हो जायेगा। नतीजा यह हुआ कि बहुत से विधायकों ने कब्जा कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या उसके पहले भी यही व्यवस्था थी?

श्री मोहन सिंह--

नहीं। पहले यह व्यवस्था नहीं थी, नियमों के तहत माननीय सदस्यों के लिये आवास की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन यह व्यवस्था जानबूझकर बिगड़ गयी, सिर्फ इसलिये कि जो माननीय नये सदस्य आये हैं उनकी तस्बीर समाचार-पत्रों के माध्यम से चला जाय। जो अराजक तत्व हैं, वे जबरदस्ती घर कब्जा करते हैं। मान्यवर, यही चित्र अखबारों में चला गया।

मान्यवर, जो ये भवन आवंटित किये जाते हैं, इसके बारे में कोई एक नीति नहीं है। हमारे विधायकगण अनेक स्थानों पर रहते हैं। कोई दारुलशफा म रहता है, कोई पार्क रोड में रहता है, कोई पुराना विधायक निवास में रहता है, कोई रायल होटल में रहता है। तो मान्यवर, एक स्थान पर सभी विधायकों को रहने की व्यवस्था नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी जो कालोनी है, उसी कालोनी में पत्रकार भी हैं, उसी

[श्री मोहन सिंह---]

तरह के आवास में इंजीनियर भी हैं, उसी तरह के कक्ष में अन्य अधिकारी भी हैं। इस विधान सभा की इस परिधि में रहने वाले कुछ उप सचिव भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब हमको वहां कक्ष आवंटित होता है, तो हमसे तो 300 रुपये भाड़ा लिया जाता है, नोटिस मिलती है और जो हमारे बगल में इंजीनियर रहता है उससे 80 रुपये भाड़ा लिया जाता है। हमारे बगल में दूसरा इंजीनियर रहता है, उससे 110 रुपया भाड़ा लिया जाता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वह विधायक निवास है, तो उसकी कोई नीति निर्धारित होनी चाहिये। इसके बारे में शासन की कोई एक नीति नहीं है। मान्यवर, निरन्तर यह कोशिश की जा रही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वह 300 रुपये के भाड़े में रहेगा और दूसरा जो राज्य कर्मचारी है, उसको 80 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। 80 रुपये भाड़ा में अधिकारी जो हैं, उसी तरह के आवास में रहेगा। तो मान्यवर, हमे यह सोचना पड़ता है कि राज्य कर्मचारी मुझसे बड़ा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उसको उचित निर्देश दें।

लखनऊ के ऐडमिनिस्ट्रेटर को तो दो महीने में हटाया। लेकिन स्टेट अफसर 4 वर्ष तक बना रहेगा। 4 वर्ष में चार सरकारें बन जायंगी, राम नरेश यादव जी की सरकार, बाबू बनारसी दास जी की सरकार, डा0 जे0 डी0 शुक्ला जी की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बन जायगी, लेकिन स्टेट अफसर वहीं बना रहेगा। मेरा साफ आरोप है कि शासन की जो नीति है, जो उनके संगठन के माननीय विधायक हैं, क्या उनको अपमानित करने की मंशा तो नहीं है? शासन की तरफ से जो सूचना दी जाती है, फिर भी वह गलत दी जाती है। मान्यवर, श्रीमती मोहसिना किदवई का सामान उनके बंगले से खड़ा होकर फेंकवाया गया और उस समय के कांग्रेस शासन में फेंकवाया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी जानकारी में फेंकवाया था?

श्री मोहन सिंह---

बिलकुल हमारी जानकारी में फेंकवाया था। मान्यवर, इसके बारे में साफ नीति आवंटन की घोषित करना चाहिये। पराजित होने के बाद जब हम भूतपूर्व विधायक हो जाते हैं, तो हमको तत्काल आवास खाली करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, दो-दो वर्ष उनको रिटायर हुए हो गये, लेकिन उनसे अभी आवास खाली नहीं कराया गया। गौतम पल्ली में दो-दो वर्ष से रिटायर्ड अधिकारी रह रहे हैं। उनके लिए कोई नियम, कानून नहीं है। इसलिए इसके बारे में एक साफ दृष्टि होनी चाहिये और उस तहत मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट डिपार्टमेंट के जो बंगले हैं, उनका कार्य निर्धारण पुनः होना चाहिये और जो एक तरह के आवास हैं, जैसे हमारी आवास विकास कालोनी जो है, उनमें एक स्टैन्डर्ड रेट फिक्स है और हमारी जो पार्क रोड कालोनी है, इसके ऐक्मोडेशन से कालीदास मार्ग के बंगलों में एकमोडेशन भी ज्यादा है और किराया भी कम है। हैवलक रोड की कालोनी के बंगलों का किराया भी कम है। इसलिए स्टेट डिपार्टमेन्ट के बने विभिन्न इलाकों में जो बंगले हैं, उनका सबका एक स्टैन्डर्ड रेट पुनः निर्धारित किया जाना चाहिये, तभी एकरूपता आ सकती है। वरना इसी तरह विधायकों में अच्छे बंगले और कम रेट के बंगले लेने

की जो कोशिश रहती हैं, उनमें और बढ़ावा ही होगा और इससे हमारे आपस में मतभेद पैदा होता है । और यह अधिकारीगण यह भी करते हैं, जो नये सदस्य चुनकर आये हैं और उनसे यह अगर घुल मिल गये हैं, तो इनको अच्छी जगह दे देते हैं और जो पुराने सदस्य हैं उनको रायल होटल या दारुलसफा में दिया जाता है, तो इस तरह की भिन्नता भी पैदा करके हमारे आपस में कटुता पैदा करते हैं । इस तरह यह आपस में हमें लड़ाकर अपनी जगह स्थायी बनाये रखते हैं और यह अधिकारीगण हमारे ही लोगों में घुसकर अपने निहित स्वार्थों को पूरा करते रहते हैं और इस बात की कोशिश में रहते हैं कि कहीं इनकी प्रतिष्ठा में फर्क न पड़ने पाये ।

हमारे तो यहां तक सुनने में आया है कि एक माननीय विधायक ने इस अधिकारी की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये यहां तक इशारा किया कि इन पर कहीं प्रहार नहीं होना चाहिये, जिससे हमारे सुशिष्ट अधिकारी को कोई ठेस न पहुंचे । और यह कहते क्या हैं जिनके नाम गैरजरूरी उनसे उसका किराया लेते नहीं और जिनके नाम गैरजरूरी नहीं हैं, उनसे किराये को कहते हैं और जिन्हें गैरजरूरी की आवश्यकता नहीं है, उनके नाम गैरजरूरी हैं, और जिनको आवश्यकता है इसकी, उसके पास नहीं है । तो इस तरह से स्टेट डिपार्टमेन्ट को सही आमदनी नहीं हो पाती है । दूसरी बात यह जैसा कि लोक सभा में आवासों के आवंटन के लिए एक कमेटी बनी है, उसी प्रकार से यहां भी एक कमेटी विधायकों की नियुक्त की जानी चाहिये और यह स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं रहना चाहिए ! इसके लिए एक हाऊस की कमेटी बनाई जाये और उसी के कन्सल्टेशन और परामर्श से माननीय विधायकों को आवास आवंटित किये जायं । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पूरा समय नहीं लेना चाहता और अन्य सदस्यों की भी कुछ राय इस पर होगी ।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने कुछ बातें कहीं विधायकों के आवास आवंटन की कठिनाइयों के सम्बन्ध में और खासकर उन विधायक निवासों की तरफ इशारा किया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं इसको डिफेन्ड करने के लिए खड़ा हुआ हूं, बल्कि जो बातें उन्होंने कहीं वह हम सब की समस्याओं से सम्बन्धित हैं । सारे विधायक इस बात को महसूस करते हैं कि उसमें एनामिलोज होती हैं । कहीं पर एक्मोडेशन ज्यादा है और किराया भी कम है और कहीं पर एक्मोडेशन कम भी है और किराया ज्यादा है । तो ऐसा वास्तव में नहीं होना चाहिये । इसके लिए कोई एक नियम होना चाहिये । माननीय विधायकों को आवास किन आधारों पर दिया जाये और किन-किन आधारों पर आवंटन किया जाये । मैं इनकी इस बात से सहमत हूं जैसा कि उन्होंने इस सिलसिले में एक कमेटी की तरफ इशारा किया । मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव है । इसमें सारे विधायकों का हित होगा । पर अभी हो क्या रहा है कि जहां पर ज्यादा एक्मोडेशन है और कुछ अधिक सुविधायें हैं, तो सभी लोग उधर ही जाना पसन्द करते हैं, क्योंकि इनमें एकरूपता नहीं है अगर किराया एक तरह का रखा जाता है तो एक शिकायत की बात जरूर होती है कि जहां एक कमरे हैं वहां का किराया एक है जहां दो कमरे हैं वहां का भी किराया वही है तो यह भी एक तरह की विरोधाभास की है । यह समस्या है । जो विधायकों को आवास दिये जाते हैं वह एक समान दिये जायं । अगर कुछ विधायक अपने पैसे से अपनी स्वेच्छा

[श्री अम्मार रिजवी---]

से चाहते हैं कि उनको कुछ ज्यादा सहूलियत दी जाय तो उसके लिए उनको अलग से पैसा देना पड़ेगा । जो विधायक पार्क रोड मेरा ख्याल है कि पुराना बिधायक निवास जब टूटा था तो वहां ले जाये गये थे और तब से बराबर लोग आते रहे और यह कन्ट्रोवर्सी तब से बराबर चली आ रही ह और जब मोहन सिंह मंत्री थे तब भी इसका कोई सलूशन नहीं निकला ।

मैं निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मोहन सिंह ने दिये है उन पर विचार किया जायेगा और यह सरकार विचार करेगी । दूसरी बात यह है कि जो लोग ज्यादा कमरे लिये हुये, जो सामान्य विधायकों को आवास दिये जाते हैं उससे ज्यादा जगह लिये हैं तो उसके लिये उन्हें ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी । एक चीज की तरफ माननीय मोहन सिंह ने इशारा किया था कुछ बंगले ऐसे हैं जिनका किराया कम है और कुछ ऐसे हैं जिनका किराया ज्यादा है । मैं कहना चाहता हूं कि जो पुराने बने हैं उनकी वैलूयेशन रेट्स कम है जो अब बने हैं उनका वैलूयेशन रेट अधिक है उनका किराया ज्यादा है तो उसमें एकरूपता लानी चाहिये ताकि ऐसी असंगतियां न रहे । तीसरी बात इन्होंने कहा कि जहां यह रहते हैं वहां कुछ अधिकारी रहते हैं जो 80 रुपया किराया देते हैं और इनको 300 रुपया देना पड़ता है तो मैं यह तो नहीं कहता हूं कि उनसे भी 300 रुपया लेना चाहिये क्योंकि उनको 10 परसेन्ट उनकी तनख्वाह का मिलता है जिनका 800 रुपया है उनसे 80 रुपया लिया जाता है जिसका 1000 है उनसे 100 रुपया लिया जाता है । लेकिन जो विधायक हैं उनसे एक तरह का किराया लिया जाना चाहिये ।

श्री मोहन सिंह--

क्या विधायक निवास में यह अधिकारी रहने के हकदार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी---

मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूं । मैं तो सहमति प्रकट करते हुये यह बात कह रहा हूं । यह समस्या विधायकों के सामने है और मैं समझता हूं कि इस पर विचार करना चाहिये और एक ऐसी प्रणाली बनाई जाय जिससे आवंटन में किसी प्रकार के विवेक का इस्तेमाल न हो और मैं ऐसा प्रयास करूंगा ।

*श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि विधायकों को जो निवास दिये हैं उसमें विधायक और अधिकारी एक साथ न रहे । क्योंकि उन निवासों में विधायकों का हमेशा इक्सप्लोइटेशन होता है और अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग अपने इन्टरेस्ट में करते हैं मिसाल के तौर पर यू० पी० निवास में नम्बर एक पर मंत्री, दो पर विधायक और नम्बर तीन पर अधिकारी हैं किन्तु आप रेकर्ड को मंगा कर देख लें वहां अधिकारी नम्बर एक पर रहते हैं । मंत्रियों से तो कोई मतलब नहीं है । इसलिये इस पर विचार करें कि विधायक निवासों में मिक्स न रखें, ताकि अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग विधायकों के इक्सप्लांइटेशन में न करें । जो विधायकों के निवास हैं 150 रुपये किराये के, उसके साधारण कमरों वाले, तीन हजार और खर्च हो गए चाहे पार्टीशन में, फर्नीचर में, तो क्या आप उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो एडीशनल खर्चा हुआ है उसका किराया उस स्टैन्डर्ड रेट से ज्यादा बढ़ायेंगे और उनकी तनख्वाह से काटने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

और चीजें जो कायदे की थीं कही गई, उनसे हर विधायक सहमति प्रकट करेगा लेकिन मोहन सिंह जी ने कहा कि सरकार की कोई नीति नहीं है मैं पूछना चाहता हूं उनसे आपके माध्यम से क्या तीन वर्षों में उनक कोई नीति थी, उनके भी लोग वहां पर थे । दूसरी चीज जनता पार्टी ने 150 तय किया था, 300 पर उठ क्यों रहा है । मुझे हंसी आई कि गैरेज किसी के नाम, रह कोई और रहा है । नाम है लक्ष्मी सहाय सक्सेना के और रह रहे हैं मोहन सिंह । आप मंत्री थे, वहां चले गये थे, आपके पास रायल होटल में 44 नं0 का मकान भी था और उस तरह से 2-2 मकान रखे, उस समय कौन सी नीति थी जो आज पलट गई । जो माननीय सदस्य कहें कि कोई नीति नहीं है और खुद नीति पर न चलें तो दूसरे की आंख से नहीं देखना चाहिए । कोई अगर त्रुटि है तो सुझाव के रूप में कहें, हम भी पालन करें । मोहन सिंह जी ने कहा कि हम ऊपर से नीचे चले आये तो उपाध्यक्ष जी ने कहा कि कैसे चले आये ।

(व्यवधान)

16 मंत्री जो जब निकाले गये थे उस समय उनके ऊपर डेढ़ लाख रुपया खर्च किया गया था, जनता पार्टी ने उसे माफ कराया था क्या आप लोग सहमत नहीं थे किसी गरीब, किसान का पैसा माफ करते । एक पैसा नहीं माफ कराया । इतना चरित्र नहीं था, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी किसी गलत मंत्री को अपने दल में रहने नहीं देंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

द्विवेदी जी, आप बैठें । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या दारुलशफा में भी रूम नं0 81-82 आज भी किसी विधायक के नाम आवंटित नहीं है और उसमें भी कुछ कर्मचारी रहते हैं ? 83 के बगल में एटेच रूम है, जिसमें इस सचिवालय का एक बाबू रहता है । मैंने उसके लिए आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था । क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इसी प्रकार का मैनुपलेशन स्टेट विभाग हर जगह कर रहा है ?

श्री नरेश चन्द्र—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विधायकों को लखनऊ में जो आवास सुविधा दी जाती है उसके लिए 150 रुपया विधायकों से काटा जाता है । जो स्टेट गेस्ट हाउस के पास आफीसर्स कालोनी में रहते हैं जिसमें एक कमरा आवंटित है जिसका स्टेट गेस्ट हाउस से कम किराया है । उनको जो डेढ़ सौ रुपया हैं उसमें रिफन्ड होता है या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, इसको नोट कर लें ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय, जो नीति निर्धारण की बात चल रही थी, उससे सम्बन्धित है । पार्क रोड, दरुलशफा, रायल होटल में जो सुविधायें प्रदान की गयी हैं उसमें अन्तर है । मोहन सिंह ने नीति निर्धारण की बात की थी । क्या जनता पार्टी के शासन में, लोकदल के शासन में..

श्री उपाध्यक्ष--

फिर आपने भाषण दिया । संक्षेप में कहें ।

श्री मुईद अहमद--

कुछ विधायकों की लिस्ट है--लाल जी टण्डन, क्रान्ति कुमार, अशोक बाजपेयी, सत्यदेव त्रिपाठी, गुरूदत्त सोलंकी, कुमारी दया, शिवानन्द मौटियाल, रवीन्द्र किशोर शाही, राम कृष्ण द्विवेदी, मुख्तार अनीस आदि यह लोग जब विधायक थे तो किस नीति के अन्तर्गत इनको एलाट किया गया था ?

श्री कशीनाथ मिश्र--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा मोहन सिंह जी ने कहा कि कोई कमेटी बना दें विधायकों के आवास के लिए जैसे कि केन्द्र में बनी है । इसमें क्या एतराज है ? नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में एम0 पी0 रहते हैं । जो लोकप्रिय हैं उनको बंगले दिये गये हैं । यहां भी विधायकों को बंगले दिये गये हैं । माननीय मंत्री जी को एतराज नहीं होना चाहिए जो चार कमरे के फ्लैट में रहते हैं, वह जो पैसा देते हैं, सभी के लिए एक ही नियम रहना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे केन्द्र में होता है । उत्तर प्रदेश में भी होता आया है । मोहन सिंह जी से बतलाना चाहता हूं कि 57 से बराबर ताला तोड़कर कब्जा किया जाता रहा है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में हमारी बातों से सहमति प्रकट कर दिया है । कुछ लोगों ने अधिकारियों के समर्थन में बोला है । उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना । अधिकारियों की चापलूसी करना तो इनकी आदत है, स्वभाव है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह शब्द आपको नहीं कहना चाहिए था, वापस ले लें ।

श्री मोहन सिंह--

ठीक है माननीय, मैं इनको वापस लेता हूं । लेकिन जो भड़ास थी वह निकाल दिया । स्टेट अफीसर की चपलूसी करने से कुछ नहीं मिलेगा मंत्रियों की करें तो शायद मिल भी जाये । माननीय मंत्री जी बहुत उदार हैं । जो भी कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देते रहे हैं उनको रचनात्मक तर्क के से मानते हैं । विधायकों के आवास के बारे में एक नीति बनाई जाये । यह नहीं कहना चाहिए कि हमने नहीं

किया तो आप भी न करें । इतना कहूंगा कि जो हर सरकार को दिक्कत हुई उससे आपको भी होशियार रहना चाहिए । वर्ना आप भी अपना इन्तजाम कर लें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष—

भूतपूर्व उपाध्यक्ष कुछ कहना चाहते हैं इसलिए नियमों को मैं शिथिल करता हूं ।

*श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, सुझाव आवश्यक था और जो अव्यवस्था है, इसमें मैं भी पड़ा हुआ हूं, इसलिए कहना चाहता था । मान्यवर, मुझको 2/3 सूट एलाट किए गये और उनमें बराबर कब्जा किया गया । मैं रियासत हुसैन जी के यहां गया और शरण लेता रहा । मैं बराबर कहता रहा । बहुत कहने सुनने के बाद भी एलाट नहीं हुआ, तो एक दिन माननीय मुख्य मंत्री जी को दरख्वास्त दी कि कोई व्यवस्था की जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्टेट आफिसर को लिखा कि कोई व्यवस्था कर दी जाय । महीने भर बाद 74 नम्बर एक फेमिली सूट एलाट कर दिया गया । लेकिन उसमें पहले से लोग काबिज थे । एलाट पहले किया गया और बाद में इत्तला हुई । मान्यवर, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वह उसमें रह रहे हैं और एक भूतपूर्व विधायक के नाम कमरा एलाट है और उसमें एक नौकरी करने वाले कर्मचारी रहते हैं । हमने कहा कि खाली करो । तो तुरन्त इत्तला आ गई कि यह आवास खाली करने के लिए व्यवस्था की जा रही है और जब तक खाली न हो जाय तब तक एलाटमेंट स्थगित किया जाय और वह स्थगित है । अब उसमें क्या कार्यवाही हो रही है, मालूम नहीं । तो मान्यवर, अब तक कई एलाटमेंट किए गए और कुछ नहीं हुआ । फिर 189 में टिक गया हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

चूंकि एक विशिष्ट सदस्य बोल रहे हैं और नियमानुसार टाइम तो समाप्त हो गया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए नियमों को निलम्बित कर रहा हूं ।

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, अब मुझसे भी कहा गया, जैसे कि भाई मोहन सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसे जगह नहीं मिलेगी । आपको जहां पसन्द आये, पहले कब्जा कर लें फिर एलाट हो जायेगा । मैंने कहा, मैं इस सदन का उपाध्यक्ष रहा हूं । उपाध्यक्ष होने के नाते, आवास समिति का अध्यक्ष था । मैंने एक समिति में बैठकर फैसला लिया था । मैं समझता था कि उसका कार्यान्वयन होगा । लेकिन शायद उसमें हुआ नहीं । उस समिति को मान्यता नहीं दी गई । मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दिया कि किसी मकान में जबर्दस्ती कब्जा करूं और इसलिए मेरे लिए व्यवस्था नहीं हो पाई मुख्य मंत्री जी के आदेशों के बावजूद भी । आज जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवना । सिंह कुशवाह।—]

देख रहा हूं कि यह जो विधायक निवास है, एक बाजार बन गया है । जाने कितनी दूकानें अनधिकृत रूप से ऐसी लगी हैं कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है । वह किस जरिये से हो रहा है, इसको देख लें ।

आपके सरकारी कर्मचारी जो सरकारी काम करने के लिये हैं, ये कर्मचारी लोग विधायकों की चापलूसी में लगे रहते हैं, न जाने कितनी गड़ बड़ियां हो रही हैं, लेकिन इसको अन्यथा न समझकर गम्भीरता से इसको देखा जाना चाहिये और व्यापक रूप से सुधार लाये जाने की आवश्यकता है और माननीय विरोधी दल के नेता और माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आवास समिति के अध्यक्ष भी हैं, विशेष रूप से इसकी मीटिंग बुलाकर इसमें कुछ व्यापकरूप से सुधार लायें जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है । लोग जबर-दस्ती कब्जा करके रह रहे हैं । अब से नहीं, कितने सालों से । विधान सभा के सदस्य भी नहीं हैं । तमाम लोग ऐसे हैं । जाने क्या हो रहा है, भगवान जाने । तो इसके बारे में व्यापकरूप से सोचें तभी जायज सल्यूशन निकलेगा । वरना हमारे जैसे बेवकूफ मारे जाते रहेंगे और अपने हक और अधिकार के लिये बराबर लड़ते रहेंगे और कोई पूछे नहीं होगा । इस तरह की परिस्थितियां बनती रहेंगी । तो इन परिस्थितियों को नेक रास्ते पर ले जाने के लिए विचार करेंगे, तभी जायज सल्यूशन निकलेगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह समस्या ऐसी है कि हम सभी कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं—सभी इसमें शामिल हैं और आप, मान्यवर, आवास समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप पर भी जिम्मेदारी है, उपाध्यक्ष की हैसियत से ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी हर अव्यवस्था की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ही ।

श्री अम्मार रिजवी—

लेकिन जो बातें कही गयीं हैं, माननीय रियासत हुसैन साहब ने यू० पी० निवास का हवाला दिया यह बात सही है कि यू० पी० निवास में लोगों को जगह नहीं मिलती है तो एक अलग से यू० पी० निवास बनाया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि एक में अधिकारियों को रखा जाय और दूसरे में विधायकगण को जिससे कठिनाई का सामना न करना पड़े । तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, एक ही कठिनाई आती है कि अगर दो तरह से विधायक निवास होंगे, या तो एक ही तरह की सुविधायें होनी चाहिये, एक तरह के रेट में एक ही तरह की सुविधाय होनी चाहिये । माननीय कौशलनाथ जी ने दिल्ली का हवाला दिया, वह एम० पी० भी रह चुके हैं, अगर आप वहां छोटा फ्लेट लेते हैं तो उसका किराया बड़े फ्लेट से कम होता है । स्कवायर फीट के हिसाब से भी दिया जाता है । अगर प्रेस्क्राइब कर दिया जाय कि इतने स्कवायर फीट तक माननीय विधायकों को सुविधा दी जायगी तो अच्छा होगा । लेकिन अगर यह बन्धेज कर दिया जाय कि जो विधायक जिस जगह पर रहना चाहे वहीं पर रहे तो मेरे ख्याल से यह व्यवहारिक नहीं होगा । तो यह आवास की समस्या जटिल है । कमेटी का जो बात कही गयी है तो मैं समझता हूं कि सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी मार्ग-दर्शन के लिये अवश्य होनी चाहिए । लेकिन मेरा अनुरोध है कि यह जो ताला

तोड़ने की प्रथा है, अगर कोई कहता भी है, जिसके सम्बन्ध में माननीय भूतपूर्व उपाध्यक्ष जी ने कहा, तो अगर ताला तोड़ कर जायं, तो हम लोगों को अपने को उसमें शामिल नहीं करना चाहिये, क्योंकि हम स्वयं ऐसा करेंगे तो मुश्किल होगी । मैं समझता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं सरकार तत्परता के साथ उन पर विचार करेगी और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये पूरा प्रयास करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 13 तारीख को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 26 मिनट पर सोमवार, 13 अक्तूबर, 1980 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
9 अक्तूबर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०—57 विधान सभा—29-9-81—835 (पी० डी०)